पंचम माला, खंड 42, अंक 16 सोमवार, 12 अगस्त, 1974/21 श्रावण, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XLII, No. 16 Monday, August 12, 1974/Sravana 21, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 42 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 16—सोमवार, 12 अगस्त, 1974/21 श्रावण, 1896 (शक)

No. 16—Monday, August 12, 1974/Srawana 21, 1896(Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
302	भारतीय जहाजरानी निगम को हुई हानि	Losses suffered by Shipping Corporation of India . .	1–4
303	गुजरात राज्य को उर्वरको की सप्लाई	Supply of Fertilizers to Gujarat State	4–5
305	किसानों से खाद्यान्न की वसूली के लिए नया फार्मूला	New Formula for collection of foodgrains from growers .	5–9
311	वृक्षों की पैदावार (हारवैस्टिंग) का नया तरीका	New Method of Harvesting Trees	9–10
313	गेहूँ संबंधी नई नीति की विफलता के बारे में फेडरेशन आफ आल इंडिया फूडग्रेन्स डीलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट	Report of Federation of All India Foodgrains Dealers Association on Failure of New Wheat Policy . . .	10–14
314	"मैल डिस्ट्रीब्युशन काज आफ फाइ सिस" शीर्षक के अंतर्गत समाचार	Maldistribution causes of Food Crisis	14–16

अल्प सूचना प्रश्न/SHORT NOTICE QUESTION

अ०सू०प्र०सं० S.N.Q. No.			
4	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 1974 मंसूख किया जाना	Cancellation of International Trade Fair, 1974 . .	14–21

---

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—26 L.S.S. N.D./74

ता०प्र०संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
304	दिल्ली में ऊँचे भवनों के निर्माण पर प्रतिबंध	Ban on construction of high buildings in Delhi . .	22
306	दिल्ली विकास प्राधिकरण में सेवा-निवृत्ति की आयु के पश्चात् सेवा काल में वृद्धि	Extension of service after superannuation in DDA . .	22–23
307	दिल्ली विकास प्राधिकरण का असंतोषजनक कार्यकरण	Poor performance by DDA	23
308	तटवर्ती राज्य में राज्य पत्तन प्राधिकरणों का स्थापित किया जाना	Setting up of State Ports authorities in Maritime States	23–24
309	कृषि योग्य बनाई गई वन-भूमि तथा रेगिस्तानी भूमि	Acreage of forest, desert, cultivable land reclaimed .	24–25
310	कलकत्ता विश्वविद्यालय के विकास और पुनर्गठन के संबंधी विश्वविद्यालय और अनुदान आयोग की समिति	UGC Committee on development and Reorganisation of Calcutta University . .	25
312	राज्यों को उर्वरक के आबंटन के फार्मूला का पुनरीक्षण	Revision of Formula for Allotment of Fertilizers to States	25
315	उर्वरकों का मूल्य बढ़ाना	Raising prices of fertilizers	25–26
316	दिल्ली के कालेजों में दाखिले	Admission in Delhi colleges	26
317	अंतर्राज्यीय सड़क परिवहन को मान्यता	Recognition of Inter State Road Transport . . .	27
318	पटना के समीप गंगा नदी पर सड़क पुल का निर्माण	Construction of Road Bridge on River Ganga near Patna	27–28
319	विशेष पोषाहार कार्यक्रम के लिए सलाहकार समिति का गठन	Setting up Advisory Committee for Special Nutrition Programme . . .	28–29
320	अच्छी किस्म के उर्वरक की कमी	Scarcity of Food Fertilizer	29–30
322	चार महानगरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 53 करोड़ रुपये की राशि	Rs. 53 crores for Public Transport in four Metropolitan Cities	30
323	बागानों में उर्वरक की कमी	Shortage of Fertiliser in Plantations	31
324	चम्बल कमांड क्षेत्र में तिलहन विकास योजना	Oilseeds Development Scheme in Chambal Command Area	31

अता० प्र०सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2130	राजस्थान आवास बोर्ड द्वारा बनाई गई गृह निर्माण योजनाएं	House construction scheme formulated by Rajasthan Housing Board . . .	31–32
2131	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers .	32–33
2132	मध्य प्रदेश में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए केन्द्रीय निधि से स्वीकृत की गई धन राशि	Amount sanctioned from the Central Funds for Construction and Repair of Roads in Madhya Pradesh . .	33–34
2133	दिल्ली में अतिथि नियंत्रण आदेश का उल्लंघन	Violation of Guest Control Order in Delhi . . .	34
2134	फल तथा सब्जी उत्पाद निगम	Fruit and Vegetable Products Corporation . . .	34–35
2135	वर्ष 1973-74 के दौरान चीनी का उत्पादन	Sugar production during 1972-73	35
2136	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों की बिक्री	Sale of DDA Built Flats	35–36
2137	ग्रेटर कैलाश भाग दो, नई दिल्ली में बूस्टर पम्प	Booster Pump in Greater Kailash Part II, New Delhi .	36
2138	किसानों से गेहूं की वसूली के बारे में 2 जून, 1974 को राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठक	Meeting with State Food Ministers on 2nd June, 1974 Re: Procurement of Wheat from Farmers . . .	37
2139	डीजल से चलने वाले इंजनों को गाय के गोबर को गैस से चलाने के लिए 'कनवर्जन किट'	Conversion kit to run Diesel Engines on Cow Dung .	37
2140	मंडियो में गेहूं की आमद तथा वसूली के बारे में 21-5-74 को कुछ राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बठक	Meeting of Food Ministers of certain States on procurement and Arrival of Wheat in Mandies on 21-5-74 . .	38
2141	पांचवी योजना के दौरान वन रोपण	Afforesation during Fifth Plan	38–39
2142	लद्दाखो छात्रों को छात्रवृत्ति	Scholarship to Ladakh Students	39
2143	देशीय उर्वरक बनाने के लिए किसानों को ऋण	Loans to Farmers for creating Indigenous Fertilizers .	39
2144	वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान पंजाब को चावल और चीनी की सप्लाई	Rice and Sugar to Punjab during 1972-73 & 1973-74 . .	40

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2145	आवश्यक खाद्य वस्तूओं के मूल्यों में वृद्धि	Increase in price of Essential Food Articles . . .	40
2146	राजस्थान को वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान सप्लाई किया गया चावल तथा चीनी	Rice and Sugar supplied to Rajasthan during 1972-73 and 1973-74 . . .	40–41
2147	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के लिए विदेशी ठेके	Foreign contracts for National Building Construction corporation . . .	41–42
2148	हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई	Supply of Drinking Water in Rural Areas of Himachal Pradesh	42
2149	नये तेलवाहकों के नाम धार्मिक नेताओं के नाम पर रखना	Naming the New Tankers on the basis of Religious Leaders	43
2150	दिल्ली परिवहन निगम को हुआ लाभ	Profit earned by DTC .	43
2151	वर्ष 1973-74 में बंद किये गये केन्द्रीय विश्वविद्यालय	Central Universities closed during 1973-74 . . .	43–44
2152	सरकारी क्षेत्र महानगरीय दुग्ध योजनाओं के विस्तार में विलंब	Delay in Expansion of Public Sector Metropolitan Milk Scheme	44
2153	उर्दू बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री	Sale of books published by Urdu Board . . .	45
2154	भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान फिर से प्रारंभ करने के लिए वार्ता	Discussion between India and Pakistan for Resuming Cultural exchange . . .	45
2155	तिलहनों का उत्पादन	Production of oil seeds .	45–47
2156	चीनी उत्पादकों के लिए लेवी चीनी के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of levy sugar to Sugar manufacturers . .	47
2157	विकलांग विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्तियां	Scholarships awarded to physically Handicapped students .	47–49
2158	पम्पों में पेय जल की सप्लाई के लक्ष्यों की प्राप्ति	Target achieved for supply of drinking water in States .	49
2159	दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध रजिस्टर्ड मामले	Number of cases registered against Fair Price shops in Delhi	49

अता०प्र०संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2160	दिल्ली में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा मिल्क-बूथों के निर्माण का विरोध	Opposition to construction of milk Booths by National Dairy Development Board in Delhi	50
2161	सफदरजंग उपरि पुल को यातायात के लिए खोलना	Commissioning of Safdarjung Fly Over	50
2162	छात्र कल्याण एकक स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal for formation of Students Welfare Units .	50
2163	गुजरात में वनस्पति के मूल्य, नियंत्रित मूल्य से अधिक होना	Vanaspati costing more than controlled price in Gujarat .	51
2164	गुजरात में दूध का उत्पादन	Milk Production in Gujarat .	51
2165	राष्ट्रीय कृषि औद्योगिक निगम, दिल्ली द्वारा दुर्विनियोग के बारे मे जांच	Enquiry into misappropriation of fund by National Agro-Industrial Corporation, Delhi	51
2166	राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रमाणित बिनौलों का उत्पादन तथा विपणन	Production and Marketing of certified cotton seeds as recommended by National Commission on Agriculture .	52
2167	वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान वनस्पति में मंगफली के तेल की प्रतिशतता	Percentage of Groundnut Oil in Vanaspati during 1972-73 and 1973-74 . . .	52–53
2169	दिल्ली परिवहन निगम रूट संख्या 107 पर 5 मिनट की सेवा आरंभ करना	Introduction of Five minute service on Route No. 107 of DTC	53
2170	केरल में बेकार कृषि स्नातक	Unemployed Agricultural Graduates in Kerala . .	53–54
2171	आयातित उर्वरको में केरल राज्य का भाग	Share of Kerala in Imported Fertilizers . . .	54
2172	गत पांच महीनो में केरल को चीनी की सप्लाई	Sugar to Kerala During Last Five Months . . .	54
2173	दिल्ली में जमा किये गये वनस्पति घी को बाहर निकालना	Unhoarding of Vanaspati in Delhi . . .	55
2174	चीनी की खपत कम करने और निर्यात बढ़ाने के लिए की गई कार्यवाही	Steps taken to Curb Consumption of Sugar and Boost Export	55
2175	दिल्ली में अपने निजी मकानों के मालिक सरकारी कर्मचारी	Government Servants having their own Houses in Delhi	55–56

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2176	नई दिल्ली के डी० आई० जेड०/ मिन्टो रोड क्षेत्रों में सरकारी क्वार्टरों का निर्माण कार्य	Construction Work of Government Quarters in DIZ/Minto Road Areas, New Delhi .	56
2177	दरभंगा फ़ार्बेसगंज सड़क का निर्माण	Construction of Dharbhanga Forbes Ganj Road . .	56–57
2178	दिल्ली विकास प्राधिकरण की फ्लैटों के निर्माण संबंधी योजना	D.D.A.'s Plan for construction of Flats . . .	57
2179	देश में पेयजल सुविधा से वंचित ग्राम	Villages without drinking water in the country . . .	57–59
2180	गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्रमें पेय जल का अकाल	Water Famine in Saurashtra Region in Gujarat State .	60
2181	पारादीप और कोणार्क को जोड़नेवाली सभी मौसमो में उपयोग में लाई जा सकने वाली सड़क	Steps to Construct All weather Road Connecting Paradeep and Konarak . . .	60
2182	शिशु आहार की चोर बाजारी	Black Marketing of Baby Food	60–61
2183	मध्य प्रदेश स्थित भारतीय खाद्य निगम में एक ही पद पर दो अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Two Officers against one Post in FCI Madhya Pradesh . .	61
2184	रामगढ़ में एक विशाल गव्हर (क्रेटर) का पता लगाया गया	Discovery of Crater in Ramgarh	61
2185	मंगलौर पत्तन का तलकर्षण	Dredging of Mangalore Port	61–62
2186	चीनी के निर्यात से अर्जित मुद्रा	Foreign Exchange earned by Exporting Sugar . . .	62
2187	अनाज वसूली लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में राज्यों को निर्देश	Directives to States to Achieve Food grains procurement Targets	62
2188	भारतीय कृषि अनुसंधान में कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की स्थापना	Agricultural scientist Recruitment Board in ICAR . .	62–63
2189	उत्तर प्रदेश में विकलांग पुनर्वास केन्द्र स्थापित करना	Setting up of Handicapped Rehabilitation Centres in U.P.	63
2190	उर्वरकों के व्यापारियो द्वारा परिवहन द्वारा माल ले जाने के झूठे दावे	False claims for transportation of goods by Traders connected with Fertilisers . .	63–64

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2191	अनाज के बेहतर उत्पादन, वसूली और वितरण के लिए मुख्य मंत्रियों के साथ सम्मेलन करने का प्रस्ताव	Proposal for conference with Chief Ministers for better production, procurement and distribution of food grains .	64
2192	निर्बल राज्यों में सहकारी ऋण ढाँचे का पुनर्विलोकन	Review of Cooperative Credit Structure in weaker States .	64–65
2193	"नेशनल टनेज क्लब आफ फारमर्स"	National Tonnage Club of Farmers	65–66
2194	बम्बई विश्वविद्यालय के बारे में डा० वागले का प्रतिवेदन	Dr. Wagle Report on Bombay University	66–67
2195	पेस्टीसाईड पाएजनिंग	Pesticide Poisoning	67
2196	बिहार और उड़ीसा में नई फसल प्रणाली	New Crop method in Bihar and Orissa	67
2197	वनस्पति निर्माताओं को घी के डिब्बों के लिए लोहे का कोटा	Iron quota for ghee containers to Vanaspati manufacturers .	68
2198	श्यामलाल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल की सेवा अवधि में वृद्धि	Grant of extension to Principal Shamlal College, Delhi University . . .	68
2199	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किलों के कार्य-प्रभारित कर्मचारी	Workcharged Staff of Arunachal Pradesh Circles of C.P.W.D.	68–69
2200	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरूणाचल प्रदेश सर्किलों के कर्मचारी	Workers of Arunachal Pradesh Circles of C.P.W.D. . .	70
2201	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली सेन्ट्रल इलैक्ट्रिकल सर्किल दो के अंतर्गत डिवीजनों का अनुमानित कार्यभार	Estimated workload of Division under the Delhi Central Electrical Circle II of C.P.W.D.	70
2202	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के गाजियाबाद सेन्ट्रल डिवीजन का अनुमानित कार्यभार	Estimated workload of Gaziabad Central Division of C. P. W. D.	71

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2203	फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली के सर्वेन्ट क्वार्टरों में वनस्पति घी के डिब्बों का भंडार	Storing of Vanaspati tins in servant quarters at Ferozeshah Road, New Delhi . .	71
2204	सुपर बाजार में अधिक मूल्य	High price in Super Bazar	71–72
2205	गत वर्ष के दौरान पटसन की खेती के अधीन भूमि में कमी	Fall in Jute Acreage during last year . . .	72
2206	राज्यों में बच्चों के लिए समेकित विकास कार्यक्रम आरंभ करना	Introduction of Integrated Development Programme for Children in States .	72–73
2208	बीज और उर्वरक प्राप्त करने में कपास उत्पादकों की कठिनाइयां	Difficulties of Cotton Growers in getting Seeds and Fertilizers	73
2209	'लोटस सूत्र' का राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा पुनःमुद्रण	Reprinting of Lotus Sutra by National Book Trust . .	74
2210	केरल में राष्ट्रीय राजपथों के व्यय में कटौती का प्रभाव	Impact of cut in expenditure on National Highways in Kerala	74
2211	वैस्ट कोस्ट रोड को छोटा तथा मजबूत बनाया जाना	Shortening and strengthening the West Coast Road .	74–75
2212	अलवाई से कालीकट तक राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 का मार्ग बदलना	Deviation in National Highway No. 47 from Alwaye to Calicut	75
2213	केरल में गंदी बस्तियों को हटाने के लिए सहायता	Assistance for slum clearance in Kerala . . .	75
2214	अखिल भारतीय गणना आयोग का प्रतिवेदन	Report of All India Sugarcane Commission . .	75–76
2215	शिवापुरम मंदिर से चुराई गई नटराज की मूर्ति का अमरीका में टेलीविजन पर प्रदर्शन	Showing on U.S. T.V. on Natraj idol stolen from Sivapuram Temple . . .	76
2216	नार्थ तथा साऊथ एवेन्यू में संसद सदस्यों के फ्लैटों में आह्वान घंटियां (काल बैल) के लिए नई वायरिंग प्रणाली	New wiring system for call bells in North and South Avenue M. Ps. Flats . . .	76

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2217	दिल्ली परिवहन निगम की बसों की मार्ग पट्टिकाओं को दिखाये जाने के बारे में शिकायतें	Complaints about the display or route plates on DTC Buses	77
2218	विभिन्न राज्यों में खाद्य दंगे	Food Riots in different states	77
2219	टिड्डियों के कारण हानि का सर्वेक्षण	Survey of loss due to locusts	77–78
2220	आदिवासी भाषाओं को प्रोत्साहन देने हेतु दी गई राशि	Amount granted to encourage Tribal languages . . .	78
2221	गो-रक्षा संबंधी समिति का प्रतिवेदन	Report of the committee on Cow Protection . . .	78
2222	गेहूं के खुदरा मूल्य (रिटेल प्राइस) निर्धारित करने के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Chief Ministers on Fixation of Retail price of Wheat . . .	78
2223	सुलतानगंज में गंगानदी पर पुल बनाने हेतु विश्व बैंक से ऋण	World Bank loan for Bridge across the Ganga at Sultanganj	79
2224	किंग्सवे कैम्प, दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से चीनी की चोरी	Sugar stolen from FCI Godowns in Kingsway Camp, Delhi .	79
2225	बम्बई पत्तन पर यातायात में कमी	Decline in Traffic in Bombay Port	79
2226	पांचवीं योजना में उर्वरकों की मांग, उत्पादन और आयात	Requirements, production and Import of Fertiliser in Fifth Plan	79–80
2227	पश्चिम बंगाल में मत्स्यपालन उद्योग में आत्मनिर्भरता	Self sufficiency in Fishery in West Bengal . .	80
2228	उत्तर प्रदेश से निर्यात की जाने वाली मछलियों का बाजार में उनकी बिक्री से पूर्व निरीक्षण	Inspection of fish exported from U.P. before their sale in market	81
2229	संसद सदस्यों को दिल्ली में भूमि का आवंटन	Allotment of Land to M.Ps. in Delhi	81–82
2230	त्रिनगर में अपर्याप्त परिवहन सुविधाएं	Inadequate Transport Facilities in Trinagar . .	83–84
2231	उर्वरकों की कालाबाजारी तथा उनका वितरण	Blackmarketing in Fertilisers and its distribution . .	84

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2232	पोलैंड द्वारा मत्स्यपालन उद्योगों को सहायता देने की पेशकश	Offer of Aid from Poland for Fishing Industry . .	84
2233	उत्पादित और आयातित उर्वरकों की मात्रा तथा इसका मूल्य	Quantity and Price of Fertilisers Produced and Imported .	84–86
2234	बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों का नवीकरण	Renovation of Badrinath and Kedarnath Temples . .	87
2235	कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में नयी यातायात व्यवस्था	New traffic System in Connaught Place, New Delhi .	87
2236	रासायनिक खादों के मूल्य में वृद्धि और उनकी ऊँचे मूल्यों पर बिक्री	Increase in price of Chemical Fertiliser and their sale at higher price	88
2237	लघु पत्तनों के विकास संबंधी समिति की सिफारिशें	Recommendations of Committee on Development of Minor Ports . . .	89
2239	धान तथा चावल के बाजार मूल्यों को वसूली मूल्य स्तर तक लाने के प्रयास	Steps taken to bring down market rates of paddy and rice at the level of Procurement Price	89
2240	मध्य प्रदेश में सिंचाई प्रयोजनों के हेतु भूमिगत जल के लिए किया गया सर्वेक्षण	Survey conducted for Groundwater for Irrigation purposes in Madhya Pradesh .	89–90
2241	दिल्ली में उचित मूल्य की दूकानों पर खाद्यानों के मूल्य में वृद्धि	Increase in pice of foodgrains at Fair Price Shops in Delhi	90
2242	राज्यों में गोबर गैस संयंत्र और उन पर किया गया व्यय	Gober Gas Plants in States and expenditure thereon . .	90–91
2243	खरीफ के फसल के अनुमान	Estimates of Kharip Crop .	92
2244	नालन्दा विश्वविद्यालय से बुद्ध-प्रतिमा के शिरोभाग की चोरी होना	Buddha head stolen from University of Nalanda . .	92
2245	शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में वाइस प्रिंसीपल, प्रिंसीपल और उप-शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति	Provision of appointment of Vice Principal, Principal and Deputy Education Officers in Education Directorate, Delhi	92–93
2246	मध्य प्रदेश में केला विकास योजना	Banana Development Scheme in Madhya Pradesh . .	93
2247	मेघालय को भेजे जाने वाले उर्वरक अन्यत्र भेजे जाने संबंधी मामले की जांच	Enquiry into diversion of Fertiliser meant for Meghalaya	94

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2248	मध्य प्रदेश के खारगौन तथा मन्दसौर जिलों में मूंगफली का विकास	Groundnut Development in Khargone and Mandsaur, M. P.	94
2249	वसूली नीति के परिणाम	Results of procurement policy	94–95
2250	बाघ के संरक्षण के लिए वन्य प्राणी निधि	Wild Life Fund for Preservation of Tiger	95
2251	सरकार द्वारा दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समिति को भूमि का आबंटन	Alotment of Land to Cooperative House Building Society in Delhi	95
2252	दिल्ली में रहस्यमय बीमारी के कारण पशुओं की मृत्यु होने के बारे में जांच	Enquiry into Death of Cattle due to Mysertious Disease in Delhi . . .	96
2253	दिल्ली में अधिक संख्या में सुपर बाजारों का खोला जाना	Opening of more Super Bazars in Delhi . . .	96
2254	गुजरात में भू-राजस्व और तकावी की वसूली का स्थगित किया जाना	Suspension of Recovery of land Revenue and Taccavi in Gujarat . . .	97
2255	गुजरात द्वारा गेहूं वसूली के लक्ष्य में कमी करना	Reduction in Wheat Procurement Target by Gujarat .	97
2256	तूतीकोरिन स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से गेहूं का चोरी होना	Wheat missing from FCI Godown Tuticorin . . .	97–98
2257	वनस्पति उत्पादकों द्वारा सस्ते किस्म के तेलों का उपयोग किया जाना	Use of cheap variety of oils by Vanaspati Manufacturers .	98
2258	मध्य प्रदेश में 'आपरेशन फ्लड' योजना	Operation Flood Scheme in Madhya Pradesh . .	98
2259	एशियन प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा आयोजित फार्म सिम्पोजियम	Farm Symposium Organised by Asian Productivity council .	98–99
2260	रणजीत नगर कालौनी में पानी की टंकी	Water Tank installed in Ranjit Nagar Colony . . .	99

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2261	भारतीय खाद्य निगम द्वारा सोयाबीन परिष्करण संयंत्र की स्थापना	Setting up of Soyabean Processing Plant by FCI . .	99–100
2262	नई दिल्ली में रियायती दरों पर पत्रकारों को सरकारी फ्लैटों का आबंटन	Allotment of Government Flats to Newsmen at Concessional rates in New Delhi . .	100
2263	1974 में 'साइंस टेलेन्ट सर्च' स्कालरशिप के लिए चुने गए विद्यार्थी	Students selected for Science Talent Search Scholarship during 1974 . . .	100–01
2265	हरियाणा में क्षमता से कम काम करने वाले वनस्पति संयंत्र	Vanaspati Plants in Haryana Working below Capacity .	101–02
2266	आदिवासियों से गैर आदिवासियों को भूमि का हस्तांतरण	Transfer of land from Tribals to Non Tribals . . .	102
2267	बेरोजगार कृषि स्नातक तथा पांचवीं योजना में उनके रोजगार की योजना	Unemployed Agriculture Graduates and Scheme for their Employment during Fifth Plan	102–03
2268	भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद् में रिक्त पड़े तकनीकी तथा वैज्ञानिक पद	Technical and Scientific posts lying vacant in ICAR .	103–04
2269	सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन	Allotment of Quarters to Government Employees . .	104–05
2270	कनाट प्लेस, नई दिल्ली में कारें खड़ी करने के लिए नियत स्थानों की नीलामी	Auction of Car Parking Places in Connought Place, New Delhi	106
2271	संसद सदस्यों को भूखंडों का आबंटन	Allotment of Plots of Land to Members of Parliament .	106
2272	नई दिल्ली के वेल्फेयर की नई दिल्ली नगरपालिका के अध्यक्ष के साथ बैठक	Meeting of President, N.D.M.C. with Welfare Associations of New Delhi. . . .	106–07
2273	जिला कालाहांडी, उड़ीसा में धान और चावल की वसूली के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई अग्रिम धनराशि	Money Advanced by FCI for Procurement of Paddy and Rice in District Kalahandi, Orissa . . .	107

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2274	ईस्ट मोतिया बाग सराय रोहिल्ला, दिल्ली का विकास	Development of East Motia Bagh, Sarai Rohilla, Delhi	107
2275	ईस्ट मोतिया बाग, सराय रोहिल्ला दिल्ली में सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Amenities in East Motia Bagh, Sarai Rohilla, Delhi . . .	108
2276	श्यामलाल कालेज, दिल्ली के प्रबंधकों द्वारा अध्यापकों का मुअत्तल किया जाना	Suspension of Teachers by Management of Shamlal College, Delhi	108
2277	सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन यूनिट का बंद किया जाना	Closure of Central Road Transport Corporation Unit .	108–109
2278	संथाली भाषा की लीपि	Script of Santhali Language .	109
2279	चावल उत्पादन के लिए कीटाणुओं पर नियंत्रण	Pest Control for Rice Production	109–10
2280	शास्त्री की उपाधि प्रदान करने वाली संस्थायें	Institutions Awarding Degree of Shastri . . .	110
2281	वनस्पति घी बनाने के लिए फर्मों को सप्लाई की गई कच्चे माल की मात्रा	Quantity of Raw Material Supplied to Firms for Manufacture of Vanaspati . .	110–11
2282	बम्बई सिटी में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार करने के लिए कार्यवाही	Steps to improve the Life of People Living in Slums in Bombay City . . .	112
2283	ग्राम सुधार समिति गरकपुर, मोची बाग, नई दिल्ली से प्राप्त ज्ञापन	Memorandum from Gram Sudhar, Samiti, Garakhpur, Mochi Bagh, New Delhi .	112
2284	टाइप I क्वार्टर की बिना पारी के आबंटन के लिए आवेदनपत्र	Application for out of turn allotment of Type I quarters .	113
2285	केरल के अलराम फार्म संबंधी जाँच समिति का प्रतिवेदन	Report of Enquiry Committee on Alarm Farm, Kerala .	113
2286	लोधी कालोनी, नई दिल्ली की चमरियों में बिजली की व्यवस्था	Provision of Electricity in Chummaries of Lodhi Colony, New Delhi . . .	114
2287	यू० एन० आई० सी० ई० एफ० के अन्तर्गत में शुरू किए गए कार्यक्रम	Programmes Undertaken under UNICEF . . .	114

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2288	राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा आपरेशन फ्लड योजना की क्रियान्विति	Implementation of Operation Flood by National Dairy Development Board . .	114
2289	कांडला पत्तन पर वनस्पति निर्माताओं के लिए आयातित तोरिया के तेल का पड़ा रहना	Rapeseed Oil imported for Vanaspati Manufacture lying at Kandla Port . . .	115
2290	खाद्यान्नों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में पुनर्विचार	Second thought on Public Distribution system of Foodgrains	115
2291	खंडवा, मध्य प्रदेश में सघन कपास कार्यक्रम	Intensive Cotton Programme in Khandwa, M.P. . .	115–116
2292	इंदौर में एक करोड़ रुपये की लागत की एक कृषि अनुसंधान कार्यान्वियन परियोजना	Rs. 1 Crore Agricultural Research Implementation project at Indore . . .	116
2293	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के लिये निदेशक का चयन	Selection of Director for IIT Kharagpur . . .	116–17
	सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table .	117–19
	राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	119
	प्रैस परिषद (संशोधन) विधेयक—	Press Council (Amendment) Bill—	
	राज्य सभा द्वारा पारित रूप में रखा गया	As passed by Rajya Sabha-Laid	119
	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	Committee on Subordinate Legislation—	
	तेरहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया.	Thirteenth Report—presented	119
	रल मंत्री द्वारा दी गई कतिपय जानकारी में कथित त्रुटि के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य	Statement by Member Re. Alleged Inaccuracy in certain information given by the Minister of Railways .	119–20
	नियम 377 के अधीन मामले—	Matter under Rule 377—	
	अहमदाबाद टेलीफोन एक्सचेंज में महिला टेलीफोन आपरेटरों के साथ पुरुष मानीटरों द्वारा कथित दुर्व्यवहार	Reported misbehaviour of Male Monitor with Female Telephone operators in Ahemedabad Telephone Exchange .	120–21

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1974	Finance (No. 2) Bill, 1974—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta	125–26
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	126–27
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey	127
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y.S. Mahajan	128
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	128–29
श्री निम्बालकर	Shri Nimbalkar	129–30
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal	130–32
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	132–33
श्री पी० के० देव	Shri P.K. Deo	133–34
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga	134–35
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra	135–36
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	136–37
आधे- 'टे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion—	
दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी—	Delhi School Teachers Cooperative House Building Society—	
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra	137–38
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	139–40

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 12 अगस्त, 1974/21 श्रावण, 1896 (शक)
Monday August 12, 1974 / Sravana 21, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Losses suffered by Shipping Corporation of India

*302. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether the Shipping Corporation of India suffered losses out of its operation of two passenger-*cum*-cargo services, namely, India–East Africa Service and India Straits Service during 1970–71;

(b) if so, the quantum of loss suffered; and

(c) the reasons therefor?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) भारतीय जहाज रानी निगम को 1970-71 में अपनी दो यात्री एवं माल सेवाओं अर्थात इंडिया/ईस्ट अफ़्रीका सेवा, तथा इंडिया/स्ट्रेट्स सेवा के परिचालन में घाटा हुआ ।

(ख) 1970-71 में निगम को इन दो सेवाओं के परिचालन में हुआ घाटा निम्न प्रकार है :

इंडिया/ईस्ट अफ्रीका सेवा	19.64 लाख रुपए
इंडिया/स्ट्रेट्स सेवा	20.96 लाख रुपए

(ग) इन सेवाओं में घाटा मुख्यत: इस कारण से हुआ कि इस चालन में लगाये गये दो जहाज बहुत पुराने हो गये थे । इन जहाजों के पुराने होने के कारण इनके परिचालन की लागत और रखरखाव व्यय में बड़ी तेजी से वृद्धिधया हुई और फलत: और अधिक स्थायी खर्च करने पड़े ।

Shri M. C. Daga : Mr. Speaker, Sir, there has been a loss of Rs. 40,60,000/- during one single year. Is it a petty sum ? I would like to know from the Honourable Minister as to when he came to know that ships were old and when new ships were ordered and when were they actually purchased ? I would also like to know as to how long this loss continued ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक नौवहन सेवाओं के कार्यकरण का सम्बन्ध है, यह सच है कि कुछ क्षेत्रों में हमें घाटा होता है और कुछ मार्गों पर लाभ होता है । इसलिए, हमें सारी स्थिति पर सन्तुलित रुप से विचार करना है । जहां तक पुराने जहाजों की आयु का सम्बन्ध है, यह सच है कि हमने इन पुराने जहाजों को बदलने के लिए क्रयादेश दिया था । भारत और पूर्वी अफ्रीका के बीच चलने वाले 'स्टेट आफ हरियाना' जहाज को बदलने के लिए 1968 में क्रयादेय दिया गया था, परन्तु अभी तक हमें हर्षवर्धन नामक तथा जहाज प्राप्त नहीं हुआ है, जो मजगाँव डाक्स में बनाया जा रहा है।

जहाँ तक इण्डिया स्ट्रेट्स सेवा के जहाज के बदलने का सम्बन्ध है, जहाज बदल दिया गया है और पिछले वर्ष से इस क्षेत्र में नौवहन निगम को फायदा होना शुरु हो गया है ।

Shri M. C. Daga : The Honourable Minister has not replied to my question. I wanted to know whether the proposal was accepted in the year 1964 and then it was operated in June, 1968 after four years and the Public Accounts Committee has also considered it unjustified.

In the main question, it has been stated that there had been a loss of Rs. 40,60,000/- in the year 1971. I wanted to know as to when you came to know of this loss and when was the order placed and when was it implemented ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यह सच है कि लोक लेखा समिति ने यह बात सरकार के ध्यान में लाई थी। यह बताया गया था कि यद्यपि निर्णय 1964 में लिया गया था और यह 1968 में किया गया और इसमें विलम्ब किया गया । जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कम्पनी को उस साल के अन्त में घाटे का पता चला, जबकि वार्षिक लेखा तैयार किया गया और तब यह पाया गया कि कुछ क्षेत्रों में घाटा हो रहा है और कुछ अन्य क्षेत्रों में लाभ हो रहा है।

Shri M. C. Daga : Why should honourable Minister avoid my question? When did they came to know of the loss ?; In 1971, there was a loss of Rs. 40,60,000/- and when did you come to know of this loss ? He must answer my question. I do not want his replies, but he must answer my question.

Mr. Speaker : You kindly ask the direct question peacefully. We have to pass a whole day here.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : वह उस वास्तविक तारीख को जानना चाहते हैं, जबकि कम्पनी को यह पता चला कि उसे घाटा हो रहा है। प्रत्येक वर्ष जबकि लेखे को अंतिम रुप दिया जाता है, तभी उन्हें इन बातों के बारे में पता लगता है। कुछ वर्षों के आंकड़े मैं दे सकता हूँ। वर्ष 1969–70 में 9.79 लाख रुपये का घाटा हुआ ; वर्ष 1970–71 में दोनों नौवहन कम्पनियों को 40.60 लाख रुपये का घाटा हुआ। इण्डिया-ईस्ट आफ्रीका सर्विस को वर्ष 1971-72 के दौरान 26.37 लाख रुपये का घाटा हुआ। वर्ष 1972-73 में 18.55 लाख रूपये का घाटा हुआ । वर्ष 1973-74 के लिए घाटे के अनन्तिम आँकडे 38.01 लाख हैं।

श्री श्रीकान्तन नायर : मैं यह जानना चाहता हूँ कि...

श्री मूल चन्द डागा खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अदालत की तरह आप यहाँ क्रास-एक्जामिनेशन नही कर रहे हैं। सम्भवत : आप वकील और संसद सदस्य दोनों की क्षमताओं का मिश्रण कर देते हैं।

Shri M. C. Daga : I would like to know whether any action has been taken against the officers, who gave orders for this, after four years ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : अगर आप अपने प्रश्न को दुबारा पूछे . . .

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। श्री श्रीकान्तन नायर।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : अपने उत्तर में मन्त्री महोदय ने यह कहा कि अफ्रीकी देशों को कुछ सेवायें छोड़ दी जाती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि केरल से नारियल जटा और अन्य वस्तुओं के निर्यातकर्ता व्यापारियों को अफ्रीकी देशों के साथ अपने व्यापार में पिछले तीन वर्षों के दौरान काफी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ा।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : अपने उत्तर में मैंने यह कहा है कि कुछ जहाजों को बदल दिया गया है। जहाँ तक इण्डिया-स्ट्रेटस सेवा का सम्बन्ध है, उसमें एक 'चिदम्बरम' नामक जहाज है, जो अपेक्षाकृत नया है। जहाँतक पूर्व अफ्रीकी देशोंका सम्बन्ध है, हम पुराने जहाज को बदलने की स्थिति में नहीं है। जहाँ तक "स्टेट आफ हरियाना" का सम्बन्ध है, हम इसे "हर्षवर्धन" नामक नये जहाज से बदल देंगे और यह नया जहाज वर्ष के अन्त तक उपलब्ध हो जायगा। निस्सन्देह यह सम्भव नहीं है कि हर साल प्रत्येक स्थान के लिए नौवहन सेवा उपलब्ध की जाए, परन्तु विश्व के विभिन्न भागों को भारतीय निर्यात के कार्य में सहायता देने की दृष्टि से निर्यात व्यापार में वृध्दि करने के लिए हम हर सम्भव सहायता कर रहे है ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : श्रीमानजी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन घाटे की रकमों को पूरा करने के लिए सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था कि भारत-पूर्वी अफ्रीकी सेवा को मारीशस तथा लेटिन अमरीकी देशों तक बढाया जाय, जिससे न केवल घाटे की ही पूर्ति होगी, बल्कि निर्यात प्रोत्साहन के कार्य में भी वृद्धी होगी? मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : सेवाओं को बढ़ाने के लिए अनेक प्रस्ताव किये जाते है, परन्तु उनसे घाटे की रकमों में कभी नहीं होती, बल्कि और अधिक वृध्दि होती है, क्योंकि उस मामले में हमारी कार्य चालन लागत में भी वृध्दि हो जायगी ।

श्री के० लकप्पा : श्रीमान् जी, मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में इन सेवाओं के संचालन के कारण होने वाले घाटे के निश्चित कारणों का उल्लेख नहीं किया है। इसलिए, मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हमें भारी मात्रा में घाटे इसलिए उठाने पड़े रहेहैं, क्योंकि जहाजों के निर्माण के मामले में भारतीय नौवहन निगम दूरदर्शित का अभाव रहा है और उसने उचित सावधानी नहीं बनती और जहाजों के निर्माण में अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का लगन से निर्वाह नहीं किया ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं, क्योंकि भारतीय नौवहन निगम इस देश के सर्वश्रेष्ठ सरकारी उपक्रमों में से एक है। प्रत्येक वर्ष के समग्र कार्य को ध्यान में रखते हुए, उन्हें भारी मुनाफा हो रहा है। पिछले वर्ष आठ करोड़ रुपये का लाभ हुआ था।

श्री एच० एम० पटेल : क्या मन्त्रालय ने इस बारे में अपने आपको आश्वस्त कर लिये है कि नये जहाओ के लिए क्रमादेश देने में जो विलम्ब हुआ, वह उचित था ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि यह अफसोस की बात है कि क्रयादेश देने में कुछ विलम्ब हुआ। वर्ष 1964 में क्रयादेश देने को जरूरी समझा गया था। परन्तु मजगाँव डॉक को क्रयादेश दिया गया, तब यह उम्मीद थी कि 31 अक्तूबर 1973 तक जहाज उपलब्ध हो जायेंगे। परन्तु अफसोस की बात है कि वे अपना काम पूरा नहीं कर पाये और इसलिए, इस समय को बढ़ा दिया गया। जहां तक अन्य कोई जगह से पुराने जहाज को खरीदने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी पुराना जहाज आसानी से उपलब्ध नहीं होता ।

श्री एच० एम० पटेल : जहाज के निर्माण और उसे उपलब्ध करने में 1972 से 1974 तक दो साल का विलम्ब हुआ ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : ऐसा इसलिए हुआ कि फालतू पुर्जे प्राप्त नहीं हो रहे थे ।

गुजरात राज्य को उर्वरकों की सप्लाई

*303. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने वर्ष 1973–74 के लिये उर्वरकों की कुल कितनी मांग भेजी थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उर्वरकों की कुल कितनी मात्रा सप्लाई की गई ;

(ग) क्या उर्वरकों की सप्लाई मांग की तुलना में बहुत कम थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ग) गुजरात राज्य सरकार ने 1973–74 (फरवरी 1973 से जनवरी 1974 तक) के लिए कुल 2.9 लाख मीटरी टन एन०पी० और के० पोषक तत्वों की मांग की थी। राज्य सरकार से विचार-विमर्श करने के बाद अन्तिम रूप से 2·5 लाख मीटरी टन एन० पी० और के० पोषक-तत्वों की आवश्यकता वीकार की गई थी ।

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य को 2·1 लाख मीटर टन एन० पी० और के० पोषक तत्वों की सप्लाई की गई थी ।

(ग) इस राज्य की अनुमानित आवश्यताओं से केवल 16 प्रतिशत कम उर्वरकों की सप्लाई की गई थी ।

(घ) इस राज्य को कम सप्लाई आयान से उर्वर कों की कम उपलब्धि होने के कारण की गई थी ।

Shri Arvind M. Patel : How long would it take to meet the gap between the requirement and supply of fertilizers ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : प्रश्न पिछले वर्ष के बारे में है। तथ्य यह है कि समग्र कमी की तुलना में गुजरात के लिये कमी की प्रतिशतता अपेक्षाकृत कम है। पिछले वर्ष की कमी को पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Arvind M. Patel : Whether keeping in view the acute shortage of the fertilizer in the State this year, Government proposes to set up a new fertilizer unit in the State for the purpose ?

श्री अण्णासाहब पी० शिन्दे : माननीय मंत्री महोदय यह प्रश्न पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय से पुछें ।

श्री के० मालन्ना : उर्वरकों की कमी की वजह से किसान अधिक से अधिक मात्रा में चीनी, मूंगफली आदि जैसी नकदी फसलों का उत्पादन करने लगे हैं । इसके परिणाम स्वरुप खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इस सबको विनियमित करने के लिए वह क्यों कार्यवाही कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत निश्चित प्रश्न है और एक सामान्य प्रश्न नहीं है।

श्री के० मालन्ना : गुजरात में भी, उर्वरकों का उचित वितरण नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : अब अपने अपने प्रश्न को विनियमित कर लिया है।

श्री पी० एम० मेहता : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि गुजरात के किसानों को 70 प्रतिशत उर्वरकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उत्पादन पर बहुत अधिक प्रतिकूल असर पड़ने की सम्भावना है ? गुजरात को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की सप्लाई करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहाँ तक गुजरात का सम्बन्ध है, गुजरात की सहायता करने के लिए भारत सरकार ने विशेष प्रयास किये हैं। गुजरात में उर्वरक की कमी का कारण गुजरात उर्वरक संयन्त्र में यान्त्रिक त्रुटि है। भारत सरकार ने विशेष सहायता की है और विशेष पूल से 50 प्रतिशत सप्लाई की गई है।

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री महोदय ने यह कहा कि गुजरात उर्वरक संयन्त्र ने उतनी मात्रा में उत्पादन नहीं किया, जितनी की उससे उम्मीद थी और इसकी वजह से गुजरात में उर्वरक की परेशानी है। यह सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि गुजरात उर्वरक संयन्त्र गुजरात को अपने कुल उत्पादन का एक निश्चित प्रतिशत ही सप्लाई करता है और शेष उत्पादन अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। इसका निर्धारण भारत सरकार करती है। इसलिए प्रश्न यह है कि क्या गुजरात को गुजरात उर्वरक संयन्त्र और पूल-दोनों ही जगह से उर्वरक का कम आवंटन किया गया ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय मन्त्री महोदय का कथन सही नहीं है। सबसे पहले मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि देश में मांग और पूर्ति के बीच अन्तर है। परन्तु जहाँ तक गुजरात को आश्वस्त सप्लाई करने का प्रश्न है–इसकी निश्चित मात्रा थी कि कितनी सप्लाई पूल से की जाय और कितनी सप्लाई स्वदेशी निर्याताओं के माध्यम से की जाय। गुजरात सरकार ने हमारी इस सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया कि कुछ सप्लाई अन्य संयंत्रों से करने दी जाय। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि गुजरात उर्वरक संयन्त्र गुजरात में स्थित है, इसलिए हमें अधिकांश सप्लाई उस संयन्त्र से की जाय। जब वह संयन्त्र यान्त्रिक त्रुटि के कारण खराब हो गया, तभी उस संयन्त्र से आवंटित उर्वरक की "कमी" हुई, जबकि पूल से शत प्रतिशत सप्लाई की गई।

†किसानों से खाद्यान की वसूली के लिए नया फार्मुला

***305. श्री अनादि चरण दास :**

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों से खाद्यान्न एकत्र करने के लिये बाधारहित प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय कृषि मंत्री ने एक नया फार्मुला प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) आदानों की सप्लाई को अधिप्राप्ति के साथ जोड़ने, भू-राजस्व को जिस रूप में वसूल करने समेत अधिप्राप्ति के दायरे को बढ़ाने के विभिन्न सुझाव कृषि मन्त्री के सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति की नीति के कार्यान्वयन की राज्य सरकारों के परामर्श से समय-समय पर समीक्षा की जा रही है ताकि नीति विषयक उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले पग उठाए जा सकें।

Shri Anadi Charan Dass : Mr. Speaker, Sir, I do accept that the foodgrains procurement policy decided by the Government is in public interest but small farmers are being harmed by it. When the fertiliser is given to farmers in lieu of it Government asks the growers for wheat or paddy. But the poor farmers who owe hardly an acre of land, how can they provide the Government with foodgrains but they are forced to do so. In Orissa and particularly in my own village, I have observed that people could not sow their Rabi crop because fertiliser was not given to them. I want to know from the Government the facilities which they have decided to give to small farmers ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : उड़ीसा में तो अभी तक लेवी या अधिप्राप्ति को उर्वरकों के साथ नहीं जोड़ा गया है। गेहूं के लिए इसे उत्तर-प्रदेश तथा राजस्थान में प्रयोगात्मक रूप में अपनया गया था। परन्तु जैसा कि मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं, यह भी हमारे विचाराधीन सुझावों में से एक है। उड़ीसा में इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है।

Shri Anadi Charan Dass : It has happened in my area and the statement of hon. Minister is not correct. They have been forced. They were asked to give with paddy in lieu of fertiliser. How can they give paddy ? I want to know what is being done by the Government for these small farmers ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न बाधारहित प्रणाली सुनिश्चित करने का था। परन्तु यह प्रश्न तो बाधारहित प्रश्न नहीं है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जब हमने उर्वरकों सम्बन्धी प्रणाली को उसके साथ जोड़ा ही नहीं है तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि माननीय सदस्य द्वारा छोटे किसानों के लिए जो चिंता व्यक्त की गई है, मैं किस प्रकार उसकी सराहना करूं। हम छोटे किसानों के हितों की सुरक्षा करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि बाजार में बेचने के लिए उनके पास अधिक खाद्यान्न नहीं होता।

श्री जे० माता गौडर : मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय खाद्यान्नों की वसूली सम्बन्धी कार्यक्रम को व्यापक बनाने वाले सुझावों पर कितनी देर तक सक्रिय रूप से विचार करते रहेंगे और उनके कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : वसूली कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया है। अपने अनुभव के आधार पर हमें समय-समय पर कदम उठाने पड़ेंगे। यह हमारा आम अनुभव है कि इतने बड़े देश के लिए यह स्वभाविक ही है कि हमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न वसूली प्रक्रियायें अपनानी पड़े। यह बहुत हद तक राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये अनुमानों, केन्द्र सरकार, तथा इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा लगाये गये निष्कर्ष पर निर्भर करता है जो वह समय-समय पर लगाते रहते है। यह तो एक सामान्य प्रश्न था कि क्या वसूली को जोड़ने सम्बन्धी कोई नया फार्मूला बनाया गया है और हमने उसके बारे में बताया कि इस प्रकार के सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

श्री ए० के० एम० इसहाक : माननीय मंत्री महोदय ने हमें उस कार्यप्रणाली के बारे में बताया जिससे कि अधिक धान की वसूली की जा सकती है। उसमें एक यह भी है कि उसे किराये की शक्ल में वसूल कर लिया जाये। क्या वह मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि पांच बीघा भूमि से अधिक भूमि वाले किसानों को भी इसमें शामिल किया जायेगा और क्या उर्वरकों की सप्लाई को राज्य सरकार के निकायों को बेचे खाद्यान्नों से सम्बद्ध किया जायेगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक इनके प्रश्न के पहले भाग यथा क्या किराये या भू राजस्व के स्थान पर इसकी वसूली की जायेंगी, वास्तव में यह तो श्री विनोबा जी द्वारा प्रधान मंत्री तथा हमारे मंत्रालय को दिया गया एक सुझाव है। इस का अध्ययन किया जा रहा है। हमारी कठिनाई यह है कि हमारा भू राजस्व 100 करोड़ रुपये का होता है जबकि हमें 1000 से 2000 करोड़ रुपये के मुल्य के खाद्यान्न की वसूली करनी है। निश्चय ही विनोबाजी ने सुझाव दिया है कि कुल उत्पादन का छटा भाग इस रूप में वसूल कर लिया जाना चाहिये। परन्तु उन्होंने इस समस्या का विस्तृत अध्ययन नहीं किया है और हमें इस का अध्ययन करना पड़ेगा तथा इसके साथ ही यह भी देखना पड़ेगा कि छोटे किसानों के बारे में क्या किया जा सकता है। जहां तक उर्वरकों को इसके साथ जोड़ने का सम्बन्ध है इसके बारे में मैं पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं।

श्री के० सूर्यनारायण : क्या केन्द्रीय सरकारों द्वारा खाद्यान्नों की वसूली के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों को मोटे रूप से कोई निदेश दिये गये हैं? यहां कई माननीय सदस्यों द्वारा यह प्रश्न भी उठाया गया है कि विभिन्न राज्यों द्वारा अपनी इच्छानुसार विभिन्न वसूली नीतियां अपनाई जा रही हैं। अतः इसीलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा वसूली नीति के बारे में कोई विशिष्ट निदेश जारी किये गये हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इन सभी मामलों पर वसूली ऋतु के आरम्भ होने से पहले ही मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार कर लिया जाता है। अतः निदेशपदों के बारे में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया जायेगा और इसके साथ ही हम सदन में माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों से भी लाभ उठायेंगे।

Shri Janeshwar Mishra : I would like to ask a direct question from hon. Minister that whether he is aware of the fact that when wheat was being procured in some states and in lieu of it fertiliser was being supplied, then the price of fertiliser fixed by the Government was much more as compared to procurement price of wheat. The price of fertiliser was doubled and wheat price was also revised from rupees 76 per quintal to rupees 105 per quintal. Consequently in many states farmers did not like to barter fertiliser with wheat. That is why the wheat procurement policy of the Government proved to be a failure?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : आज उर्वरक का अभाव है। इसमें संदेह नहीं कि उर्वरक एक ऐसा तत्व है जिसका इस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। परन्तु आज इसका देश में अभाव है। आज हमारे देश का किसान अधिक जागरूक हो चुका है. . .

Shri Janeshwar Mishra : May I know which is a greater scare commodity, fertiliser or wheat ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यही कारण है कि इनका जोड़ा जाना किसानों को पसंद आने की संभावना है। यह मेरा निवेदन है। उर्वरक के अभाव से सभी परिचित हैं। इसी लिए वसूली हमारी आशाओं के अनुकूल नहीं हीं पायी है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या यह सच नहीं है सम्पूर्ण वसूली अभियान केवल दो कारणों से सफल नहीं हो रहा है? इसका प्रथम कारण तो यह है कि छोटे तथा मध्यम दर्जे के किसान, जो वास्तव में सरकार के वसूली आवाहन का इसलिए उत्तर देना चाहत हैं कि उन्हें उर्वरक मिलेगा, उन्हें उर्वरक नहीं मिल रहा है। केवल इस वर्ष ही नहीं अपितु गत वर्ष भी उन्हें उर्वरक नहीं मिल पाया। इसके परिणाम स्वरूप अब उनकी धारणा यह बन गई है कि उन्हें उर्वरक नहीं केवल उर्वरक प्राप्त करने के 'स्लिप' ही दिये जायेंगे और यही कारण है कि वह वसूली कार्य में सरकार के साथ सहयोग नही कर रहे हैं। अत: उनकी सूची के अनुसार उर्वरक का मंजूर शुदा कोटा उन्हें दिलवाने के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक कार्यवाही की जा रही है? उन्हें उर्वरकों का कोटा नहीं मिल पाता है अत: क्या सपकार उन्हें उर्वरकों को सप्लाई सुनिश्चित करने की स्थिति में है? यदि सरकार ऐसा करने की स्थिति में नहीं है तो यह वसूली अभियान किस प्रकार सफल हो सकता है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इसे जोड़ना स्वाभाविक हो है। उसमें यदि कोई असफलता हुई है तो हमें उसकी जानकारी नहीं है। परन्तु मैं यह मानकर चलता हूं कि यदि माननीय सदस्य इसका उल्लेख कर रहे हैं तो वह किसी न किसी भाग में हुई होगी। यह जोड़ने वाली प्रणाली सम्पूर्ण देश पर लागू नहीं की गई थी। इसका प्रयोग केवल कुछ राज्यों में ही किया गया था। उसमें यदि कुछ अभाव है तो हमें उन्हें दूर करना ही पड़ेगा। परन्तु यह आम धारणा है कि जिन किसानों के पास अतिरिक्त खाद्यान्न हैं यदि उन्हें उर्वरकों की सप्लाई सुनिश्चित कर, उसकी वसूली की जा सकती है। अभावों को दूर किया जा सकता है।

Shri Shiv Kumar Shastri : May I know if some complaints have been received from U.P. that when Government officials had been to farmes' residence for procurement of wheat, he was not available. He was away to some of his relatives. In the meantime the lock of his godown was broken, entire food grain was removed and after weighting, the same was noted. In return, the farmer complained that his foodgrain was short of 12 quintals. May I know of similar complaints have been received and if so, what remedial measures have been taken ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमाखोरी के विरुद्ध एक आम अभियान चलाया गया था। मुझे व्यक्तिगत मामलों की कोई जानकारी नहीं है। यदि इस प्रकार की कुछ विशिष्ट शिकायतें हैं और सदस्य महोदय उनके बारे में ब्यौरा दें तो मैं उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दूंगा।

Shri Tarkeshwara Pandey : I think the hon. friend is not aware of the fact that the fertiliser was given to farmers at old prices, the sugar was also made available at old price and that is why in U.P. the procurement of wheat was in accordance with the target, rather more than that. May I know if hon. Minister is aware of it?

Mr. Speaker : How does he know ? You please tell him.

Shri Omkar Lal Berwa : In Rajsthan, maximum procurement was made but may I know if hon. Minister is aware of the fact that the small farmers were beaten with sticks and even the foodgrains for their own requirement were not left with them ? May I know if it has been inquired by the hon. Minister ? The scheme is formulated by Centre but implemented by State Government. May I know from hon. Minister whether that was done by the State Government ? Was there any scheme to beat them with sticks ? The Rajasthan Government procured the wheat after beating the farmers with sticks. May I know if it was provided in your scheme that nothing should be left with the farmers and not even a grain for his personal consumption ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह कहना ठीक नहीं है कि राजस्थान में गेहूं की वसूली सब से अधिक की गई। वहां वसूली नहीं की गई और वहां की अधिकांश वसूली उर्वरकों की सप्लाई के साथ जुड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के डराने धमकाने वाले तरीके नहीं अपनाये गये थे। परन्तु यदि कोई आवश्यकता से अधिक जमा किये हुये था और उसके लिए यदि राज्य सरकार द्वारा कुछ डराने धमकाने की कार्यवाही की गई तो वह उचित ही थी।

वृक्षों की पैदावार (हारवैस्टिंग) का नया तरीका

*311. **श्री राजदेव सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि जारजिया (अमरीका) में वन वैज्ञानिकों ने वर्तमान 20 से 40 वर्ष की अपेक्षा प्रत्येक दूसरे तीसरे वर्ष बाद गुदा-लकड़ी के लिये वृक्षों की पैदावार का "साइलेज साइकामोर" नामक नया तरीका खोज निकाला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सस्ते तरीके को अपनाने के लिये भारतीय वन वैज्ञानिकों को ज्ञान प्राप्त है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां।

(ख) यदि साइकामोर आफ जारजिया (अमरीका) की किस्मों के समान कोई ऐसी वृक्ष जाति उपलब्ध हो जाएं जो भारतीय परिस्थितियों में ठीक बैठती हो तो भारतीय वन वैज्ञानिक अपने ज्ञान के आधार पर इस तरीके को अपना सकते हैं।

श्री राजदेव सिंह : क्या राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों के वन विभागों के देश के सभी वनों में छान-बीन कर ली है और यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे वनों में ऐसे पेड़ पाये जाने के कोई चिह्न नहीं हैं ?

श्री बी० पी० मौर्य : हमारे वनों में यूम्लिपरिस तथा पहाड़ी पीपल के वृक्ष हैं जिन्हें 9-10 वर्ष के बाद उपयोग में लाया जा सकता है। जहाँ तक इस प्रकार के पेड़ों की बात है, हमारे वनों में नहीं पाये जाते हैं परन्तु हमने सेसबनिम ग्रान्डीफ्लोरा के लिये प्रयत्न किये हैं जिसे तीन वर्ष बाद उपयोग में लाया जा सकता है परन्तु यह भी अभी परीक्षणात्मक स्तर पर ही है।

श्री राजदेव सिंह : क्या सरकार इस प्रकार के बीज अथवा पौदे अमरीका से मंगाने का विचार रखती है ?

श्री बी० पी० मौर्य : मैं पहले बता चुका हूं कि जलवायु तथा भूमि की परिस्थितियों के कारण यह व्यवहार्य नहीं है परन्तु माननीय सदस्य के प्रस्ताव पर फिर से विचार किया जा सकता है।

श्रीमती शीला कौल : क्या मंत्री महोदय को पता है कि दक्षिण भारत में फराश बहुत होता है। यह इंधन तथा लुग्दी दोनों काम आता है। क्या इसे उत्तर में नहीं उगाया जा सकता ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न एक विशिष्ट प्रकार के पेड़ उगाने के बारे में है। आप दूसरे ही पेड़ों की बात कर रहे हैं। यदि मंत्री महोदय उत्तर देना चाहें तो मुझे कोई इतराजी नहीं है।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : माननीय सदस्य को जानकारी के लिये मैं यह बता सकता हूं कि फराश का उपयोग इंधन तथा कुछ स्थानों पर भवन निर्माण सामग्री के रूप में होता है। परन्तु लुग्दी के रूप में इसका उपयोग नहीं होता है।

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय ने यूम्लिपरिस को प्रयोग लुग्दी उद्योग में संभव बताया है। क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि यूम्लिपरिस के पेड़ों से उस क्षेत्र का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है जिसमें कि ये लगाये जाते हैं और इसी लिये सरकार ने लुग्दी के लिये 'यूम्लिपरिस' के पेड़ों के स्थान पर अन्य प्रकारों के पेड़ लगाने की अपनी नीति बनायी है। मंत्री महोदय ने यह भी बताया है मूलर की जिस रिक्त का प्रश्न में उल्लेख है उसके लिये भारत की जलवायु उपयुक्त नहीं है। जहां तक मुझे पता है भारत में हिमालय से कुमारी अन्तरिम तक विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर इस पर विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षण क्यों नहीं किया गया? ऐसे क्षेत्र क्यों नहीं मिल सकते जहाँ गूलर के वृक्ष उगाये जा सकें क्योंकि इनसे प्रत्येक 20 वर्ष के बजाय प्रत्येक तीन वर्ष बाद लुग्दी प्राप्त होती है। सरकार को पूरी शक्ति लगाकर इसका पता लगाना चाहिये।

श्री सी० सुब्रह्मणियम : वैज्ञानिक इस समस्या से अवगत हैं। प्रश्न इस वृक्ष को अपनी परिस्थितियों के अनुकुल बनाने का है। अब हमें इस अनुकुलन का ज्ञान हो गया है। हमारे वैज्ञानिक पूरी तरह जागरूक हैं और वे इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं कि हमारे वर्तमान विख्यात वृक्ष बदले जायें ताकि ये तीन-चार वर्ष बाद लुग्दी प्रदान कर सकें। जहाँ तक 'यूम्लिपरिस' वृक्ष की बात है यह सच है कि कुछ श्रेणियों के वृक्ष चिन्ता का विषय बने हुये हैं क्यों कि वे पानी सोख लेते हैं और भूमि की नमी समाप्त कर देते हैं। यही कारण है कि हम इस हानि को समाप्त करने के उद्देश्य से नये वृक्षों की खोज कर रहे हैं। ये भी कुछ ही क्षेत्रों में लगाये जा सकते हैं जहाँ वे परिस्थितियों को हानि न पहुंचायें।

गेहूं सम्बन्धी नई नीति की विफलता के बारे में फैडरेशन आफ आल इण्डिया फूडग्रेन्स डीलस एसोसिएशन की रिपोर्ट

***313. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ आल इंण्डिया फूडग्रेन्स डीलर्स एसोसिएशन ने मंत्रालय को रिपोर्ट दी है जिसमें गेहूं सम्बन्धी नई नीति की विफलता के कारणों का उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ के फैडरेशन ने भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन कारणों को बताया गया है जिनकी वजह से 50 से 60 लाख मी० टन तक गेहूं की अधिप्राप्ति होनी सम्भव नहीं हो सकी थी जिसकी, कि शुरू में परिकल्पना की गई थी और

उसने अधिप्राप्ति में सुधार करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। फैडरेशन के अनुसार, अधिप्राप्ति में कमी होने के मुख्य कारण ये हैं :—(1) पूर्व प्रत्याशित अनुमान से कम उत्पादन होना, (2) गेहूं की फसल की देर से कटाई होना, (3) पंजाब और हरियाणा में लाइसेंस और परमिट जारी करने में देरी करना, (4) रेलवे हड़ताल और (5) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में सामान्य वृद्धि जिसके फलस्वरूप उत्पादकों द्वारा अधिक मूल्य प्राप्त करने की प्रत्याशा में गेहूं का स्टाक रोक लेना।

2. अधिप्राप्ति की गति में सुधार करने के लिए फैडरेशन ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यों के अन्दर गेहूं का मुक्त आन्तरिक संचलन करने केवल विनियमित बाजारों में गेहूं की खरीद तथा बिक्री करने, व्यापारी लेवी योजना का सख्ती से कार्यान्वयन करने और खुले बाजार में आटा मिलों द्वारा खरीदारी करने पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सुझाव दिए थे।

3. भारत सरकार की राय यह है कि फैडरेशन द्वारा दिए गये आश्वासनों के फलस्वरूप कुछ आशाएं बनी थीं जोकि फलीभूत नहीं हो सकी हैं। तथापि चालू वर्ष के दौरान उत्पादन स्तर, विक्रेय अधिशेष मात्रा और विभिन्न खाद्यान्नों की मूल्य-प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर, यह कहना ठीक नहीं होगा कि नीति का अपेक्षित परिणाम नहीं निकला है। भारत सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से इस संबंध में स्थिति की लगातार समीक्षा कर रही है और जहां कहीं आवश्यक होता है वहाँ उपचारी कार्यवाही की जाती है।

श्रीमती रोजा देशपांडे : सरकार का अपने को अनाज व्यापारी संघ को समर्पित कर देने तथा वसूली नीति छोड़ देने का परिणाम यह हुआ है, मंत्री महोदय ने विवरण में बताया है कि इस वर्ष वसूली गत वर्ष से और आशा से बहुत कम हुई है। गत वर्ष कितनी वसूली हुई और इस वर्ष कितनी वसूली हुई। खाद्यान्न व्यापारी संघ और रियायतों की मांग कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार वसूली नीति को पुनः अपनाने पर विचार करेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : गतवर्ष 43.5 लाख मीटरी टन वसूली हुई जबकि इस वर्ष 19.5 लाख मीटरी टन। गत वर्ष बाजार में कुल 45.75 लाख मीटरी टन माल आया और इस वर्ष 30 लाख मीटरी टन। जहाँ वसूली नीति पर पुनर्विचार का प्रश्न है सरकार का इस विषय में खुला मस्तिष्क है और सरकार वसूली के अन्य उपाय अपनाने में नहीं हिचकिचायेगी, जिससे कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा समाज के दुर्बल वर्ग की आवश्यकता को पूरा करने के मुख्य उद्देश्य पूर हो सकें।

श्रीमती रोजा देशपांडे : क्या बाजार में गेहूं का न मिलना जमाखोरी के कारण नहीं है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हो सकता है। हमारे मूल्यांकन से पता लगता है कि इस वर्ष कमी के कारण जमाखोरी कई स्तरों पर हुई है। इस वर्ष प्राकृतिक प्रकोपों, बिजली की कमी तथा अन्य कई बातों के कारण गेहूं के उत्पादन में कमी आयी है। इस वर्ष वसूली बाजार में माल आने पर निर्भर थी। महत्वपूर्ण गेहूं उत्पादन क्षेत्रों में आशानुकुल उत्पादन नहीं हुआ है।

श्री पी० एम० मेहता : विवरण में बताया गया है कि "भारत सरकार की राय यह है कि फैडरेशन द्वारा दिये गये आश्वासनों के फलस्वरूप कुछ आशायें बनी थीं जो कि फलीभूत नहीं हो सकीं"।

इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि संघ ने क्या आश्वासन दिये थे और उन्हें क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया ? सरकार ने संघ पर क्यों विश्वास किया ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह बात सच नहीं है कि सरकार ने संघों का विश्वास किया। उन्होंने यह आशा दिलायी थी कि यदि प्रणाली में परिवर्तन किया गया और उन पर 50 प्रतिशत लेवी लगाई गई तो वे लेवी के रूप में 50 लाख मीटरी टन गेहूं दे सकेंगे। देश को उन्होंने यह विचार दिया कि वे केन्द्रीय पूल में 50 लाख मीटरी टन अनाज दे सकेंगे।

श्री रामसहाय पांडे : भारत सरकार ने अखिल भारतीय व्यापारी संघ के स्पष्ट आश्वासन पर कि वे अपनी खरीद में से 50 प्रतिशत सरकार को देंगे एक प्रणाली छोड़कर दूसरी प्रणाली अपनाने का निर्णय किया। अब वे बहाना बना रहे हैं कि उत्पादन कम हुआ है, कटाई देरी से हुई तथा लाइसेंस देने में विलम्ब किया गया। पहले तो उन्होंने यह वचन दिया था कि वे कुल खरीद का 50 प्रतिशत और इस प्रकार 60,70 लाख टन 'बॅफरस्टाक' में देंगे। अब वे सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। जब सरकार ने गेहूं की वसूली की तो उसकी मात्रा व्यापारियों की वसूली से कहीं अधिक थी।

अब जबकि भारत सरकार की यह राय है कि संघ द्वारा दिये गये आश्वासनों के फलस्वरूप कुछ आशायें बनी थीं जोकि फलीभूत नहीं हो सकी है, क्या मैं यह बात जान सकता हूं कि क्या सरकार इस विषय पर पुनर्विचार करेगी ताकि वसूली ठीक प्रकार की जा सके? सरकार व्यापारियों पर निर्भर नहीं रह सकती? व्यापारी खरीद के वास्तविक आंकड़े नहीं दिखाते। इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री सी० सुब्रह्मणियम : जब गत वर्ष गेहूं व्यापार का पूरी तरह सरकारीकरण किया गया तब मतभेद थे। एक वर्ग इसके पक्ष में था। दूसरा वर्ग इसका विरोधी था और उनका विचार था कि यह व्यापार व्यापारियों के लिये ही छोड़ दिया जाना चाहिये। अब हमने सभा के विभिन्न वर्गों के मतों को ध्यान में रखते हुये गेहूं के व्यापार को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। मेरे विचार से व्यापारी अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहे। अतः समस्त स्थिति की समीक्षा करनी है और हमें अगली फसल के बारे में कोई निर्णय करना पड़ेगा।

प्रो० मधु दंडवते : दोनों ही असफल रहे हैं व्यापारी भी तथा सरकार भी।

श्री वसंत साठे : इस प्रणाली को अपनाने से पूर्व गत वर्ष गेहूं का कितना उत्पादन हुआ क्योंकि दो आंकड़े, 280 लाख मिटरी टन तथा 300 लाख मीटरी टन दिये गये हैं। यदि 280 लाख मीटरी टन उत्पादन स्वीकार कर लिये जाये तो उत्पादन में कितनी कमी हुई। यह एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न यह है कि यदि उत्पादन में कुछ लाख टन अथवा 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत कम हुआ है परन्तु वसूली में 50 प्रतिशत की कमी रही है। सरकार इस कमी को कहां न्यायोचित सिद्ध करती है जब कि विवरण में सरकार यह बताती है कि यह कहना सही नहीं है कि नीति से इच्छित परिणाम उपलब्ध नहीं हुये हैं। मंत्री महोदय ने अभी जो कुछ बताया है यह उसके बिल्कुल विपरीत है। क्या यह विवरण उनके परामर्श से तैयार किया गया था अथवा इसके बारे में वे अनभिज्ञ हैं? क्या मंत्री महोदय इसे अब भी न्यायोचित ठहराते हैं?

श्री दिनेश सिंह : परामर्श से नहीं।

श्री सी० सुब्रह्मणियम : दो पहलू हैं। एक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जहां सरकार एक निर्धारित मूल्य पर अर्थात् 125 रुपये प्रतिक्विंटल की दर से खाद्यान्नों का वितरण कराती है। एक दूसरी वितरण प्रणाली है अथवा उन लोगों की मांग को पूरा करने जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नहीं आते हैं। हमें दोनों पर ही ध्यान देना है। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि खुले बाजार भाव, उनके लिये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नहीं आते, गत वर्ष की अपेक्षा कम हैं। अतः उस सीमा तक कुछ राहत रही है। परन्तु, दुर्भाग्यवश सार्वजनिक वितरण के लिये

आशा से बहुत कम खाद्यान्न उपलब्ध हुये। अतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समुख बहुत कठिनाई रही। हमें दोनों में सन्तुलन लाना है। सार्वजनिक वितरण के अन्तगत आनेवालों को ही कोई विशेषलाभ हो रहा हो ऐसी बात नही है इस वितरण के अन्तर्गत न आने वाले लोगों के प्रति भी सरकार का दायित्व है। अतः वसूली और वितरण प्रणाली कोई भी हो हमें सभी वर्गो के बारे में ध्यान रखना है और यहां हमें सन्तुलन की स्थिति बनानी है और मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि इन सब बातों को देखते हुये हमें उत्पादन एवं वसूली एवं वितरण प्रणाली बनानी है।

श्री वसंत साठे : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था। ये सामान्य आश्वासन अच्छे हैं। मैंने पूछा कि गेहूं के उत्पादन में कितनी कमी हुई और उत्पादन की इस कमी को देखत हुये वसूली में 50 प्रतिशत की कमी कहां तक न्यायोचित है। मैंने कुछ तथ्य जानने चाहे हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरे विचार से मेरा प्रश्न भ्रमात्मक नही है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :तथ्य के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। वर्ष 1972-73 में 249 लाख मीटरी टन . . .

श्री वसंत साठे : वित्त मंत्री ने 300 लाख मीटरी टन बताया है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :आप गलती पर है। मैं जो आंकड़े दे रहा हूं वे सही हैं। वर्ष 1971-72 में 260 लाख मीटरी टन गेहूं का उत्पादन हुआ, वर्ष 1972-73 में 250 लाख मीटरी टन। इस वर्ष निश्चित आंकड़े उपलब्ध नही है क्योंकि आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं 20 लाख टन उत्पादन कम होने की आशा है।

बाजार में माल उत्पादन के हिसाब से आता है। यदि 30 अथवा 35 प्रतिशत माल बाजार में आता है और उत्पादन में कमी के आसार हैं तो बाजार में आनेवाले मालपर भी निश्चित रुप से उत्पादन के अनुपात मे प्रभाव न पड़कर और अधिक प्रभाव पड़ेगा।

श्री वसंत साठे : इसीलिये वसूली 50 प्रतिशत कम हुई है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं इसे नही मानता।

Shri Madhu Limaye : Sir, the reply given by the hon. Minister is full of contradictions. At one place he says that certain expectations were raised which have not been materialized and further he says that it would not be correct to say that the policy has not yielded the desired results. .

May I know whether it is fact that the Minister and the officers were aware of this decision that the foodgrains purchased by the traders will be held on for some times by the farmers and the purchased material will be smuggled out to other states on higher rates later on ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अधिकारियों के विरुद्ध ऐसे आरोप नहीं लगाये जाने चाहिये। यह कहना कि उत्पादकों और व्यापारियों के बीच माल के जमा रखने के मामले में अधिकारी अन्तर्गस्त हैं सही नहीं है।

Shri Madhu Limaye : I have said the Minister and officers.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं इस आरोप का खंडन करता हूं। ऐसी बात नही है।

Shri K. M. Madhukar : The policy of the Government regarding foodgrains is to surrender before the traders, therefore it has been accepted by the Government and the other people that the procurement of foodgrains has been far below the target fixed.

May I know whether the Government propose to procure foodgrains during the next season having imposed the graded levy in order to achieve the target fixed.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : कार्यवाही हेतु सुझाव है ।

Shri Narsingh Narain Pandey : May I know whether, even after the dehoarding drive the procurement policy failed because the Dealer's Association did not carry out their assurance of contributing 50 percent of marketed surplus to the central pool ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता परन्तु राज्य सरकारों ने ऐसे किसी विशेष मामले की ओर हमारा ध्यान नहीं दिलाया है ।

श्री रणबहादुर सिंह : मंत्री महोदय ने विवरण मे उन तथ्यों का उल्लेख किया है जिनके कारण फैडरेशन सरकार को दिया गया अपना आश्वासन पूरा नहीं कर सके । क्या उत्पादन की कमी किसानों को गतवर्ष उनके उत्पादों के दिये गये कम मूल्यों का ही सीधा परिणाम है? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में मूल्य निर्धारित करते समय समग्र विषय के प्रति खुले मस्तिष्क से विचार करेगी ? क्या सरकार किसानों को लाभात्मक मूल्य देने पर खुले मस्तिष्क से विचार करेगी ? क्या विभिन्न प्रकार के उत्पादों के उत्पादन मूल्य उत्तम ढंग से मूल्यांकन किया जायेगा ? सरकार ने एक समिति बनायी थी और उन्होंने अपना प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है । क्या सरकार विभिन्न कृषि उत्पादोंकी उत्पादन लागत के मामले पर तथा किसानों के लिये लाभात्मक मूल्यों निर्धारित करने के मामले पर विचार करने के लिये और अच्छे तंत्र की व्यवस्था करनेपर विचार करेगी जिससे खाद्यान्नों की वसुली में सहायता मिलेगी ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि किसानों के लिये लाभात्मक मूल्य की व्यवस्था होनी चाहिये । परन्तु यह कहना कि इस वर्ष गेहूं के मूल्य लाभात्मक नहीं थे स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं है ।

हमने संकलन लागत और अन्य आवश्यक आकड़ों को इकट्ठा करने के लिए बहुत व्यापक मशीनरी स्थापित की है । यह श्रमिक वर्ग निर्वाह-व्यय सूचकांक के समान है और ये आंकडे इकट्ठे किये जा रहे हैं और इस बारे में कार्यवाही कि जा रही है । और इस आधार पर कृषि मूल्य आयोग इन सब बातों का अध्ययन करता है और सरकार को अपनी सलाह देता है ।

"मैन डिस्ट्रीब्युशन फाज आफ फूड क्राइसिस" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

\+

*314. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जुलाई, 1974 के समाचारपत्रों में "मैन डिस्ट्रीब्यूशन काज आफ फूड क्राइसिस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश मे वर्तमान खाद्य संकट के लिए दोषपूर्ण वितरण प्रणाली उत्तरदायी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने दिनांक 17 जुलाई, 1974 का समाचार देखा है जिसमें केन्द्रीय योजना राज्य मंत्री द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया बताया जाता है कि जमाखोरी, मुनाफाखोरी, कुवितरण कुछक ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनसे खाद्य मोर्चे पर वर्तमान कठिनाइयां पैदा हुई हैं। उत्पादन में कमी होने के कारण, खाद्य स्थिति बहुत कठिन बनी हुई है। उत्पादकों, व्यापारियों आदि द्वारा विभिन्न स्तरों पर खाद्यान्नों को रोके रखने से मौजूदा कमी में और वृद्धी हुई है। सरकार अधिप्राप्ति और वितरण-प्रणाली को सुदृढ़ और उसमें सुधार करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। खाद्यनीति का उद्देश्य सरकारी एजेन्सियों द्वारा अधिप्राप्ति के माध्यम से विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों के समान वितरण करना सुनिश्चित करना है।

श्री डी० डी० देसाई : श्रीमन् जो योजना मन्त्रालय में राज्यमन्त्री महोदय ने यह कहा है कि वर्तमान खाद्य कमी के लिए खराब वितरण व्यवस्था ही जिम्मेदार है। अगर यह सच है, तो खाद्यान्नों का आयात करने के लिए सरकार द्वारा निर्णय करने का क्या कारण है ? क्या सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त अवसर नहीं थे कि वह सबसे पहले अपने आप ही वितरण को ठीक प्रकार से आयोजित करती और बाद में सरकार अपने और व्यापारियों के बीच समेकित व्यवस्था के माध्यम से वितरण करती ? इस तथ्य के बावजूद खाद्य नीति विफल रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि लगातार कमी बने रहने और खाद्य की ज्यादा कीमत को ध्यान में रखते हुए सरकार अधिक कीमतों को रोकने और कमी के बारे में कार्यवाही क्यों नहीं करती ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : खराब वितरण के बारे में, मैं यह कहना चाहुंगा कि आमतौर पर इस देश में जिस किसी भी चीज का उत्पादन होता है, उसका स्पष्टतः उचित वितरण नहीं होता है। यह एक सही प्रश्न है। किसानों द्वारा अनाज को अपने पास रोके रखने के संदर्भ में हम सबको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। बात यह है कि इस देश में प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर में काफी अन्तर है। उदाहरण के लिए, पंजाब, हरियाना और हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष उपभोग 230-250 किलोग्राम है, जबकि अन्य राज्यों में यह 120 से 130 किलोग्राम के बीच है। अब, कुछ क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपभोग को घटाना और उस क्षेत्र से अनाज को अन्य स्थानों में भेजना बहुत कठिन है। किसी कार्यक्रम पर विचार करने से पूर्व, प्रति व्यक्ति उपभोग में कमी होनी चाहिए। जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, मैंने एक सामान्य वक्तव्य दिया है कि देश में जो कुछ भी उपलब्ध है, उसका उचित वितरण किया जाय, परन्तु मांग और पूर्ति के बीच फिर भी अन्तर है। इसकी वजह यह है कि आबादी में वृद्धि हो रही है। वर्ष 1970-71 में हम इस दृष्टि से आत्म निर्भरता के निकट थे कि अपेक्षित खाद्यान्न का देश के अन्दर ही उत्पादन किया गया। परन्तु बाद में हमारे उत्पादन में कमी हो गई। उत्पादन 1050 लाख टन से घटकर 950 लाख टन रह गया। जब आबादी में वृद्धि होती है, तो मांग पर दबाव बढ़ने की वजह से कीमतों में भी वृद्धि होती है।

श्री डी० डी० देसाई : कृषि के बारे में सरकार की नीति अन्तर्विरोध-पूर्ण है, क्योंकि एक ओर तो सरकार की नीति उत्पादन-प्रधान है और दूसरी ओर, नीति विचारधारा-प्रधान है। क्या देश में निरन्तर खाद्य कमी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करने की दृष्टि से सरकार एक समन्वित नीति का अनुसरण करेगी ? क्या सरकार अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों का मानदण्ड अपनायेगी अथवा खाद्य-उत्पादन को रोकने वाली विचारधारा-प्रधान नीति का अनुसरण करेगी और खाद्यान्न के लिए अत्याधिक कीमत को अदा करने के लिए जनता को बाध्य करेगी? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केवल विचारधारा पर आधारित नीति का अनुसरण करने से हमारे किसानों का स्तर घटा है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि हमारी विचारधारा अन्तर्विरोधी है अथवा उत्पादन-प्रधान नीति के विरुद्ध है। वस्तुतः हमारी विचारधारा उत्पादन बढ़ाने की है। दोनों के बीच कोई अन्तर्विरोध नहीं है। जहां तक अन्य प्रश्न का सम्बन्ध है, अर्थात् उत्पादन में किस प्रकार वृद्धि की जाय, माननीय सदस्य का यह विचार है कि केवल बड़े किसान ही अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तकनीकी दृष्टि से भी मेरा यह विचार है कि भूमि का अधिक सघन उपयोग करने से हमें अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए, मैं यह नहीं कहुंगा कि इसमें कोई अन्तर्विरोध है। मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि हमारी विचार धारा और उत्पादकता में वृद्धि के बीच कोई अन्तर्विरोध नहीं है। मेरे विचार में दोनों में पूर्ण सामंजस्य है।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT-NOTICE QUESTION

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 1974 मंसूख किया जाना

+

अ०सू०प्र० संख्या 4. श्री श्याम सुन्दर महापात्र :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर, 1974 में भारत में लगने वाला अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 74 मंसूख करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा मेले के लिये प्रदर्शनार्थ वस्तुओं की तैयारी और निर्माण कार्य पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) मेले में भाग लेने वाले विदेशियों के जहाज प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुएं लेकर मेले में भाग लेने के लिए रवाना हो चुके हैं और यदि हां, तो उनके साथ हमारे सम्बंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) नवम्बर-दिसम्बर, 1974 के दौरान नई दिल्ली में जो भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगने वाला था, उसे कठिन आर्थिक स्थिति के कारण, जिसमें से देश गुजर रहा है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का विनिश्चय किया गया है।

(ग) मेला प्राधिकरण ने लगभग 1 करोड़ 35 हजार रुपया खर्च किया है तथा केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा किए गए खर्च के बारे में जानकारी नहीं है।

(घ) पोलैण्ड के मंडप के लिए माल की खेप का एक भाग बम्बई पहले ही पहुंच चुका है। पता चला है कि जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के मंडप के लिए माल खुले समुद्र में है। भाग लेने वाले अन्य देशों के माल की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है। आशा है कि भाग लेने वाले विदेशी हमारी कठिन आर्थिक स्थिति तथा विनिश्चय के मूल में अन्तर्निहित भावना को समझेंगे। इस विनिश्चय से विदेशों के साथ हमारे व्यापार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मेला प्राधिकरण ने उस प्रदर्शनी पर एक करोड़ और पैंतीस हजार रुपये खर्च कर दिये हैं जो आयोजित नही की जाएगी। इस मेले के लिये विदेशी सरकारों ने यह मानकर कि समय-समय पर मेले लगते रहेंगे इमारतें (स्ट्रक्चर) बनाई हुई हैं। राज्य सरकारों ने भी लाखों रुपये खर्च किये हैं। निर्यात सम्बधित परिषद ने भी लाखों रुपये खर्च किये हैं। मरे अनुमान से कुल पांच करोड़ रुपयों की राशि खर्च की गई है। यह खर्चे बहुत भारी है। मैं जानना चाहता हूं कि छटी प्रदर्शनी के लिये सामान में लदे विभिन्न देशों के समुद्री जहाज चल पड़े है तथा क्या सरकार के इस निर्णय अथवा अनिर्णय से हमारी सरकार तथा इस मेले में भाग लेने वाले मित्र देशों की सरकारों में कोई गलतफहमी उत्पन्न नही हो जायेगी ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने खर्च की गई धनराशि से सम्बधित आंकड़ों का उल्लेख कर दिया है। राज्य सरकारों ने वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की है अथवा वे कितनी धनराशी खर्च करते इससे सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नही हैं। किन्तु माननीय सदस्य द्वारा बताये गये आंकड़ों से मैं सहमत नहीं हूं। यह आंकड़े उससे बहुत कम होंगे। दूसरे, एक देश का समान हमारे देश में पहुंच गया है तथा एक अथवा दो देशों का माल समुद्री मार्ग में है। हमने यह निर्णय कई अपरिहार्य आर्थिक संकटों के प्रभाव के कारण किया है। यदि इस मेले का आयोजन किया जाता तो हमें 10 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते। इस कठिन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उसे न्यायसंगत तथा राष्ट्र के हित में नही समझा। मैं सभा को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि विदेशी सरकारों ने उन कठिनाइयों को जिनके कारण हमें मेले का आयोजन न करने का निर्णय करना पड़ा है महसूस किया है तथा हमें ऐसी कोई आशंका नही है कि इस मेले का आयोजन न करने से मित्र देशों की सरकारों के साथ हमारे व्यापार पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : मैं मंत्री महोदय से जिनपर मुझे विश्वास है एक अनुरोध करना चाहता हूं। प्रदर्शनी निदेशालय के अधिकारिओं का आचरण विश्वसनीय नहीं है। कुछ महीने पहले दिल्ली प्रशासन ने पुलिस को यह सूचना दी कि 'एशिया 72' मेले के दौरान कुछ जाली बिल प्रस्तुत किये गये थे तथा खजाने से धनराशि निकाली गई थी। बहुत से अधिकारियों की ईमानदारी पर शंका की गई थी। क्या मंत्री महोदय इन अहितकर तत्वों को यथाशीघ्र दूर करने का प्रयत्न करेंगे तथा इन बड़े अधिकारियों द्वारा जब चाहें तभी विदेशों के दौरे लगाने पर प्रतिबन्ध लगायेंगे जिससे विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके जिसकी देश को बहुत आवश्यकता रहती है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यदि हमें किसी विशेष आरोप की जानकारी दी जाती है तो हम उसकी जांच करते है। उन्होंने जिस आरोप का उल्लेख किया है हमने उसकी जांच की थी तथा इसके लिये प्रदर्शनी निदेशालय के किसी अधिकारी को उत्तरदायी नहीं पाया गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सतही तौर पर ज्ञात होता है कि इस मामले में 4.85 करोड़ रुपयों की बचत की गई है किन्तु कुल वास्तविक लाभ 8.40 करोड रुपये है और इस प्रकार मेरे विचार से लगभग 3 करोड रुपये की हानि हुई है। मुझे यह जानकर भी दुःख हुआ है कि श्री यूनुस के स्थान पर श्री विजयकरन नामक प्रतिभाशाली व्कति को लाए जाने के कारण बहुत झगडा हुआ है तथा श्री लूथरा नामक एक डिप्टी सेक्रेटरी एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके विरुद्ध आरोप लगाये गये है। मंत्री महोदय बता सकते है कि वे आरोप सच है अथवा नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसने उन पत्रों की, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी तथा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक-दूसरे के लिये लिखे गये थे, तस्करी की थी तथा उन्हें अमरीका को बेचा था? इस सम्बन्ध में मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है अथवा नही कि प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय ने एक

जुलाई, 1974 को वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होनें यह स्वीकार किया था कि वित्त मंत्रालय ने बहुत पहले इस मेले को मंसूख करने का सुझाव दिया था। यह सुझाव वास्तव में कब दिया गया था तथा उस निधि के पश्चात् कितनी धनराशि खर्च की गई ? क्या यह भी सच है अथवा नहीं कि प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय और श्री यशवन्तराव चव्हाण तथा अन्य अधिकारियों ने 26 जुलाई 1974 को एक बैठक की थी तथा चर्चा का विषय मेले को मंसूख किया जाना तथा मिल मालिकों को रियायत दिया जाना था। मैं इन दोनों प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस प्रकार के निर्णय के समय वित्त मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय से बातचीत की जाती है तथा उनके विचार प्राप्त किये जाते हैं। अत: मेरे साथ वित्त मंत्री ने एक बैठक की थी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दें ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : अध्यक्ष महोदय जिस प्रश्न की भी अनुमति देंगे मैं उसका उत्तर दूंगा । मैं यहाँ प्रश्नों का उत्तर देने के लिये ही आया हूं...

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय ने प्रश्नों की अनुमति दे दी है ।

श्री भागवत झा आजाद : वह बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देना चाहते हैं तथा पहले प्रश्न का उत्तर बाद में। सरकार का यह तारीका है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उनका उत्तर धैर्य से सुनें ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह सच नहीं है कि यह निर्णय बहुत पहले किया गया था तथा उसके बाद मेले के लिये निर्माण कार्यों की अनुमति दे दी गई थी। जिस दिन यह निर्णय किया गया था उसी दिन निर्माण कार्य बन्द करा दिया गया था। निर्णय करने में कुछ समय तो लगता ही है । तथा मंत्रालयों द्वारा आपस में कुछ विचार विमर्श भी किया जाता है । उक्त बैठक में, जिसमें मैने तथा वित्त मंत्री ने भाग लिया था, अंतिम रूप से निर्णय किये जाने के पश्चात विदेश सरकारों को उसकी जानकारी दे दी गई थी तथा निर्माण कार्य बन्द करा दिया गया था ।

माननीय सदस्य ने प्रश्न कें पहले भाग में जिस व्यक्ति का उल्लेख किया है...

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होने श्री यशवन्तराव चव्हाण को एक पत्र लिखा था जिसमें यह स्वीकार किया था कि वित्त मंत्रालय ने बहुत पहले इस मेले को मंसूख किये जाने का सुझाव दिया था । इस संदर्भ में मैंने यह पूछा है कि ऐसा वास्तव में कब किया गया था तथा उस तिथि के पश्चात कितनी धनराशि खर्च की गई है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमें बहुत से पत्र लिखने होते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं दिनांक एक अगस्त 1974 के पत्र का हवाला दे रहा हूं। मैंने पत्र की तिथि बताई है ।

अध्यक्ष महोदय : ज्ञात होता है कि माननीय सदस्य पत्रों को सरलता से प्राप्त कर लेते है अत: मंत्री महोदय को अधिक सावधान रहना चाहिए।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : उनकी पत्रो तक कोई पहुंच नहीं है अन्यथा वह इस बात को स्वीकार कर लेते जो मैंने उन्हें बताई थीं। अत: यह सच बात नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्हें इसे सभा पटल पर रखने को कहा जाये। वह आपको यह पत्र दिखा दे। पहली जुलाई, 1974 के इस पत्र में, जो वित्त मंत्री को भेजा गया है, उन्होंने स्वीकार किया है...

अध्यक्ष महोदय : एक फाइल में कई पत्र हो सकते हैं। सरकारी फाइलों में कई पत्र होते हैं। किन्तु इसमें मंत्री महोदय ने अपनी ओर से विचार व्यक्त किये है। सरकारी फाइलों में अनेक पत्र होते है किन्तु वह उन फाइलों को यहां प्रस्तुत नहीं कर सकते...

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय! यह ऐसी बात नहीं है। पहली जुलाई, 1974 को वाणिज्य मंत्री ने वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया था कि वित्त मंत्रालय ने बहुत समय पहले यह बताया था कि मेला मंसूख कर दिया जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय को यह कब बताया कि मेला मंसूख कर दिया जाये और उसके पश्चात कितनी धनराशि खर्च की गई, यह सब कार्य श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय के लूट के माल में भागीदार होने के लिये किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय ने मेले का आयोजन न करने की कब सलाह की थी।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने बताया है कि निर्णय करने में कुछ समय लगता है। अतः हमने विभिन्न मंत्रालयों से पत्र व्यवहार के माध्यम से विचार विमर्श किया था। किन्तु मेरे मंत्रालय ने अथवा स्वयं मैंने वित्त मंत्री को ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा जिसमें मेले को मंसूख किये जाने की सलाह की स्वीकृति व्यक्त की गई हो अथवा मेले को मंसूख किये जाने के पश्चात कोई धनराशि खर्च नहीं की गई। केवल अंतिम निर्णय के पश्चात...

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, कृपया मेरी मदद कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार का निर्णय है। आप एक मंत्री की बात का दूसरे की बात से खण्डन नहीं कर सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने केवल यह पूछा था कि वित्त मंत्रालय ने मेले को मंसूख किये जाने का पहली बार कब सुझाव दिया था। उसके पश्चात कितनी धनराशि खर्च की गई? प्रश्न को टालने का प्रयत्न न किया जाये।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : केवल सुझाव अथवा सलाह पर निर्णय से पूर्व किसी कार्य को रोका नहीं जा सकता। अतः यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मेरे और श्री चव्हाण साहेब के बीच हुई गत बैठक में यह निर्णय किया गया है और तब से निर्माण कार्य...

श्री पीलू मोदी : विदेश मंत्रालय के साथ भी परामर्श किया गया कि नहीं?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सरकार के निर्णय के बारे में प्रश्न करने का अधिकार है। यह पूछने का नहीं कि एक मंत्री ने क्या कहा तथा उसके बाद दूसरे ने क्या कहा।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने भी बिल्कुल यही कहां है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि वित्त मंत्री ने मेला मंसूख किये जाने के लिये कब कहा था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्हें सभा को धोखा देने की अनुमति कदापि नहीं दी जानी चाहिये। वित्त मंत्री ने मेले को मंसूख करने को कब कहा था?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सरकार की ओर से उत्तर दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उनसे यह पूछा जाये कि वित्त मंत्री ने कब कहा था कि मेला मंसूख किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप यही प्रश्न दो बार पूछ चुके है तथा उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनको उस प्रकार नहीं छोडा जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी नहीं। उन्होंने नहीं दिया । अतः हम समझते है कि मंत्री सभा के समक्ष झूठ बोल रहे है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आपको नम्र भाषा का प्रयोग करना चाहिये। निर्णय के लिये मंत्रीमंडल के विभिन्न मंत्रियों में अन्तर्विभागीय पत्रव्यवहार और बातचीत हो सकती है । निर्णय के पूर्व कुछ भी हुआ हो मंत्री महोदय सरकार की ओर से उत्तर दे रहे है । माननीय सदस्य ऐसा नही कह सकते कि क्यों कि उन्होंने ऐसा कहा है अतः वह झूठ बोल रहे है। मेरे विचार से उन्होंने उपयुक्त शब्द का प्रयोग नहीं किया । मुझे यह पसंद नही है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने उत्तर नहीं दिया है । वित्त मंत्रालय ने मंसूख करने का सुझाव कब दिया ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप उसी प्रश्न को दोहरा रहे है ।

श्री बी० वी० नायक : मैं कुछ अधिक बुद्धि संगत प्रश्न पूछूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप सभी बुद्धिमान व्यक्ति है । वित्त मंत्रालय ने यह सुझाव कब दिया था ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आप कृपया बैठ जाइये । श्री नायक ।

श्री बी० वी० नायक : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि इस मेले की मंसूखी का आधार आर्थिक उपाय था तथा कुछ करोड़ रुपयों की राशि को बचाना था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मितव्ययिता उपाय किये जाने के समय इस बात को भी ध्यान में रखा गया था कि उस पर खच कितना होगा तथा इससे लाभ कितना होगा? पांच करोड़ रुपये की बचत की जा सकती है तथा उससे 50 करोड़ रुपये की हानि भी हो सकती है । यदि ऐसी बात हो तथा यदि लाभ और खर्च दोनों के पहलुओं को ध्यान में रखा गया है तो मूल एशिया 1972 मेले पर कितनी धनराशि खर्च हुई तथा इस देश को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से कितना लाभ हुआ? क्या इसके आंकडे दिये जा सकते हैं?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : खर्च और लाभ के पहलू को ध्यान में रखा जाता है किन्तु इससे सम्बन्धित स्पष्ट आंकडे नहीं दिये जा सकते क्योंकि खर्च प्रत्यक्ष और तुरंत दिखाई देता है और लाभ का प्रभाव दीर्घकालिक तथा अदृश्य होता है । इस मामले में प्रत्यक्ष खर्च की राशि 1,00,35,000 रुपया है तथा कुछ धनराशि निर्यात सम्वर्धन परिषदों, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों द्वारा खर्च किये जाने के लिये निर्धारित है । यदि हम मेले का आयोजन करते तो हमारा अनुमान था कि हमें लगभग 10 करोड़ रुपय खर्च करने पड़ते। यह मामला कवल लागत का ही नहीं है बरन् सीमेंट, बिजली और

अन्य सामग्री जैसे मूल्यवान तथा दुर्लभ कच्चे माल का भी है । इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुये हमने यह महसूस किया कि यह निर्णय बुद्धिसंगत नहीं होगा तथा इसकी देश में सराहना नहीं की जाएगी ।

श्री वसंत साठे : अब चुंकि हमें लगभग एक करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है क्या सरकार ने उन वस्तुओं की बिक्री करके जिन्हें यहां लाया जाना था, इस घाट को पूरा करने के लिये कोई योजना बनाई है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : उन वस्तुओं अथवा प्रदर्शन सामग्री को जो यहां है अथवा जिन्हें विदेशों से लाया जाना था, यहां प्रदर्शित की गई समझा जायेगा तथा उन्हें इस कानून के अन्तर्गत बेचा जायेगा । इस प्रकार विदेश सरकारों को हुई कुछ कठिनाईयों को दूर किया जाएगा । व्यापार मेले के लिये निर्धारित हमारे स्थान का कुछ निकायों द्वारा अन्तर्-राष्ट्रीय डेरी कांग्रेस आदि का आयोजन करने के लिये उपयोग किया जा सकता है । इस प्रकार घाटे को दूर किया जा सकता है अथवा कम किया जा सकता है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस महत्वपूर्ण मेले को इस प्रकार मंसूख किये जाने से भारत के वाणिज्य संबंधी स्वरुप को पहुंची क्षति को देखते हुये तथा इस बात को ध्यान में रखते हुये कि गत कुछ वर्षों में भारत ने मेले से सम्बन्धित पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया है तथा उसका नाम विश्व मेला आयोजक देशों में सम्मिलित कर लिया है, मैं जानना चाहता हूं हानि कि इन मेलों की लाभ-हानि का हिसाब उपर्युक्त रुप से क्यों नहीं लगाया गया जिससे उन मेलों के आयोजन से हानि के बजाय लाभ की प्रत्याशा की जा सके? इस बात के भी क्या कारण है कि वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमर्श के दौरान दिये गये कुछ सुझाओं के बावजूद इस मामले को रोका नहीं गया तथा ऐन मौके पर इसको मंसूख किये जाने का निर्णय किया गय जिससे हमारी बदनामी हुई ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इन प्रमुख निर्णयों में विभिन्न पहलुओं में सामन्जस्य स्थापित करना होता है तथा यह विचार किया गया था कियह कार्य बहुत खर्चीला होगा । यह भी विचार था कि गत 27 वर्षों में उद्योग और प्रौद्योगिकी और कृषी के क्षेत्र में हमारे देश को उपलब्धियों को प्रदर्शित करने से हमें कुछ लाभ हो सकता है तथा होनेवाले घाटे की कुछ क्षतिपूर्ति हो सकती है । अत: खर्च और लाभ के पहलू की जांच की गयी थी । यह निर्णय विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रकार के निष्कर्षों के आधार पर किया गया है। यह बात नही है कि हम उनसा पूर्वानुमान नही लगाते; हम पूर्वानुमान लाया है । खर्च और लाभ सम्बन्धी पहलूओं का विचार का निष्कर्ष यही है कि एसे मेले का आयोजन नहीं किया जाये । अत: हमने यही न्याय संगत समझा कि इसको इस समय आयोजित न किया जाये ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, first of all I would like to know as to when the decision to hold the fair was taken and whether it is not a fact that the ministries of Commerce and Finance suggested six months ago that due to the financial crisis, this fair sould be cancelled. Had it been decided then and then this loss would have been avoided.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : निर्णय मई, 1973 में किया गया था। मैं पुन: कहना चाहता हूं कि किसी भी मंत्रालयने मेले को मंसूख किये जाने को सलाह नही दी थी ।

Shri Madhu Limaye : I am not talking about the communication. Inter-ministerial talk, are held. Is it a fact that he was advised six months ago in this matter ? I have not made any reference to communication.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : किसी सुझाव में निर्णय निहीत नहीं होता ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में ऊंचे भवनों के निर्माण पर प्रतिबन्ध

*304. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नगर आयोजन प्राधिकारियों ने कुछ समय पूर्व शहर में ऊंचे भवनों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाया था ;

(ख) क्या इस प्रतिबन्ध में अब ढील दे दी गई है और यदि हां, तो क्यों ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि जनता में यह विचारधारा फैली है कि निर्णय लेने वाले प्राधिकारियों ने प्रतिबन्ध में ढील भूमि के सटोरियों, व्यापार गृहों, होटलों के मालिकों तथा वित्तीयपोषकों के दबाव के सम्मुख झुकने के कारण दी है; और

(घ) क्या इस मामले का पुनःपरीक्षण करने तथा फिर से प्रतिबन्ध लगाने का विचार है?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) नई दिल्ली क्षत्र में विकास नक्शों के पुनरीक्षण किये जाने तक नई दिल्ली नगर पालिका के क्षत्र में तीन मंजिल से अधिक ऊंच्चो इमारत बनाने की मंजूरी नहीं दी जाती।

(ख) जी, नहीं; प्रतिबन्ध अब भी लागू है ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में सेवानिवृत्ति की आयु के पश्चात् सेवाकाल में वृद्धि

*306. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकारण के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके सेवाकाल में 58 वर्ष की आयु प्राप्त हो जाने के पश्चात वृधि की गई है और उनके नाम क्या हैं तथा वर्ष 1973 के दौरान एवम् 31 जुलाई, 1974 तक प्रत्येक मामले में उक्त वृद्धि प्रदान करने के क्या क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उक्त सेवावृद्धियाँ उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई है, और यदि नहीं, तो उक्त प्रणाली को नियमित करने और यह सुनिश्चित करन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि 58 वर्ष के आयु होनेपर किसीको भी सेवा वृद्धि न दी जाये; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण में ऐसे कितने अधिकारी है जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो चुकी है और प्रत्येक मामले में इसके क्या क्या कारण हैं और उन्हें उनके मूल कार्यालय में कब वापस भेजा जायेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) दिल्ली विकास प्राधिककरण के किसी भी कर्मचारी का सेवाकाल, 58 वर्ष की आयु के बाद नहीं बढाया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 111 अधिकारियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति की चार वर्ष की अवधि पूरी कर ली है। कार्य की आवश्यकताओं तथा उपयुक्त एवजी न मिलने के कारण उन्हें अपने मूल कार्यालयों को वापिस नहीं भेजा गया है। उन्हें उनके मूल विभागों को वापिस भेजने की तारीखों का अनुमान इस समय नहीं लगाया जा सकता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का असंतोषजनक कार्यकरण

*307. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्यकरण बहुत असन्तोषजनक रहा है तथा इसने झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के विकास, निम्न तथा मध्य आय वर्ग के लिये मकानों के निर्माण तथा सुधार कार्यों पर केवल 19 करोड़ रुपया खर्च किया ; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के लिये लक्ष्य के रूप में निर्धारित तथा अनुमोदित कार्यों को आरम्भ किये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) वर्ष 1973–74 में दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं पर लगभग 18.72 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। जिन सीमाओं तथा कठिनाइयों में यह कार्य किया गया है उन्हें देखते हुए इसे असन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता।

(ख) अनिवार्य सामग्री की अत्यधिक कमी तथा अनुमानित प्राप्तियों की कमी, इसके मुख्य कारण थे।

तटवर्ती राज्य में राज्य पत्तन प्राधिकरणों का स्थापित किया जाना

*308. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा स्थापित समिति ने प्रत्येक तटवर्ती राज्य में राज्य पत्तन प्राधिकरणों की स्थापना करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) क्या इस समिति ने ऐसे 20 छोटे पत्तनों का सुझाव दिया है जिनमें और अधिक विकास की तकनीकी क्षमता है ; और

(घ) यदि हां, तो उन पत्तनों के नाम क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा गठित छोटे पत्तन समिति की रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी है। केन्द्रीय प्रायोजित छोटे पत्तन योजना के लिए पांचवीं योजना के प्रारूप में व्यवस्था केवल आगे लाई गई योजनाओं तक सीमित है और नई योजनाओं के लिए किसी परिव्यय की व्यवस्था नहीं की गई है। छोटे पत्तनों के बारे में किसी नई योजना के लिए व्यवस्था संबंधित राज्य सरकारों को राज्य योजना के भाग के रूप में करनी होगी।

(ग) समिति ने 21 छोटे पत्तनों की सिफारिश की है जिसके पास विकास के लिए तकनीकी सामर्थ्य है।

(घ) सभा पटल पर विवरण रखा गया है।

विवरण

समिति द्वारा यथा प्रस्तावित उन पत्तनों के नाम जिनकी ओर विकास के लिये तकनीकी सामर्थ्य है :

1. सिखा/सत्या
2. ओखा
3. पोरबन्दर
4. पिपावा
5. डिधी/जन्जीरा
6. रत्नागिरि
7. रेदी/वेंगुरला
8. करवार
9. कुन्डापुर
10. मंगलौर
11. अझिक्कल/बल्लीपटनम
12. बेपोर
13. नोन्दकारा
14. तूतीकोरिन
15. कुड्डालोर
16. कोलचेल
17. पांडिचेरी
18. कृष्णापटनम्
19. काकिनाडा
20. गोपालपुर
21. चान्दबाली

Acreage of Forest, Desert, Cultivable land Reclaimed

*309. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Agriculture** be please to state :

(a) whether survey in regard to agriculture was conducted in India during 1972-73 and 1973-74;

(b) if so, the State-wise acreage of forest, desert and barren land reclaimed during each year; and

(c) the total acreage of cultivable land, State-wise prior to it ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya):

(a) No such survey has been conducted by Govt. of India.

(b) According to the information received from the States, total aea of 1,64,803 hectares of cultivable waste land was reclaimed upto November 1972 during the Fourth Five Year Plan. State-wise details are given in the Statements I placed on the Table of the Sabha. Break up of this figure in respect of different categories are, however, not available.

(c) Statement II showing Statewise cultivable land during 1970-71 (latest available) is placed on the Table of the Sabha. [*Placed in the Library, See. No. L.T.* 8863/74]

कलकत्ता विश्वविद्यालय के विकास और पुनर्गठन के सम्बन्धी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति

*310. **श्री समर गुह** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय के विकास और पुनर्गठन सम्बन्धी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति ने अपना प्रति वेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की पांच सिफारिशों का पाठ क्या है ;

(ग) क्या समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह टिप्पणी की है कि यदि पश्चिम बंगाल राज्य में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना है तो इस सम्बध में मिदनापूर का हक बहुत ज्यादा होगा ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार रिपोर्ट को समग्ररुप से तथा मिदनापूर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विशेषत: कब तक क्रियान्वित: करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय पर नियुक्त समिति ने आयोग को हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट आयोग के बिचाराधीन है।

राज्यों को उर्वरक के आबंटन के फार्मूले का पुनरीक्षण

*312. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को उर्वरक के कोटे में वृद्धि करने की मांग को ध्यान में रखते हुऐ, सरकार प्रत्येक राज्य के उर्वरक के कोटे के अधिकार के बारे में हाल ही में निर्धारित फार्मुले पर पुन: विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) सरकार ने राज्यों में उर्वरकों के उपयोग के स्तरों तथा प्रस्तावित उत्पादन कार्यक्रमों के सम्बन्ध से प्रत्येक राज्य की उर्वरकों की मांग के निर्धारण के लिये एक पद्धति का विकास किया है। इस पद्धति की जांच करने तथा उसमें संशोधन करने के लिये भारत सरकार के अधिकारियों तथा कुछ राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की गई है। इस समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है।

Raising prices of Fertilisers

*315. **Shri Jagdish Bhattacharyya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have recently raised the pooled price of domestic and imported fertilizers by 80 per cent;

(b) if so, the reason for this sudden increase, and ;

(c) how far will it increase the cost of agricultural production in this country ?

The Minister of State in the Minisrty of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes Sir. The increase in the case of three major nitrogenous fertilizers, viz. Urea, Ammonium Sulphate and Calcium Ammonium Nitrate, in respect of which maximum retail Prices are statutorily fixed, varies from 56 to 96%

(b) The increase became necessary because of the steep rise in import cost of fertilisers and increase in cost of domestic production.

(c) The extent to which the cost of production of agricultural commodities may increase as a result of the recent increase in fertiliser prices will depend among other things on the level of use of fertilisers which varies from crop to crop and from region to region. As the prices of fertilisers were increased only with effect from 1-6-74, it is also too early to ascertain the effect of price increase on the level of use of fertilisers. However, certain regional studies indicate that for an 80% increase in the price of fertilisers, the likely increase in total cost of production of wheat may be between 5·4% and 10·9% for rice between 7·8% and 8·6%, for Bajra 0·3% and for Jowar 1·3%.

दिल्ली के कालेजों में दाखिले

*316. **श्री शशि भूषण** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन विभिन्न कालेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में कुल कितने विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया ;

(ख) विभिन्न अन्डर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में गत वर्ष दाखिल किए गए विद्यार्थियों के अनुपात में यह संख्या क्या है ;

(ग) क्या कुछ कालेजों ने 1973 की तुलना में विद्यार्थियों की संख्या घटा दी है, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बारे में विशेषत: कामलाजी स्थित भगतसिंह कालेज की स्थिति क्या है ; क्या कालेज ने सीटों की संख्या घटाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त की थी और यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) कालेजों में छात्रों को विभिन्न अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में दाखिल करने की अन्तिम तारीख 14 अगस्त, 1974 है । उक्त तारीख के पश्चात् ही विश्वविद्यालय चालू शैक्षिक वर्ष के दौरान किए गए दाखिलों के बारे में आंकड़े एकत्र करने की स्थिति में होगा । विश्वविद्यालय द्वारा उक्त आंकड़े भेजने पर ही अपेक्षित सूचना सम्बन्धी विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) और (घ) कालेजों द्वारा स्थानों में यदि कोई कमी की गई है, तो विश्वविद्यालय को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वास्तव में, विश्वविद्यालय के अनुसार भगत सिंह कालेज सहित अधिकांश कालेजों में इस वर्ष के दौरान अब तक दाखिल किए गए छात्रों की कुल संख्या गत शैक्षिक वर्ष के दौरान इन्हीं कालेजों में नामांकित छात्रों की कुल संख्या से कम होने की आशा नहीं है ।

अन्तर्राज्यीय सड़क परिवहन को मान्यता

*317. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग को इस बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता दे दी गई है ; और

(ख) अन्तर्राज्यीय सड़क परिवहन में सुधार करने के लिये अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग ने अब तक क्या योगदान दिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 63–ए के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित एक सांविधिक संस्था है ।

(ख) अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग का गटन अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परिवहन गाड़ियों के परिचालन को विकसित, समन्वय और विनियमन करने के लिए किया गया है । उक्त आयोग द्वारा किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप लगभग सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने अन्तर्राज्यीय मार्गों पर माल एवं यात्री सेवाओं के परिचालनार्थ अब आपस में करार किया है । आयोग ने, एकल कर की अदायगी तथा परमिटों पर बिना प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जाने के आधार पर परिचालन के लिये चुने गये किन्हीं प्रतिगामी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों पर सीमित संख्या में सरकारी गाड़ियों के बिना रोक टोक आवागमन के लिए पांच क्षेत्रीय परमिट योजनाएं भी शुरु की हैं अर्थात्—दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी तथा केन्द्रीय योजनाएं । इनमें से दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तरी, क्षेत्र की 3 योजनाओं को पहले ही अन्तिम रुप दिया जा चुका है और शेष दो योजनाओं अर्थात् पूर्वी तथा केन्द्रीय योजनाओं पर सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है ।

आयोग अनुमेय सीमा को. 33,000 पौंड (लगभग 15 टन) तक बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को राजी करते हुए राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर परिवहन गाड़ियों की लदान भार सीमा में कुछ हद तक एकरुपता लाने में समर्थ हुआ है ।

आयोग उस अवधि में भी सफलतापूर्वक एकरुपता ला सका है, जिसके लिए अस्थायी परमिटों पर चल रही गाड़ियों पर सड़क कर लिया जाना है । बहुत से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कम से कम एक सप्ताह अथवा दो सप्ताह के लिए अदायगी स्वीकार करने के आयोग के प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं ।

Construction of Road Bridge on river Ganga near Patna

***318. Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) Whether the pace of the construction work of the road-bridge being build over the Ganga river in Patna has slowed down due to paucity of funds;

(b) if so, whether the amount promised by the Central Government for its construction has not been given; and

(c) the reasons therefore and the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Kamalapati Tripathi): (a) to (c) The proposed road-bridge over the Ganga at Patna, when constructed, would fall on a State road. The Government of Bihar are, therefore, primarily concerned with all matters connected with this project. In order, however, to assist the State Government financially in its construction, the Government of India agreed to provide to them for the proposed bridge a non-Plan loan to meet 50% of the expenditure during the Fourth Plan period subject to a mixmum of Rs. 4·5 crores, the entire balance being met by the State Government from their own revenues. The entire amount of Rs. 4·5 crores had been paid to them upto the end of March 1974. There was no undertaking for the provision of any Central assistance in the Fifth Plan. Hence there is no provision for this purpose in the Central Sector in the 5th Plan and the bridge in the current plan forms part of the State Plan. As such the entire remaining cost to be incurred on the said bridge till its completion has to be met by the State Government from their own State Plan allocations. In the circumstances, the question of the Government of India paying any amount to the Bihar Government specifically for this bridge in the 5th Plan does not arise. The Govt. of India are not a iwaref the pace of work has slowed down due to paucity of funds.

Setting up Advisory Committee for Special Nutrition Programme

*319. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether an Advisory Committee for the Special Nutrition Programme was constituted on the 31st May, 1973;

(b) if so, the suggestions given by the Committee; and

(c) the extent to which these suggestions have been implemented by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) to (c) The Advisory Committee for the special Nutrition Programme, first set up in 1970-71, was last reconstituted on 31-5-1973. It met on 17-7-1973. The principal suggestions made by the Committee and the extent to which they have been implemeted are indicated below :—

Suggestions	Action Taken
1. The programme should be extended as early as possible as a large number of children still remains to be covered.	Expansion of the programme is sought to be achieved through the new scheme of Integrated Child Development services during the Fifth Five Year Plan.
2. Effective use should be made of the existing prophylaxis programmes against nutritional anaemia and vitamin 'A' deficiency.	This is being done by the Ministry of Health and Family Planning wherever feeding centres are located in areas covered by the prophylaxis programmes.

SUGGESTIONS	ACTION TAKEN
3. Immunisation of children should be undertaken and followed up systematically.	State Governments and Union Territory Administrations have been advised suitably in the matter. This will, however be systematically undertaken under the new scheme of Integrated Child Development Services.
4. Education in health, nutrition, etc., should be imparted to the beneficiaries.	
5. Guidance should be given to the Organizers and Helpers at the feeding centres in the preparation of nutritious recipes from locally available commodities.	Recipes developed by various institutes have been circulated to State Governments and Union Territory Administrations for distribution among the workers at feeding centres. Preparation of nutritious recipes is also the duty of balasevikas, incharge of balwadis and she is duly trained for the purpose.
6 Assistance of the women beneficiaries should be taken in the preparation and distribution of food and children should be kept engaged in other activities till food is ready to be served.	This is already being done, especially in the tribal areas.
7. Where it is difficult to arrange for nutritious foods locally, suitable processed foods should be made available.	This is being done through the Food Corporation of India, CARE, Modern Bakeries, etc.
8. Alternative delivery systems should also be tried with a view to effecting maximum possible economy in administrative costs.	This is fraught with certain risks of possible substitution, of supplemented diets. Emphasis is therefore laid on spot consumption of food.
9. Massive supplemental feeding cannot be sustained for long at Government cost. Government should therefore consider supplying inexpensive nutritious food to the poorer sections at subsidized prices.	This is not feasible in the prevailing circumstances.
10. Implications of long term effect of supplemental feeding on family planning should be looked into.	This will be kept in view while implementing the scheme of Integrated Child Development Services.

अच्छी किस्म के उर्वरक की कमी

*320. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अच्छी किस्म के उर्वरक की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त समस्या का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। आजकल देश में उर्वरकों की कुछ कमी है।

(ख) इस कमी का कारण देशी उत्पादन में कमी होना तथा विश्व बाजार में उर्वरकों की अपर्याप्त उपलब्धि का होना है।

(ग) सरकार देशी उत्पादन एवं उर्वरकों के आयात को बढ़ाने के लिये भरसक प्रयास कर रही है। सरकार कार्बनिक खादों के उत्पादन एवं उसके उपयोग को बढ़ाने और उपलब्ध रासायनिक उर्वरकों के दक्षपूर्ण उपयोग के सम्बन्ध में कृषकों को शिक्षा देने के लिये भी कदम उठा रही है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे खपतवार नियंत्रण के लिये विशेष अभियान प्रारम्भ करें, ताकि उर्वरकों के उपयोग के फलस्वरूप अधिक घास-पात उगने से होने वाली हानि को कम किया जा सके।

Rs. 53 Crores for Public Transport in Four Metropolitan Cities

*322. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Delhi, Calcutta, Madras and Bombay cities have asked the Central Government for an amount of about Rs. 53 crores for improvement in their public transport;

(b) the action being taken in this regard; and

(c) the dates on which this demand was made by these cities, separately and the reasons for still pending a decision ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Kamalapati Tripathi) : (a) City Transport Undertakings in Bombay, Calcutta, Madras and Delhi have asked for Central financial assistance to the extent of about Rs. 51 crores during 1974-75 for strengthening and improvement of public transport services in above cities.

(b) A provision of Rs. 10.33 crores has already been made in Central Govt's budget for 1974-75 for financial assistance to Delhi Transport Corporation for its schemes.

Govt. of India have also agreed, in principle, to give a loan of Rs. 3 crores to Pallavan Transport Corporation for improving the public transport system in the city of Madras.

Proposals in respect of BEST Undertaking, Calcutta State Transport Corporation and Calcutta Tramways Co. are being processed.

(c) The proposals concerning B.E.S.T. Undertaking were made by the Govt. of Maharashtra on 28th February, 1974 and by Govt. of West Bengal on 7th and 20th March, 1974 in respect of Calcutta State Transport Corporation and Calcutta Tramways Co., respectively. Since the proposed assistance would be in the shape of loan, an assurance had to be obtained from the concerned States that they would accept responsibility for repayment of loans on behalf of their city transport undertakings. The justification for the schemes had to be examined in detail. The recommendations of Planning Commission had also to be obtained in regard to allocation of funds to these undertakings, having regard to the resources position. Further the question of availability of vehicles with reference to the existing manufacturing programme had also to be considered. These were the main reasons holding up a decision in the matter.

बागानों में उर्वरक की कमी

*323. **श्री पी० गंगादेव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बागानों को उर्वरक की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या गत तिमाही में उड़ीसा को बागानों के लिये इसका कोई कोटा आवंटित किया गया था ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। देश में उर्वरकों की उपलब्धि में सामान्य कमी होने के फलस्वरूप बागान, खाद्य और अखाद्य फसलों को उर्वरकों की कुछ कमी का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) देशी उत्पादन और आयात को बढ़ाकर देश में उर्वरकों की उपलब्धि में वृद्धि करने के लिय प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि देश में समस्त फसलों और बागान फसलों के लिये उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध की जा सके।

(ग) उड़ीसा में बागान फसलों के लिये कोई अलग आबंटन नहीं किया जाता। तथापि प्रत्येक फसल के दौरान राज्य में उगने वाली समस्त प्रस्तावित फसलों को ध्यान में रख कर उड़ीसा राज्य की उर्वरकों की आवश्यकताओं का हिसाब लगाया जाता है। उर्वरकों के आबंटन इन आंकी गई आवश्यकताओं के आधार पर किये जाते हैं और विभिन्न फसलों के लिये उर्वरकों का आंतरिक वितरण करना राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाता है।

Oilseeds Development Scheme in Chambal Command Area

*324. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri N. K. P. Salve :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have sent all oil-seeds development scheme for inclusion in the Chambal Command area ; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) The Government of Madhya Pradesh have submitted a scheme of Intensive Oilseeds Development in certain compact areas falling within the Chambal Command. The scheme is proposed to be taken up as a part of the Centrally Sponsored Scheme. The scheme is being examined by Government of India. However, pending its final clearance, the State Government has been authorised to continue the Developmental work as per pattern approved for the Fourth Plan with reduced subsidies as applicable to the Fifth Plan.

राजस्थान आवास बोर्ड द्वारा बनाई गई गृह निर्माण योजनाएं

2130. **श्री मधु लिमये** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान आवास बोर्ड और अन्य आवास बोर्डों ने अनेक गृह निर्माण योजनायें तैयार की थीं जिनके अन्तर्गत कर्मचारियों को मकान लागत का 20 प्रतिशत जमा राशि के रूप में जमा कराना था और कर्मचारियों को अपने मकान बनाने योग्य बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार को उन्हें गृह-निर्माण अग्रिम देने थे ; और

(ख) क्या गृह-निर्माण अग्रिम अब रोक दिये गये हैं और अभी तक फिर से देने प्रारम्भ नहीं किये गये हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) निर्माण और आवास मन्त्रालय राज्य सरकार के कर्मचारियों को गृह-निर्माण हेतु कोई ऋण नहीं देता। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम देने पर, निधियों के अभाव के कारण अगस्त, 1973 में प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। हालांकि, इस प्रतिबन्ध को अप्रैल, 1974 में हटा दिया गया था तो भी पहले से की गई वचनबद्धताओं तथा प्रतिबन्ध के समय निलम्बित आवेदन-पत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। नये आवेदन-पत्र आमन्त्रित करने के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

उर्वरकों का आयात

2131. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में उर्वरकों के आयात के लिये किन-किन देशों से करार किये हैं और प्रत्येक देश से कितनी मात्रा में उर्वरक मिलने की सम्भावना है ;

(ख) उर्वरक के देश में अनुमानित उत्पादन और लक्षित खपत में जो अन्तर है क्या उसे आयातित उर्वरक से पूरा किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसकी मांग को पूरा करने के लिये क्या वैकल्पिक उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चालू वर्ष के दौरान जिन देशों से करार किये गये हैं उनके नाम तथा इन करारों के अनुसार पोषक तत्वों के रूप में प्राप्त होने वाली उर्वरकों की मात्रा नीचे दी गई है :—

('000 मीटरी टन)

देश	चालू वर्ष के दौरान किये गये करारों के अनुसार प्राप्त होने वाली मात्रा			
	एन०	पी०	के०	(योग एन०पी० के०)
रोमानिया . . .	20.80	..	..	20.80
पोलैंड	70.64	..	..	70.64
पूर्वी जर्मनी . . .	..	..	96.00	96.00
बल्गेरिया . . .	13.80	..	..	13.80
रूस . . .	86.20	..	22.57	108.77
युगोस्लेविया . .	5.60	3.80	4.00	13.40
उत्तरी कोरिया .	4.60	..	..	4.60
फ्रांस	5.00	5.00	5.00	15.00
हालैंड	16.79	..	..	16.79

देश	चालू वर्ष के दौरान किये गये करारों के अनुसार प्राप्त होने वाली मात्रा			
	एन०	पी०	के०	(योग एन० पी० के०)
पश्चिम जर्मनी .	27.45	13.90	26.90	68.25
इटली .	56.39	2.15	..	58.54
बेलजियम .	7.20	..	..	7.20
नार्वे . . .	6.81	..	..	6.81
अमरीका . .	52.26	133.56	..	185.82
जापान . . .	107.70	..	..	107.70
कुवत . .	63.25	..	..	63.25
कांगो . . .	..	..	43.20	43.20
कनाडा . .	..	..	225.00	225.00
योग .	544.49	158.41	422.67	1,125.57

(ख) जी नहीं । विश्व-बाजार में उर्वरकों की कम उपलब्धि होने के कारण चालू वर्ष के दौरान वास्तविक आयात लक्षित स्तर से कम होने की संभावना है । इस प्रकार मांग तथा उपलब्धि में अंतर रहेगा ।

(ग) सरकार देशी उत्पादन बढ़ाने के लिये भरसक प्रयास कर रही है । देश में कार्बनिक खाद के संसाधनों से अधिक से अधिक लाभ उठाने तथा उपलब्ध रासायनिक उर्वरकों का दक्षपूर्ण उपयोग करने के संबंध में कृषकों को शिक्षा देने के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं ।

Amount sanctioned from the Central Funds for construction and repair of roads in Madhya Pradesh

2132. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Shipping & Transport** be pleased to state:

(a) The total amount sanctioned from the Central Funds under the Fourth Five Year Plan for construction and repair of roads in Madhya Pradesh;

(b) whether the entier amount was spent for this purpose; and

(c) if not, the reasons therefore ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport : (Shri Pranp Kumar Mukherjee) : (a) and (b) The table below indicates the amount sanctioned by the Ministry of Shipping and Transport and the amount spent/

adjusted for construction and repairs of roads in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan period :

Name of the Scheme	Amount sanctioned	Amount spent/ adjusted (Rs. lakhs)
(i) National Highways (Original) Works . .	898.52	955.75
(ii) National Highways (Maintenance and Repairs). . .	457.62	465.32
(iii) Loan Assistance under State Roads of Inter State or Economic Importance.	88.39	88.39
(iv) Central Road Fund	199.13	199.13
(v) Advance Action for the 5th Plan pertaining to National Highways	11.27	11.27

(c) Does not arise.

दिल्ली में अतिथि नियंत्रण आदेश का उल्लंघन

2133. **श्री वेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1974 तक की अवधि में अतिथि निमंत्रण आदेश का उल्लंघन किये जाने के कारण दिल्ली में कितने व्यक्तियों पर मुकद्दमें चलाये गये, और

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति बड़े व्यापार गृहों से सम्बन्धित है और कितने वरिष्ट सरकारी अधिकारी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि अतिथि नियन्त्रण आदेश के उल्लंघन के कारण जनवरी से जून 1974 तक की अवधि में किसी व्यक्ति का चालान नहीं किया गया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फल तथा सब्जी उत्पाद निगम

2134. **श्री वेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या फल तथा सब्जी उत्पाद निगम की स्थापना की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो निगम के क्या मख्य कृत्य होंगें, क्या निगम फल और सब्जी उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने हेतु मदद देगा, और

(ग) निगम की प्राधिकृत पूंजी कितनी होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) फल तथा सब्जी उत्पाद निगम की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

वर्ष 1973-74 के दौरान चीनी का उत्पादन

2135. **श्री वेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972–73 में 38.72 लाख टन की तुलना में वर्ष 1973–74 में चीनी का उत्पादन 45 लाख टन होने का अनुमान है ;

(ख) चीनी के उत्पादन के सम्बन्ध में इस आशाजनक अनुमान का आधार क्या है; और

(ग) क्या अधिक उत्पादन के कारण खले बाजार में चीनी के मूल्य में काफी कमी हो जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) आंशिक नियंत्रण की नीति के जारी रहने और अधिसूचित न्यूनतम मूल्यों से काफी अधिक गन्ने के मूल्य का भुगतान करवाने के लिय उत्पादन शुल्क में छूट देने, जिसके फलस्वरूप गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में वद्धि हुई है, के परिणामस्वरूप चीनी का उत्पादन 1973–74 के दौरान सामान्यतया लगभग 45 लाख मीटरी टन होना चाहिए था। तथापि पायरिल्ला के रोग से गन्ने की खड़ी फसल को क्षति पहुंचने, सर्दी में कम वर्षा होने और उत्तर में मुख्यतया उत्तर प्रदेश और बिहार में पाला पड़ने के कारण अब यह अनुमान लगाया गया है कि चीनी का उत्पादन लगभग 40 लाख मीटरी टन होगा जबकि 1972–73 में 38.73 लाख मीटरी टन का उत्पादन हुआ था।

(ग) अनुमानित उत्पादन में कमी होने और बहुत आवश्यक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए इस वर्ष 5 लाख मीटरी टन चीनी निर्यात करने से सम्बन्धित निर्णय से आन्तरिक खपत के लिए लेवी और मुक्त बिक्री हेतु चीनी की मासिक नियुक्ति में कमी करना आवश्यक हो गया था। अत: उत्पादन में थोड़ी वृद्धि स खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में कमी होने की कोई आशा नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों की बिक्री

2136. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर/नवम्बर, 1973 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पंजीकृत व्यक्तियों को अपने सभी निर्मित फ्लैटों को बेचने के लिये विज्ञापन प्रकाशित करवाया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह काम पूरा हो गया है और अभी कितने मकान नहीं बेचे गये ; और

(ग) क्या पंजीकृत सूची में उम्मीदवारों की शेष फ्लैटों में रूचि नहीं है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नया पंजीकरण आरम्भ करने का है और यदि हां, तो कब ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) 462 फ्लैटों बेचने बाकी हैं ।

(ग) पंजीकृत व्यक्तियों की रूचि जानने के लिए इनको पुन: विज्ञापित किया जा रहा है।

ग्रेटर कैलाश भाग-ii, नई दिल्ली में बूस्टर पम्प

2137. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेटर कैलाश, भाग–ii, नई दिल्ली में जल प्रदाय में वृद्धि करने के लिये बूस्टर पम्प लगाने का काम अब पूरा कर लिया गया है और क्या उसके परिणामस्वरूप ऊंचे स्तर पर स्थित दक्षिणी ब्लाक एवं अन्य ब्लाकों में मकानों में पहली तथा दूसरी मंजिल पर पानी मिलना सम्भव हो सकेगा ;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरा होगा ; और

(ग) क्या सरकार ने दक्षिणी दिल्ली में जल प्रदाय में वृद्धि करने के लिये कोई व्यापक योजना तयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस योजना में ग्रेटर कैलाश भाग–ii की स्थिति क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : दिल्ली नगर निगम के जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :—

(क) तथा (ख) ग्रेटर कैलाश ii में अस्थायी बूस्टिंग पम्प घर ने जून 1973 में का आरम्भ कर दिया था तथा ग्रेटर कैलाश ii के एस० तथा डब्ल्यू ब्लाकों को छोड़कर जोकि अन्य ब्लाकों की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं, सभी ब्लाकों को पानी दे रहा है। एस० तथा डब्ल्यू० ब्लाकों को पानी विद्यमान नलकपों से सामान्य रूप से दिया जाता है। एस० तथा डब्ल्यू० ब्लाकों की स्थिति में और भी सुधार हो जायेगा। जबकि दूसरे नलकूप का कार्य, जिस पर कार्य चल रहा है, मार्च, 1975 तक चाल हो जायेगा।

(ग) जी, हां। दक्षिण दिल्ली की जल पूर्ति के लिए जलपूर्ती तथा मल व्ययन संस्थान ने 1.33 करोड़ रुपये की एक विस्तृत योजना बनाई है तथा इसे क्रमावस्था में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अधीन ग्रेटर कैलाश पम्प घर में 45 लाख गैलन क्षमता के 2 भूमिगत जलाशय तथा पम्पिग मशीन लगाने का कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है तथा उसने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। पंचशील, मालवीय नगर, इण्डियन इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नोलोजी तथा श्री निवासपुरी की 4 ऊंची टंकियों ने भी काय आरम्भ कर दिया है। होजखास टैंक का कार्य प्रगति पर है। ग्रेटर कलाश में एक केंद्रीय ऊंची टंकी के साथ साथ इस टंकी के मुख्य पम्प नलों की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई की जा रही है तथा स्थल पर विकास कार्य की आवश्यकता के अनुसार कार्य किया जायेगा।

किसानों से गेहूं की वसूली के बारे में 2 जून, 1974 को राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठक

2138. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री पी० गंगादेव :

श्री पी० के० देव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी अध्यक्षता में राज्यों के खाद्य मंत्रियों की एक बैठक 2 जून, 1974 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बैठक में किसानों को अपने गेहूं के भण्डार बाहर निकालने के लिये प्रोत्साहन देने के तरीकों पर विचार किया गया था ; और

(ग) क्या कुछ राज्यों ने राज्यों की वसूली एजेन्सियों को नकद ऋण की सीमाओं में वृद्धि करने की मांग की थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) केन्द्रीय कृषि मन्त्री की अध्यक्षता में 2-6-74 को नई दिल्ली में राज्य खाद्य मन्त्रियों की कोई बैठक नहीं हुई थी। तथापि, कृषि राज्य मन्त्री की अध्यक्षता में 3-6-74 को नई नीति के समन्वय और कार्यान्वयन सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में अन्य लोगों के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिशेष राज्यों के खाद्य मन्त्रियों ने भी भाग लिया था। अधिप्राप्ति बढ़ाने के उपायों में, उर्वरक, सीमेन्ट आदि की सप्लाई को गेहूं की अधिप्राप्ति के साथ जोड़ने के प्रश्न पर चर्चा की गई थी ।

(ग) जी, नहीं ।

डीजल से चलने वाले इंजनों को गाय के गोबर की गैस से चलाने के लिए 'कनवर्शन किट'

2139. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश सिचाई विभाग ने डीजल से चलने वाले इंजनों को गाय के गोबर की गैस से चलाने के लिये एक 'कनवर्शन किट' का डिजाइन तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अविष्कार की मितव्ययिता के बारे में जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार एक 'कनवर्शन किट' की लागत लगभग 400 रुपये आएगी। अनुमान है कि वाणिज्यिक तौर पर प्रयोग में लाये जाने पर इस अविष्कार से लगभग 85—90 प्रतिशत डीजल की बचत होगी। बाजार में बेचे जाने लायक ऐसी किट का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है ।

मंड़ियों में गेहूं की आमद तथा वसूली के बारे में 21-5-74 को कुछ राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक

2140. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री अनादिचरण दास :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के खाद्य मंत्रियों ने गेहूं की वसूली के के बारे में 21 मई, 1974 को उनसे भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने वसूली को निराशाजनक स्थिति तथा गहूं का मंडियों में कम आमद की शिकायत की थी; और

(ग) तब से अब तक गेहूं की आमद तथा वसूली में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के खाद्य मन्त्री केन्द्रीय कृ मंत्री से अलग अलग 21-5-74 को मिले थे। तथापि मध्य प्रदेश के खाद्य मन्त्री उस तारीख को उनसे नहीं मिले थे। इन बैठकों में गेहूं की अधिप्राप्ति की प्रगति और उससे सम्बन्धित मामलों पर चर्चा की गई थी।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 गेहूं के अधिशेष जिलों की हद बन्दी कर दी थी और उनके 8 ब्लाक बनाए थे। एक ही ब्लाक में, एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक में और एक ब्लाक के बाहर के स्थान से ब्लाक के अन्दर किसी स्थान को गेहूं के संचलन पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए थे। उत्तर प्रदेश सहकारी संघ और राज्य विपणन संगठन ने पहली जून 1974 से सीधी खरीदारी शुरू की थी। पहली जून, 1974 से जमा स्टाक निकलवाने की कार्यवाही बड़े पैमाने पर शुरू की गई थी।

राजस्थान : अधिशेष जिलों की हद बन्दी की गई थी और जमा गेहूं निकलवाने के लिए प्रभावी पग उठाए गए थे। 17 जून, 1974 को गेहूं पर उत्पादक लेवी लागू की गई थी। गेहूं की अधिप्राप्ति को उर्वरक मिट्टी के तेल, कपड़ा और सीमेंट बशर्ते कि ये वस्तुएं उपलब्ध हो, की सप्लाई गेहूं की अधिप्राप्ति के साथ जोड़ी गई थी।

मध्य प्रदेश : राज्य जिन्स व्यापार निगम द्वारा लगभग 125 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर काश्तकारों से सीधी खरीदारी का सहारा लिया गया था।

पांचवी योजना के दौरान वन रोपण

2141. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वन सम्पत्ति के संरक्षण, देश में नई सम्पत्ति बनाने तथा भू-परिरक्षण के लिये, वैज्ञानिक वन-रोपण हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : योजना आयोग ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में वैज्ञानिक आधार पर देश में वन सम्पदा का समग्र विकास करने के लिये राज्य क्षेत्र में 173 करोड़ रु०, केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र में 19 करोड़ रु० और केन्द्रीय क्षेत्र में 29.33 करोड़ रुपये के परिव्यय की मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त लगभग 120 करोड रु० की रकम संस्थागत वित्त के माध्यम से प्राप्त करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित विकास कार्यक्रम में वन-रोपण को काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 लाख हैक्टार से अधिक क्षेत्र में वनरोपण कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

मृदा संरक्षण के अन्तर्गत वनरोपण कार्यक्रमों के लिये परिव्यय की अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि वनरोपण उन मृदा संरक्षण कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग हैं, जोकि दामोदर घाटी निगम और राज्यों द्वारा 21 प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में चलाये जा रहे हैं। पांचवीं योजना के दौरा इस केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के लिये योजना आयोग द्वारा 36.00 करोड़ रु० के परिव्यय की मंजूरी दी गई है।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त मृदा संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वनरोपण कार्य राज्य योजना कार्यक्रम के रूप में भी किया जा रहा है।

लद्दाखी छात्रों को छात्रवृत्ति

2142. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिले से बाहर उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन करने के लिए लद्दाखी छात्रों को इस समय कितने और कितनी धनराशि की छात्रवृत्तियां मिलती हैं; और

(ख) इसमें वृद्धि करने के लिए कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देशीय उर्वरक बनाने के लिए किसानों को ऋण

2143. **श्री पी० गंगादेव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरकों की कमी तथा कम सप्लाई का मुकाबला करने हेतु गांव में ही देशीय उर्वरक बनाने के लिये किसानों को ऋण देगी; और

(ख) क्या इससे उर्वरकों की कमी पूरी हो जायेगी और कृषि उत्पादन कम नहीं होगा तथा मूल्य-स्तर नहीं बढ़ेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) यह प्रश्न सम्भवत: कार्बनिक खाद के विकास के लिये किसानों को ऋण देने के सम्बंध में पूछा गया है। ऐसे उद्देश्यों के लिये कृषकों को ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु, इस मंत्रालय का 20,000 गोबर गेस प्लांट लगाने के लिए किसानों को गोबर गैस प्लांट की पूंजी मत लागत पर 25% आर्थिक सहायता देने का विचार है। शेष धनराशि बैंकों से ऋण के रूप में उपलब्ध होगी।

(ख) कार्बनिक खाद की उपलब्धि से रासायनिक उर्वरकों की पूर्ति की जायेगी और इस प्रकार उर्वरकों के कुल उपलब्धि में वृद्धि होगी।

Rice and Sugar to Punjab during 1972-73 and 1973-74

2144. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantum of rice and sugar given to Punjab Government by the Central Government during the financial years 1972-73 and 1973-74;

(b) the quantum of rice and sugar demanded by the State Government from the Central Government during the said period; and

(c) the reasons for not giving full quota?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) (a) The quantity of rice and levy sugar supplied/allotted to Punjab during the financial years 1972-73 and 1973-74 is indicated below:—

(Quantity in thousand tonnes)

Year	Rice	Levy Sugar
	Quantity supplied	Quantity allotted
1972-73	NIL	77.360
1973-74 .	NIL	80.224

(b) & (c) Punjab is surplus in rice and as such no demands were received from the State Government during 1972-73 and 1973-74.

As regards sugar, monthly levy quota of sugar to each State/Union Territory is fixed on a rational basis after taking into account the population factor, consumption pattern during the years 1967-68 and 1968-69 as well as the availability of levy sugar for allotment to States. A request was received in June, 1973 from the State Government for increasing their monthly quota to 7,500 tonnes. In reply, the basis for fixation of monthly quotas was explained and the State Government was told that as and when availability of sugar in the country improved, the possibility of increasing the allotment to all States including Punjab would be considered.

Increase in Price of essential Food Articles

2145. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have increased the prices of essential food articles considerably; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P Shinde) : (a) & (b) There has been an increase in the Central Issue Prices of foodgrains consequent upon upward revision of the procurement prices, so as to reduce the burden of ubsidy and deficit financing and also to give remunerative prices to the growers.

Rice and Sugar Supplied to Rajasthan during 1972-73 and 1973-74

2146. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of rice and sugar supplied to the Rajasthan Government y the Central Government during the financial years 1972-73 and 1973-74;

(b) the quantity of rice and sugar demanded by the State Government from the Central Government during the said period; and

(c) the reasons for not supplying the full quota ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The quantity of rice and levy sugar supplied/allotted to Rajasthan during the financial years 1972-73 and 1973-74 is indicated below :—

(Quantity in thousand tonnes)

Year	Rice	Levy sugar
	Quantity supplied	Quantity allotted
1972-73	0.1	107.112
1973-74	0.2	110.986

(b) & (c) Rajasthan is normally self-sufficient in rice. As such only small quantities of rice were asked for for East Pakisthan Refugees and URS festival and these demands were met in full.

As regards sugar, monthly levy quota of sugar to each State/Union Territory is fixed on a rational basis after taking into account the population factor, consumption pattern during the years 1967-68 and 1968-69 as well as the availability of levy sugar for allotment to States. No request for increasing the monthly quota of sugar was received from the State Government.

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के लिए विदेशी ठेके

2147. **श्री बी० मायावन :**

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने, जोकि निर्माण और आवास मंत्रालय का सम्बद्ध निगम है, विदेशी ठेके प्राप्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों में ;

(ग) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने उन देशों को विशेषज्ञों का कोई दल भेजा है ; और

(घ) ठेकों की मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) चेकोस्लावाकिया में सिविल निर्माण कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के सहयोग की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए, मैसर्स स्टेजेक्सपोर्ट, फारिन ट्रेड कार्पोरेशन, वाक्लावेक नाम 56,113 26 प्राहा 1 के नियंत्रण पर, निगम के मुख्य इंजीनियर के नेतृत्व में तीन सदस्यों का एक तकनीकी दल जून, 1974 में प्राग भेजा गया था।

(घ) जैसे कि उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में कहा गया है निगम को अभी तक कोई ठेका नहीं दिया गया।

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल की सप्लाई

2148. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई के सम्बन्ध में वर्ष 1973 के दौरान कितनी परियोजनायें केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की; और

(ख) उनमें से कितनी और कौन-कौन सी परियोजनायें केन्द्र सरकार ने मंजूर कर दी है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल पूर्ति की व्यवस्था करने की 9 योजनाएं वर्ष 1973 में तकनीकी जांच के लिए प्राप्त हुई थीं।

(ख) सभी 9 योजनाओं की तकनीकी जांच, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन द्वारा की गई थी तथा उन्हें सम्बन्धित टिप्पणी सहित राज्य सरकार के पास भेज दिया था। योजनाओं का नाम तथा उनकी अनुमानित लागत निम्नलिखित है :—

क्र० सं०	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1	2	3
1	बरसर बणी ग्रुप	46.80
2	रामगढ़ धार ग्रुप (चरण–[1])	49.26
3	तलाराह पड़वाल आदि	12.97
4	सरकाघाट ग्रुप	41.17
5	भराड़ी तथा लडियाणी ग्रुप	12.20
6	बिवा ग्रुप	45.54
7	बीत इलाका संवर्धन जलपूर्ति योजना	13.83
8	पंचायत खलेत ग्रुप	12.59
9	फतेपुर ग्रुप	12.39

नये तेलवाहकों के नाम धार्मिक नेताओं के नाम पर रखना

2149. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत द्वारा प्राप्त किये जाने वाले नये तेलवाहक जहाजों के नाम धार्मिक नेताओं के नाम पर रखने का है;

(ख) यदि हां, तो जिन पैगम्बरों के नाम पर उनके नाम रखने का प्रस्ताव है, क्या उनसे सम्बद्ध धार्मिक संगठनों से इस बारे में विचार विमर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या किसी धार्मिक संगठन ने इस बारे में कोई विरोध प्रकट किया है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। जहाजों का नाम शिपिंग कंपनियों रखती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत की महाबोधि सोसायटी ने शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा जापान से खरीदे गये खेले माल वाहक जहाज का नाम गौतम बुद्ध रखने पर आपत्ति की थी। बाद में कारपोरेशन ने निश्चय किया कि इसका नाम बदलकर सम्राट अशोक कर दिया जाये।

दिल्ली परिवहन निगम को हुआ लाभ

2150. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने अपने अस्तित्व में आने के समय से अब तक कोई लाभ दिखाया है;

(ख) यदि हां, तो इस निगम ने कितना लाभ कमाया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं; और

(घ) इस निगम ने कार्यकरण को बेहतर बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है, करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम का कोई लाभ न कमाने के मुख्य कारण हैं—अपनी बसों के परिचालन की ऊंची लागत और अपनी सेवाओं के लिय किराये की मामूली दर जिन में 1964 से संशोधन नहीं किया है। जिसके फलस्वरूप आय और व्यय के बीच काफी बड़ा अन्तर पड़ गया है।

(घ) नय डिपुओं का निर्माण, मौजदा डिपुओं का नवीनीकरण और केन्द्रीय वर्कशाप के लिये अतिरिक्त उपस्करों की खरीद ताकि अनुरक्षण सुविधाओं में सुधार किया जा सके और बेड़े में वृद्धि और अधिक सु-व्यवस्थित ढंग से मांगों का पुनर्निर्माण कार्य जैसे कुछ मुख्य उपाय निगम की आय में बृद्धि करने में लिय किये जा रहे हैं।

वर्ष 1973-74 में बन्द किए गए केन्द्रीय विश्वविद्यालय

2151. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छात्र असंतोष सहित विभिन्न दंगों के कारण शिक्षा वर्ष 1973-74 में प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय कितनी बार बन्द किया गया;

(ख) क्या सम्बन्धित विश्वविद्यालयों ने इसके कारणों का पता लगाने और समस्याओं का समाधान करने के लिये कोई प्रयत्न किया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक विश्लेषण का संक्षिप्त विवरण क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार छात्र अशान्ति के कारण शैक्षिक वर्ष 1973-74 के दौरान इन में से कोई विश्वविद्यालय बन्द नहीं हुआ था। विश्व भारती के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र महानगरीय दुग्ध योजनाओं के विस्तार में विलम्ब

2152. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की चार महानगरीय दुग्ध योजनाओं की विस्तार की योजना को आरम्भ करने में लगभग तीन वर्ष का विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विस्तार सम्बन्धी योजनाओं को पूरा करने के लिए वर्ष-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे तथा वे किस प्रकार प्राप्त किये गये अथवा क्या वे लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके ;

(ग) विस्तार सम्बन्धी योजना कितनी सीमा तक आयातित दुग्ध चूर्ण और उपहार में मिले दुग्ध चूर्ण पर अलग-अलग, निर्भर थी ; और

(घ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) विश्व खाद्य कार्यक्रम 618 (आपरेशन फ्लड) परियोजना के अन्तर्गत चार महानगरीय डेरियों का विकास -कार्य इस परियोजना के दूसरे वर्ष के दौरान इस प्रकार पूरा किया जाना था :—

(लिटरों में)

	परियोजना से पहले	विस्तार के बाद
दिल्ली दुग्ध योजना	300,000	380,000
वृहत बम्बई दुग्ध योजना	500,000	605,000
बृहत कलकत्ता	200,000	265,000
मद्रास	50,000	100,000

यूनिसेफ से उपहार के तौर पर प्राप्त उपस्करों के विलम्ब से आने के कारण इस विस्तार-कार्य में बिलम्ब हुआ था। तथापि, मद्रास के मामले में लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ता के मामले में विस्तार-कार्य को शीघ्र पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है।

(ग) इस विस्तार योजनाओं पर होने वाला खर्च उपहारस्वरूप प्राप्त स्किम दुग्ध चूर्ण और बटर आयल की बिक्री से प्राप्त धनराशि में से पूरा किया जाना था।

उर्दू बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री

2153. **श्री नरेन्द्र कुमार सोंधी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्दू बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकें पहले ही एक अन्य सरकारी उपक्रम नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो दोनों संस्थाओं को एक ही कार्य करने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण है ; और

(ग) वित्तीय दृष्टि से यह व्यवस्था कहां तक सहायक है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, जो स्वायत्तता प्राप्त संगठन है, तरक्कीए-उर्दू बोर्ड की रचनात्मक स्तर पर बोर्ड के तत्वविधान में तैयार की गई उर्दू-पाण्डुलिपियों को प्रकाशित करने की व्यवस्था के लिए सहमत हो गया। न्यास अपनी बिक्री संस्थाओं के माध्यम से इन पुस्तकों के वितरण और बिक्री को शामिल करने के लिए भी सहमत हो गया। यह व्यवस्था अभी तक बनी हुई हैं। इस व्यवस्था में दोहरेपन का डर नहीं है। वास्तव में बोर्ड के आरम्भिक स्तर पर इसके अधीन पृथक बिक्री मशीनरी (कार्य-प्रणाली) के सृजन से बिक्री सम्बन्धी कार्य की दिवरावृत्ति को इस प्रकार दूर कर दिया गया है। तथापि, बोर्ड के काम में अब बहुत वृद्धि हो गई है, और परिवर्तित स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन पुस्तकों के मुद्रण और विक्रय के लिए ऐसी व्यवस्था पर विचार हो रहा है जो सब से अधिक उपयुक्त हो।

भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान फिर से प्रारम्भ करने के लिए वार्ता

2154. **श्री मधु लिमये** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान सरकारों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान फिर से आरम्भ करने के लिए गत दो वर्षों में कोई बात हुई है;

(ख) भारत सरकार ने इस बारे में क्या ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किए; और

(ग) इन प्रस्तावों पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) शिमला समझौते के पैरा-3 में निर्दिष्ट सामान्यीकरण के विभिन्न उपायों में विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में विनिमय भी शामिल है। तथापि, अभी वह स्थिति नहीं आई है जहां भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमण्डलों के बीच इस विषय पर विचार विमर्श किया जा सके।

तिलहनों का उत्पादन

2155. **श्री मधु लिमये** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में विभिन्न प्रकार के तिलहनों का अनुमानित उत्पादन कितना रहा;

(ख) क्या इस में कोई कमी आई थी;

(ग) यदि हां, तो कितनी;

(घ) विभिन्न प्रकार के तिलहनों तथा तेलों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(ङ) वर्ष 1973-74 में विभिन्न प्रकार के तिलहनों तथा तेलों का कितनी मात्रा में आयात किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) सभी राज्यों से वर्ष 1973-74 के लिए विभिन्न प्रकार के तिलहनों के उत्पादन के पक्के अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। खरीफ की दो प्रमुख तिलहनों अर्थात मूंगफली और तिल के सम्बन्ध में प्रमुख उत्पादन करने वाले राज्यों से मिली सूचना से पता चलता है कि इनका उत्पादन 1972-73 की तुलना में 1973-74 में काफी अधिक होगा।

(घ) वर्ष 1972-73 (अप्रैल-मार्च) तथा 1973-74 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान देश से निर्यात किए गए तिलहन तथा तेलों सम्बन्धी सूचना नीचे सारणी में दी गई है :--

(मीटरी टनों में)

	1972-73 (अप्रैल-मार्च)	1973-74 (अप्रल-जनवरी)
तिलहन--		
मूंगफली की गिरी एच पी एस	18,594	26,050
साबत मूंगफली एच पी एस	2,881	4,033
गारी	1	8
सरसों	4,115	13
तिल्ली	51	155
कुसुम	822	151
तिल	242	61
अन्य गौण तिलहन (जसे कि अजमा, अजवान, सवा, अन्य आवश्यक बीज, पोस्त बीज आदि)	2,729	1,235
कुल	29,435	31,706
वनस्पति तेल--		
एरंड का तेल	45,700	29,265
नारियल का तेल	108	49
सरसों का तेल	1,696	158
अलसी का तेल	17	5
नारियल का तेल	585	47
तिल का तेल	6	5
अन्य तेल (जसे जैतून का तेल, काजू के छिलके का तेल, चौल मुगरा का तेल, कुसुम आदि का तेल)	5,151	3,838
योग	53,263	33,368

(**स्रोत:** डी जी सी आई एस कलकत्ता के जरिए प्रकाशित--भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े --खंड 1)

(ङ) निम्नलिखित सारणी में 1973-74 (अप्रैल-मार्च) वर्ष के दौरान तिलहनों तथा तेलों का आयात किया गया है :—

सामग्री	मात्रा मीटरी टनों में
सोयाबीन का तेल	33,833
ताड़ का तेल	70,370
तोरिया का तेल	324,735
	†5,500
तोरिया	27,000

चीनी उत्पादकों के लिए लेवी चीनी के मूल्य में वृद्धि

2156. **श्री मधु लिमये :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उत्पादकों के लिए लेवी चीनी के मूल्य में वद्धि करने का निणय किया है;

(ख) इस वृद्धि सम्बन्धी आदेश क्या हैं; और

(ग) भारत के बड़े औद्योगिक नगरों तथा अन्य नगरों में लेवी चीनी के वास्तविक विक्रय मूल्यों में 15 जून, 1973 और 15 जून, 1974 को क्या अन्तर था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) लेवी चीनी के समान खुदरा निर्गम मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । यह मूल्य दिसम्बर 1972 में समूचे देश के लिए 2.15 रुपये प्रति किलो ग्राम निर्धारित किया गया था ।

विकलांग विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्तियां

2157. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि प्रत्यक राज्य में वर्ष 1973-74 के दौरान विकलांग विद्यार्थियों को कुल कितनी छात्रवृत्तियां दी गई और प्रत्येक राज्य के लिय कितनी धनराशी दी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : एक विवरण पत्र, जिसमें जानकारी दी गई है, सलंग्न है ।

†अनुदान के रूप में ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1973-74 के दौरान ऐसे छात्रों की संख्या जो पहले से ही छात्र-वृत्तियां ले रहें थे	1973-74 के दौरान दी गई नई छात्र-वृत्तियों की संख्या	जोड़	लगभग धन राशि
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	206	204	410	1,55,180
2	असम	10	5	15	6,290
3	बिहार	40	35	75	29,235
4	गुजरात	281	181	482	1,80,482
5	हरियाणा	64	37	101	70,430
6	जम्मू तथा कश्मीर	33	227	60	6,545
7	केरल	255	204	459	1,62,062
8	कर्नाटक	279	242	521	2,05,602
9	हिमाचल प्रदेश	2	10	12	3,205
10	मध्य प्रदेश	149	100	249	1,13,685
11	महाराष्ट्र	216	283	499	1,79,500
12	उड़ीसा	50	73	123	44,595
13	पंजाब	44	14	58	20,440
14	राजस्थान	193	126	319	1,53,225
15	तमिल नाडु	265	183	448	1,77,700
16	त्रिपुरा		9	9	3,840
17	उत्तर प्रदेश	186	135	321	1,48,590
18	पश्चिम बंगाल	148	92	240	87,760
19	अंडमान और निकोबार	5	1	1	280

1	2	3.	4	5	6
20	चंडीगढ़ प्रशासन	6	2	8	2,280
21	दिल्ली प्रशासन	118	83	201	1,27,537
22	गोवा, दमन, दीव	..	8	8	3,919
23	मिजोरम	1	3	4	1,680
24	पांडिचेरी	3	11	14	5,980
		2,549	2,070	4,619	18,90,003

टिप्पणी—छात्रवृत्तियों की दर अध्ययन के विभिन्न स्तरों के अनुसार अलग-अलग है। छात्रवृत्ति की धन-राशि राज्य सरकारों या संघ शासित क्षेत्रों को आबंटित नहीं की जाती बल्कि संस्थानों के प्रधानों के द्वारा छात्रों को दी जाती है।

राज्यों में पेय जल की सप्लाई के लक्ष्यों की प्राप्ति

2158. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973-74 वर्ष के लिये पेय जल की सप्लाई के लिये निर्धारित लक्ष्य अधिकतर राज्यों द्वारा प्राप्त नहीं किये जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य लक्ष्यों से पीछे हैं और उस के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, सूचना के दो राज्यवार विवरण-पत्र विवरण-I तथा II संलग्न हैं। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए, संख्या एल० टी० 8169/74।]**

I. वर्ष 1973-74 के दौरान, नई जलपूर्ति योजनाओं के लिए शहरी जलपूर्ति के लक्ष्यों तथा संवर्धन योजनाओं और वर्ष 1973-74 के दौरान सम्भावित प्रगति का विवरण-पत्र।

II. वर्ष 1973-74 के दौरान ग्रामीण जलपूर्ति के लक्ष्यों तथा सम्भावित प्रगति का विवरण-पत्र।

कमी को विवरण पत्रों में दिखाया गया है। कमी का मुख्य कारण वित्तीय प्रतिबंध था।

दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध रजिस्टर्ड मामलें

2159. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई से जुलाई, 1974 तक की अवधि में दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध कुल कितने मामले रजिस्टर किये गये; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान सिविल सप्लाई के कितने अधिकारियों को इन मामलों से सम्बन्धित पाया गया और उनके विरुद्ध क्या आवश्यक कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि मई से जुलाई, 1974 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध 46 मामले दर्ज किए गये थे। दिल्ली प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि एक निरीक्षक, जो कि इससे संबंधित पाया गया था, को मुअत्तल कर दिया गया था।

दिल्ली में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा मिल्क-बूथों के निर्माण का विरोध

2160. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा दक्षिणी दिल्ली की कालोनियों में मिल्क-बूथों के निर्माण का उस क्षेत्र के निवासियों ने कोई विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में भ्रम को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) कुछ स्थानों पर अधिक बल्क मिल्क बैंडिंग बूथों के निर्माण करने के सम्बन्ध में कालोनियों के निवासियों के एक वर्ग ने कुछ विरोध किया था।

यह विरोध प्रायः इन स्थानों के समीप स्थित दुकानों/मकानों के निवासियों ने इस आशय में किया था कि इन बूथों के निर्माण से उनके व्यापार तथा उनकी एकान्तता में बाधा पड़ेगी। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के प्रतिनिधियों ने इस सम्बन्ध में दुकानदारों/निवासियों के प्रतिनिधियों तथा स्थानीय नगरपालिका के पार्षदों से सम्पर्क स्थापित करके उन्हें दुग्ध बूथों की स्थापना से कालोनियों के निवासियों को होने वाले आम लाभों के सम्बन्ध में अवगत किया था।

5 इलाकों (जिसमें कि एक मामले में निर्माण कार्य छोड़ना पड़ा तथा अन्य मामलों में निर्माण-कार्य स्थगित करना पड़ा है) के सिवाय दुकानदारों/निवासियों के प्रतिनिधियों ने प्रायः इन लाभों की प्रशंसा की और उन्होंने अपनी आपत्तियों के सम्बंध में आग कोई दबाव नहीं डाला।

सफदरजंग उपरि पुल को यातायात के लिए खोलना

2161. **श्री एस० कदामूतु** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग उपरि पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर से यातायात को गुजरने की अनुमति कब दी जायेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा भार-परीक्षण किए जा रहे हैं। ये परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो जाने के बाद, उपरि पुल यातायात के लिए चालू कर दिया जाएगा।

छात्र कल्याण एकक स्थापित करने का प्रस्ताव

2162. **श्री एम० कदामूतु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्र कल्याण यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं और इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) छात्रों की कुछ तात्कालिक आवश्यकताओं की जांच करने के लिए शिक्षा मंत्रालय में एक यूनिट का गठन किया गया है।

गुजरात में वनस्पति के मूल्य, नियंत्रित मूल्य से अधिक होना

2163. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 24 मई, 1974 के समाचार पत्र में इस समाचार को देखा है कि गुजरात में वनस्पति के मूल्य नियंत्रित मूल्यों से 50 प्रतिशत अधिक है; और

(ख) क्या राज्य को 600 टन वनस्पति का आबंटन किया गया था जिस से केवल 250 टन को बाजार में बेचा गया था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के 24 मई, 1974 के अंक में "गुजरात में सीमेन्ट, वनस्पति अधिक महंगा" के शीर्षक से एक समाचार छपा था ।

(ख) वनस्पति के वितरण और संचलन पर कोई केन्द्रीयकृत नियन्त्रण नहीं है और इसके फलस्वरूप राज्यों को आबंटन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में दूध का उत्पादन

2164. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में दूध का उत्पादन हाल ही के वर्षों में 17 लाख टन प्रति वर्ष से घटकर 13 लाख टन प्रति वर्ष रह गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में ढोरों के संकरण कार्यक्रम को तेज करने का है ;

(घ) क्या उन स्थानों पर संकरण कार्यक्रम असफल रहा है जहां प्रबंध चारे तथा रोग नियंत्रण की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है । प्राप्त होने पर सभा-पटल पर यथा-शीघ्र रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय कृषि औद्योगिक निगम, दिल्ली द्वारा निधियों के दुर्विनियोग के बारे में जांच

2165. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राष्ट्रीय कृषि-उद्योग निगम, दिल्ली द्वारा धन के दुर्विनियोग करने के बारे में जांच इस बीच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) क्या इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इस मंत्रालय का सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त होने पर ही इस मामले की जांच की जाएगी ।

राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रमाणित बिनौलों का उत्पादन तथा विपणन

2166. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने प्रभावित बिनौलों के उत्पादन तथा विपणन की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं और सरकार उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित करेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने बिनौलों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और विपणन के बारे में कोई अलग रिपोर्ट या कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान वनस्पति में मूंगफली के तेल की प्रतिशतता

2167. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान वनस्पति में मुंगफली के तेल की कितनी प्रतिशतता थी ;

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान वनस्पति में मूंगफली के तेल की कितनी प्रतिशतता मिलाने की अनुमती दी गई है ; और

(ग) मुंगफली के तेल की प्रतिशतता में भिन्नता होने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख)

जोन	1972–73 (वास्तविक)	1973–74 (वास्तविक)	1974–75 (अधिकतम अनुमेय सीमा)
उत्तरी . . .	51.2	26.3	55.0
दक्षिणी .	66.4	40.4	70.0
पूर्वी . . .	54.0	13.07	60.0
पश्चिमी . . .	48.5	30.0	55.0
अखिल भारतीय औसत . .	52.3	27.8	..

(ग) 1973-74 के दौरान मूंगफली के तेल के प्रयोग के स्तर में गिरावट आने के निम्नलिखि कारण है :—

(1) फसल वर्ष 1972-73 के दौरान मुंगफली के उत्पादन में भारी गिरावट आने के परिणाम-स्वरूप 1973-74 के दौरान मूंगफली के तेल की कम उपलब्धता और इसके फलस्वरूप मूंग-फली के तेल के ऊंचे मूल्य होना ;

(2) सरकार दवारा दिसम्बर, 1972 में पहली बार वनस्पति में विशिष्ट सीमाओं से अधिक मूंगफली के तेल के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाना । यद्यपि ये प्रतिबन्ध लग रहे लकिन दिस-म्बर, 1973 से प्रत्यक जोन में प्रयोग की अधिकतम सीमाओं में 10 प्रतिशत की ढील दी गई । यह ढील फसल वर्ष 1973-74 के दौरान मूंगफली का तब अधिक उत्पादन होने का अनुमान लगाने के कारण दी गई थी ; और

(3) उस वर्ष बिनौले के तेल की अधिक उपलब्धता और वर्ष के कुछ भाग में पहली बार सरसों के तेल के प्रयोग की सुविधा प्रदान करना ।

Introduction of Five-minute service on Route No. 107 of D.T.C.

***2169. Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether there remains great rush on Green Line Service Route No. 107 from Moti Nagar to Central Secretariat compared to other Green Line routes and the commuters have to wait for more than an hour to catch the bus on that route; and

(b) if so, whether Government propose to introduce 5 minutes service on the said route ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Tne of passengers using the bus services on route No. 107 is fairly large but it is not a fact that commuters have to wait for more than one hour to get the bus on this route.

(b) In order to reduce the pressure on the route and also for the con-venience of long distance passengers, Delhi Transport Corporation has recently converted the peak hour services on route No. 47 into a whole day service with a frequency of 10/20 minutes. This route from Tilak Nagar to Central Secretariat runs parallel to route No. 107 between Moti Nagar and Central Secretariat. The rush of passengers on this route is also now being shared by the services on route No. 6 which have been diverted *via* Shankar Road. The Corporation proposes to strengthen further the services on this route when additional buses are available.

केरल में बेकार कृषि स्नातक

2170. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में बेकार कृषि स्नातकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उन्हें स्वयं रोजगार के लिये कोई प्रोत्साहन दिये गये हैं ; और

(ग) क्या उनके पास उर्वरकों की एजेन्सियां भी हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) केरल में बेरोजगार कृषि स्नातकों की सही संख्या पता नहीं है । तथापि 31 दिसम्बर, 1973 को केरल में रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में 84 कृषि स्नातकों के नाम दर्ज थे । इनमें चार स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी शामिल है ।

(ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयातित उर्वरकों में केरल राज्य का भाग

2171. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 के दौरान केरल को कितनी मात्रा में आयातित उर्वरक की सप्लाई की गयी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : वर्ष 1973-74 के दौरान केरल सरकार को 3,515 मीटरी टन नाइट्रोजन, 1598 मीटरी टन $पी_2 ओ_5$ तथा 34,842 मीटरी टन $के_2$ ओ के बराबर आयातित उर्वरकों की सप्लाई की गई थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि एन० तथा $पी_2 ओ_5$ की आवश्यकताएं अंशत: आयात से तथा अंशत: देशी स्रोतों से पूरी की जाती है, जबकि $के_2$ ओ के मामले में सम्पूर्ण आवश्यकता आयात से ही पूरी की जाती है।

गत पांच महीनों में केरल को चीनी की सप्लाई

2172. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल ने गत पांच मास में केन्द्र सरकार से कितनी मात्रा में चीनी मांगी थी ; और

(ख) उसे चीनी का पूरा कोटा न देने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) और (ख) पिछले पांच महीनों के दौरान केरल राज्य को लेवी चीनी का आबंटित कोटा नीचे दिया जाता है :—

(मीटरी टन)

महीना	आबंटित लेवी कोटा
मार्च, 1974 .	7,926
अप्रैल, 1974 . . .	7,926
मई, 1974	7,926
जून, 1974	7,518
जुलाई, 1974	7,109

मासिक कोटों के निर्धारण का आधार सभी राज्य सरकारों को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है। पिछले पांच महीनों के दौरान, केरल सरकार ने चीनी का मासिक कोटा बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि, अप्रैल, 1974 में राज्य सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसमें ईस्टर तथा विषु-त्यौहारों के कारण 2,000 मी० टन के अतिरिक्त आबंटन के लिए कहा गया था। ओनम त्यौहार के कारण उनसे हाल ही में इसी प्रकार का अनुरोध प्राप्त हुआ है। गन्ने की फसल को पाइरिला लगने, सर्दी की वर्षा के अभाव, बराबर कोहरा पड़ने आदि से क्षतिग्रस्त होने के कारण चीनी के उत्पादन में गिरावट आयी। चीनी उत्पादन का पूर्वानुमान 45 लांख मी० टन लगाया गया था जोकि अब लगभग 40 लाख मी० टन होने का अनुमान है और अत्यावश्यक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए चीनी के निर्यात को उच्च अग्रता देने के कारण किसी भी राज्य सरकार को त्यौहारों के लिए चीनी का अतिरिक्त आबंटन करना सम्भव नहीं हुआ है। सभी राज्य सरकारों को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

दिल्ली में जमा किये गये वनस्पति घी को बाहर निकालना

2173. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह महीनों के दौरान दिल्ली में बड़ी संख्या में जमा किए गए वनस्पति घी का पता लगाया गया था ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में बड़ी मात्रा में वनस्पति की दिल्ली में जमाखोरी हो रही है ; और

(ग) क्या इस प्रकार जमा किए गए वनस्पति घी का पता लगाने को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में और अधिक छापे मारे जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं ।

(ख) दिल्ली प्रशासन के ध्यान में अब तक वनस्पति की बड़े पैमाने पर जमाखोरी का कोई मामला नहीं लाया गया है ।

(ग) वनस्पति के थोक तथा खुदरा व्यापारियों की दिल्ली प्रशासन द्वारा उचित वितरण सुनिश्चित करने और कदाचार में पड़ने वाले व्यापारियों को रोकने के लिए नियमित रूप से जांच की जा रही है ।

चीनी की खपत कम करने और निर्यात बढ़ाने के लिए की गई कार्यवाही

2174. **श्री पी० वेंकटा सुब्बया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी की खपत कम करने और निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इसके अब तक क्या परिणाम निकले है ; और

(ग) इस दिशा में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) जून, 1974 से और उसके बाद लेवी और मुक्त बिक्री की चीनी की मासिक नियुक्ति को कम कर देने से 1974 में लगभग 5 लाख मीटरी टन चीनी को निर्यात करना सम्भव हो गया है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 225 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करना सम्भव होगा । क्योंकि अब लगभग केवल 40 लाख मीटरी टन चीनी का कुल उत्पादन होने की आशा है जबकि चालू मौसम के शरू होने के समय लगभग 45 लाख मीटरी टन का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था, इसलिए इस मौसम के उत्पादन में से और निर्यात करना सम्भव नहीं हो सकता है ।

दिल्ली में अपने निजी मकानों के मालिक सरकारी कर्मचारी

2175. **श्री अरविन्द एम० पटेल** :

श्री डी० पी० जडेजा :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके दिल्ली में अपने निजी मकान हैं और वे फिर भी सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं तथा इस प्रकार उन अन्य आवास-हीन कर्मचारियों को मकान मिलने में बाधा पैदा कर रहे हैं जो जनरल पूल से आवास प्राप्त करने की प्रतीक्षा में हैं ; और

(ख) इस वृत्ति को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एकत्र की गई सूचना के अनुसार, 19 दिसम्बर, 1972 की स्थिति के अनुसार ऐसे 4,646 सरकारी कर्मचारियों के दखल में सामान्यपूल के वास स्थान थे जिनके दिल्ली/नई दिल्ली में अपने मकान हैं ।

(ख) निर्माण और आवास मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन सामान्य पूलवास के अतिरिक्त रक्षा, रेलवे' वित्त, डाक व तार आदि अन्य विभिन्न मंत्रालय/विभाग हैं जिनके पास विभागीय पूल उनके प्रशासनिक नियंत्रण में हैं । एकरूपता की दृष्टि से, मकान मालिक कर्मचारियों की, सरकारी मकान के लिए पात्रता जारी रखने के प्रश्न पर इन मन्त्रालयों/विभागों के विचार जानना आवश्यक हो जाता है । परामर्श तथा विचार विमर्श की यह प्रक्रिया प्रगति पर है तथा समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

नई दिल्ली के डी० आई० जेड०/मिन्टो रोड क्षेत्रों में सरकारी क्वार्टरों का निर्माण कार्य

2176. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के डी० आई० जेड०/मिन्टो रोड क्षेत्र में बहुत से क्वार्टर पिछले 10 वर्षों से या तो खाली पड़े हैं और या वे गिरा दिये गये हैं और वहां नये क्वार्टरों के निर्माण का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होगा और यह कार्य कितनी अवधि में पूरा किया जाना है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता): (क) तथा (ख) मिन्टो रोड/डी० आई० जेड० क्षेत्रों में कोई भी क्वार्टर 10 वर्ष से अधिक समय से खाली नहीं पड़ा है। तथापि, कुछ पुराने क्वार्टरों को गिरा दिया गया है ताकि उनके स्थानपर नये क्वार्टर बनाये जाये । वित्तीय कठिनाई तथा नये निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध के कारण फिलहाल सभी नये निर्माण कार्यों को बन्द कर दिया गया है । जब कभी यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया और निधियां उपलब्ध हुई तो नये निर्माण कार्य आरम्भ किये जायेंगे ।

(ग) इस समय कोई निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है ।

दरभंगा फार्बेसगंज सड़क का निर्माण

2177. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री 11 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2581 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा फार्बेसगंज सड़क के निर्माण जिसमें कोसी तथा कमला नदियों पर पुलों का निर्माण भी शामिल है, के बारे में बिहार सरकार से प्राप्त जांच एवं सर्वेक्षण हेतु प्राक्कलन की छानबीन कर ली गई है, यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने अपने अनुमान के आधार पर उक्त कार्य के लिये विस्तृत योजनाएं तथ प्राक्कलन तैयार कर लिये हैं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जांच एवं सवक्षण के अनुमान की संवीक्षा की गई है और मामला भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) और (घ) विस्तृत जांच तथा कार्य स्थल के सर्वेक्षण करने के बाद राज्य सरकार ने अभी कार्य के लिये विस्तृत नकशे तथा अनुमान तैयार करने है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की फ्लैटों के निर्माण सम्बन्धी योजना

2178. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फ्लैटों के निर्माण सम्बन्धी अपनी योजना में कटौती कर दी है और यह कार्य जीवन बीमा निगम को सौंप दिया गया है ;

(ख) क्या दिल्ली में गृह निर्माण की दो समानान्तर योजनायें, एक दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन और दूसरी जीवन बीमा निगम के अधीन चलाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है और 1974, 1975 और 1976 के लिये निर्माण के लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) जीवन बीमा निगम को दिल्ली में मकानों के निर्माण का कार्य अभी तक नहीं दिया गया है क्योंकि इस प्रयोजन हेतु जीवन बीमा निगम को भूमि के औपचारिक आबंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Villages without Drinking Water in the Country

2179. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the 1.5 lakh villages in the country are without drinking water facility;

(b) number of such villages in each State;

(c) the number of such villages in the beginning, of first, second and third plan separately;

(d) the number of such villages provided water facility during the last three years, year-wise, and

(e) the special steps proposed to be taken in future in this regard ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) According to the assessment of the rural water supply at the end of IV Plan i. e., 1973-74 there are about 1.15 lakh villages in the country where water sources are not available within a depth of 50 feet or within a distance of one mile or where the existing source suffers from public health hazards.

(b) the number of such villages at the end of the IV Plan is given State-wise in the statement annexed (Annexure I).

(c) Survey of village without adequate water supply was taken up only in 1962 and therefore, no specific data is available for first, second and third plan in respect of villages without adequate water supply.

(d) Available information in respect of piped water supply in Rural Sector is given in Annexure II.

(e) In the Vth Plan, an outlay of about Rs. 564 crores is being provided under the Minimum Needs Programme for rural water supply. It is expected that with this provision, about 80,000 out of 1.15 lakh Villages will be provided with piped water supply from springs, tubewells or hand pumps, according to feasibility.

STATEMENT I

Sl. No.	State/Union Territory	No. of villages left without water supply at the end of IV Plan (Estimated)
1	Andhra Pradesh	2893
2	Assam	7459
3	Bihar	34100
4	Gujarat	2000
5	Haryana	3891
6	Himachal Pradesh	6944
7	Jammu & Kashmir	2466
8	Kerala	714
9	Madhya Pradesh	7020
10	Maharashtra	3233
11	Meghalaya	3081
12	Karnatak	7252
13	Nagaland	278
14	Orissa	4419
15	Punjab	1954
16	Rajasthan	3256
17	Tripura	2896
18	Tamil Nadu	2385
19	Uttar Pradesh	12307
20	Manipur	1100
21	West Bengal	12051
22	Andaman & Nicobar	56
23	Arunachal Pradesh	2051
24	Chandigarh	..
25	Dadra & Nagar Haveli	..
26	Delhi	61
27	Goa, Daman & Diu	63
28	Lakshdweep	..
29	Pondicherry	50
30	Mizoram	660
	TOTAL	1,24,645

Out of the above 1,24,645 villages, about 10,000 villages are estimated to be covered by the end of the IV Plan, under the Centrol Accelerated Rural Water Supply Programme, leaving about 1,15,080 villages in this cateoory at the beginning of the V plan.

STATEMENT II

Rural Water Supply-Achievements— Piped Water Supply

		1971-72	1972-73	1973-74
1	Andhra Pradesh	12	14	50
2	Assam	6	2	6
3	Bihar	50	2	15
4	Gujarat	62	250	185
5	Haryana	100	67	154
6	Himachal Pradesh	40	49	1095
7	Jammu & Kashmir	95	76	61
8	Kerala	30	30	50
9	Madhya Pradesh	7	8	18
10	Maharashtra	280	40	N.R.
11	Meghalaya	2	N.A.	41
12	Karnatak	83	80	300
13	Nagaland	22	19	51
14	Orissa	14	24	22
15	Punjab	24	113	200
16	Tripura	N.A.	Nil	7
17	Rajasthan	185	239	414
18	Tamil Nadu	627	6	556
19	Uttar Pradesh	483	438	481
20	Manipur	6	N.R.	..
21	West Bengal	70	4	217
22	Arunachal	4	N.A.	N.A.
23	Andaman & Nicobar Islands	1	N.A.	N.A.
24	Chandigarh	3	N.A.	N.A.
25	Dadar & Nagar Haveli	N.A.	N.A.	N.A.
26	Delhi	8	N.A.	N.A.
27	Goa, Diu & Daman	3	N.A.	N.A.
28	Lakshdweep	..	N.A.	N.A.
29	Pondicherry	1	N.A.	N.A.
30	Mizoram	..	N.A.	N.A.

NR—Not reported.
NA—Not available

गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में पेय जल का अकाल

2180. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू मौसम के दौरान और पिछले छः महीने से गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में पेय जल की भीषण कमी है ; और

(ख) राजकोट जिले में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा कर रही है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के आधार पर स्थिति इस प्रकार है :—

(क) जी, हां ।

(ख) राजकोट जिले में 219 नल कूप खोदे गए हैं । इनमें से 134 सफल नल कूप चालू किए जा चुके हैं । 19 ग्रामों में नये कुएं बनाए गए हैं । 34 ग्रामों में जलपूर्ति टैंकरों द्वारा की जा रही है ।

पारादीप और कोणार्क को जोड़ने वाली सभी मौसमों में उपयोग में लाई जा सकने वाली सड़क

2181. **श्री अनादि चरण दास** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पारादीप और कोणार्क के बीच समुद्र के किनारे किनारे एक ऐसी पक्की सड़क बनाने का है जो सभी मौसमों में चालू रह सके और जिससे पर्यटकों तथा अन्य यात्रियों की और अधिक सुविधा मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य शुरू करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) पारादीप और कोनार्क को जोड़ने वाली प्रस्तावित सड़क बन जाने पर राज्य सड़क होगी । इसलिये उड़ीसा सरकार परियोजना से मुख्यतः सम्बंधित है । परन्तु पांचवी योजना में मौजूद्रा रा० रा० पद्धति में नयी सड़कों को शामिल करने के लिये प्रस्तुत प्रस्तावों में अन्य सड़कों के साथ साथ पुरी-कोनार्क-पारादीप सड़क शामिल है। प्रश्नगत सड़क इस सड़क का भाग होगी । चूंकि पांचवी योजना के लिये विस्तृत कार्यक्रम बनाने का कार्य अभी तक प्रारंभिक चरण में है । अतः यह इस समय बताना संभव नहीं है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल करने के लिये इस परियोजना को कहां तक स्वीकार किया जा सकेगा ।

शिशु आहार की चोर बाजारी

2182. **श्री के० लकप्पा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शिशु आहार की चोर बाजारी रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या बड़े शहरों में शिशु आहार की भारी मात्रा चाकलेट और आइसक्रीम निर्माताओं को दी जा रही है ; और

(ग) क्या बड़े बड़े शहरों में इस घोटाले को रोकने के लिये कोई एजेंसी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) दूध से बने पदार्थों पर कोई सांविधिक मूल्य नियंत्रण नहीं है। तथापि, इस उत्पाद को तैयार करने वाले निर्माता, मूल्यों में कोई भी वृद्धि करने से पहले सरकार की सहमति लेते हैं। देश के कुछ भागों में शिशु आहार की कमी बताई ग है। यथा सम्भव शिशु आहार के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि इन कमियों को दूर किया जा सके।

(ख) सरकार को ऐसी कोई भी रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश स्थित भारतीय खाद्य निगम में एक ही पद पर दो अधिकारियों की नियुक्ति

2183. श्री के० लकप्पा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय खाद्य निगम के प्रशासन में बढ़ती हुई अकुशलता की जानकारी है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश स्थित भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय में क्षेत्रीय प्रबन्धक के एक ही पद पर दो अधिकारी नियुक्त किए गए थे ; और

(ग) प्रशासन में इस प्रकार की धोखाधड़ी का पता लंगाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय प्रबन्धक और अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबन्धक के दो अलग-अलग पद हैं। क्योंकि एक ही वरिष्टता के दो अधिकारियों को इन दो पदों के लिए चुना गया था इसलिए अल्प अवधि के लिए इन पदों का क्षेत्रीय प्रबन्धक (रबी अधिप्राप्ति) और क्षेत्रीय प्रबन्धक (खरीफ अधिप्राप्ति) के रूप में फिर से नामकरण किया गया था।]

Discovery of Crater in Ramgarh

2184. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the research scholars of Geological Department of Aligarh Muslim University have discovered a big crater in Ramgarh of Kota District in Rajasthan; and

(b) if so, the salient features of the findings?

The Minister of Education and Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b) According to information received from the University, research scholars of the Department of Geology of the University claim to have found some valuable evidencs in the Crater at Ramgarh, which had been examined earlier by the Geological Survey of India. A few small nickel-iron pieces containing high percentage of nickel were found and are under examination. The indications are that they are of meteoric origin and not of terrestrial material.

Detailed investigations are yet to be taken.

मंगलौर पत्तन का तलकर्षण

2185. श्री के० लकप्पा : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख अयस्क सम्पदा को निकालकर मंगलौर पत्तन का विकास करने के बारे में कोई सुझाव दिया गया है ; और

(ख) पत्तन में तलकर्षण कार्य तीव्र गति से करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) मंगलौर पत्तन का और विकास कुद्रेमुख अयस्क के उपयोग करने के निर्णय पर निर्भर करता है ।

(ख) इस समय शुरू किया गया निकर्षण कार्य, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ।

Foreign Exchange Earned by Exporting Sugar

2186. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state

(a) whether Minister of State in his Ministry stated in Ahmadnagar, Maharashtra in December that though production of sugar had increased in the country but sugar had to be exported for earning foreign exchange and the people in the country got less sugar; and

(b) if so, the amount of foreign exchange earned by the Government of India by the export of sugar till the end of 1973 ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya):

(a) Yes, Sir, while generally referring to the export promotion policies of the Government of India, my colleague in the Ministry, Shri Shinde, made a statement as referred to, explaining why the Government of India was exporting sugar and calling upon the people to sacrifice in the national interest even though the production may go up.

(b) The foreign exchange earned by Government by export of sugar in 1973 is about Rs. 42·2 crores.

Directives to States to Achieve Foodgrains Procurement Targets

2187. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have directed the States to achieve the foodgrains procurement targets and the Centre is contemplating taking more effective measures in this regard; and

(b) if so, the future steps proposed to be taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) and (b) While the procurement targets have been fixed for rice and kharif coarse grains for 1973-74, no such targets have been fixed for the procurement of wheat during the Rabi season 1974-75.

The progress of procurement is being reviewed with the concerned State Governments from time to time and efforts to step up the pace of procurement are being continued.

भारतीय कृषि अनुसंधान में कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की स्थापना

2188. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की स्थापना की है ; यदि हां, तो इसकी रचना का ब्यौरा क्या है और इसके कार्यकरण की पद्धति क्या है ;

(ख) क्या भर्ती बोर्ड भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बनाये गये भर्ती नियमों के अनुसार कार्य करेगा ;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के प्रबन्ध से, जिसकी भर्ती तथा पदोन्नति के मामले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति ने तीव्र आलोचना की थी इस बोर्ड को स्वतन्त्र रखने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत सरकार की स्वीकृति से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और उसके संस्थानों के रिक्त वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को भरने के लिए एक 'कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड' की स्थापना की गयी है। इस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के एक भूतपूर्व सदस्य हैं, जिन्हें पूरे समय के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। यह भर्ती बोर्ड भर्ती करने वाली एक स्वतन्त्र एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। संस्थानों के 400 से 950 रुपये (पूर्व-संशोधित वेतनमान) तक के वेतनमान वाले या इसके समकक्ष वेतनमान वाले वैज्ञानिक और तकनीकी पदों की नियुक्ति, चयन समिति की सिफारिशों पर संस्थानों के निदेशकों द्वारा की जाती है, बशर्ते कि कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष चयन समिति की सिफारिशों को अनुमोदित करें। कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष, इन चयन समितियों में अपने दो सलाहकार मनोनीत करते हैं, जिनमें से एक चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करता है।

(ख) 'बोर्ड' भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की सलाह से बनाये गये भर्ती के नियमों के अनुसार विभिन्न पदों पर नियुक्ति करता है।

(ग) और (घ) यह 'बोर्ड' एक स्वतन्त्र नियुक्ति एजेंसी के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए कार्य कर रहा है, और यह सीधे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है, जो केन्द्रीय कृषि मंत्री भी हैं।

Setting up of Handicapped Rehabilitation Centres in U. P.

2189. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether there is a large number of the handicapped in Uttar Pradesh but Government have no plan to set up handicapped rehabilitation centres there; and

(b) if so, the total number of handicapped and the reasons for not opening rehabilitation centres ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) and (b) No reliable data regarding the number of handicapped persons in the State are available. Rehabilitation of the handicapped is the primary responsibility of the State Government. The State Government is already running several schools, training centres and workshops for the handicapped and propose to set up more in the Fifth Plan.

False Claims for Transportation of Goods by Traders Connected with Fertilisers

2190. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether many Parties of Andhra Pradesh connected with fertilisers have made many false claims in regard to the transportation of goods by road transport; and

(b) if so, the number thereof during 1972-73 and the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b) There had been some cases of mal-practices relating to the transport of fertilisers by road in Andhra Pradesh during the years 1966-67—1968-69 which are under investigation. No such case pertaining to the years 1972-73 has, however, been brought to the notice of the Government.

अनाज के बेहतर उत्पादन, वसूली और वितरण के लिये मुख्य मंत्रियों के साथ सम्मेलन करने का प्रस्ताव

2191. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अनाज के बेहतर उत्पादन, वसूली और वितरण के लिये राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ सम्मेलन करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या विशेषज्ञों और अधिकारियों में व्याप्त निष्क्रियता को समाप्त करने हेतु एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में तथा अनाज के उत्पादन और वितरण में वृद्धि करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार खाद्यान्नों के उत्पादन, अधिप्राप्ति और वितरण के बारे में राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है। आशा है कि आगामी खरीफ कटाई मौसम के शुरू में मुख्य मंत्रियों का औपचारिक सम्मेलन होगा।

(ग) और (घ) उत्पादन में कमी, मुख्यत: पिछले दो मौसमों में सूखे की स्थिति रहने के कारण हुई है। उपयुक्त उपाय करके खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं जिनमें प्रशासनिक/तकनीकी तंत्र को तेज करने तथा सुधारने जैसे उपाय शामिल हैं।

निर्बल राज्यों में सहकारी ऋण ढांचे का पुनर्विलोकन

2192. श्री महेन्द्र सिंह गिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्बल राज्यों में तीन महीने में कम से कम एक बार सहकारी ऋण ढांचे का पुनर्विलोकन करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और यदि वित्तीय आबंटन किया गया है, तो कितना ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सहकारी दृष्टि से कमजोर प्रत्येक राज्य में ऋण आन्दोलन का हर तिमाही में कम से कम एक बार आवधिक पुनर्विलोकन करने का विचार है, ताकि पैदा होने वाली किन्हीं भी समस्याओं के हल सुझाये जा सकें। इससे इन राज्यों में विकास की उच्चतम दर प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वित करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार का पुनर्विलोकन असम, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मेघालय के बारे में किया जा चका है।

पांचवी योजना में एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके अन्तर्गत सहकारी दृष्टि से अल्पविकसित राज्यों में सहकारी ऋण संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि पांचवी योजना अवधि में इन राज्यों में अल्पकालीन अग्रिमों में 20 प्रतिशत वार्षिक की न्यूनतम विकास दर प्राप्त की जा सके। इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को अभी तक कोई भी वित्तीय आबंटन नहीं किया गया है।

'नेशनल टनेज क्लब आफ फारमर्स'

2193. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 'नेशनल टनेज क्लब आफ फारमर्स' नामक एक संगठन को 'सर्विस ओरियन्टेड वालेन्टरी अर्गिनाइजेशन' के रूप में मान्यता दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके पदधारियों के नाम और विवरण क्या हैं, उनके कृत्य क्या हैं तथा सरकार ने अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता दी है और किस प्रयोजन के लिये दी है ;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि उक्त क्लब पिछले पांच वर्षों से देश में नकली बीजों के प्रमुख विपणन उपक्रम के रूप में खुले रूप से कार्य कर रहा है जिसकी सम्बद्ध प्राधिकारियों को पूर्ण जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सम्बन्धित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) तथा (घ) कुछ साधारण शिकायतें मिली हैं। खराब बीजों की सप्लाई के बारे में सरकार को कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कोई सूचना नहीं मिली है।

विवरण

1. नेशनल टनेज क्लब आफ फारमर्स के पदाधिकारी:—

1. प्रधान—(संविधान के अनुसार केन्द्रीय कृषि मंत्री नेशनल टनेज क्लब के पदेन अध्यक्ष होंगे)

2. अध्यक्ष . . .	केन्द्रीय कृषि मंत्री	
3. उपाध्यक्ष (तीन) . .	1. श्री भगवत साबू, 53, नरसिंह बाजार, इंदौर।	
	2. श्री गैंडा सिंह, संसद सदस्य।	
	3. श्री के० एम० पाटिल, संसद सदस्य।	
4. अवैतनिक महासचिव .	श्री एस० बी० पांडया	

2. नेशनल टनेज क्लब के कार्य : संविधान के अनुसार क्लब के उद्देश्य और कार्य निम्नलिखित हैं :—

1. देश में खाद्य के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहयोग देना।
2. वैज्ञानिक पद्धतियों को अपना कर बहुत अधिक उपज प्राप्त करने की संभावनाओं के बारे में किसानों में जाग्रति उत्पन्न करना।

6—26 L.S.S. (N.D.)/74

3. वैज्ञानिक फसल उत्पादन के सम्बन्ध में जानकारी के एकत्रीकरण तथा प्रसारण के लिए एक फोरम की व्यवस्था करना ।

4. 'क्लब' के उद्देश्यों के लिए उनकी दिलचस्पी बढ़ाने और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए देश-भर के सभी प्रगतिशील किसानों को एकत्रित करना ।

5. उत्पादन बढ़ाने के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए एक आदर्श क्लब के रूप में कार्य करना ।

6. उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रचार करना, उत्पादकों को प्रशिक्षण तथा शिक्षा देना और सरकारी तथा अन्य एजेन्सियों को सहयोग देना ।

7. 'क्लब' के कार्यों को और आगे बढ़ाने के लिए भारत में या विदेशो में इसी प्रकार के संगठनों को सहयोग देना और उनसे संबंध बनाए रखना ।

8. अधिक फसल उत्पादन के तकनीकियों के विषय में अनुभव तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 'क्लब' के सदस्यों तथा ग्रामीण यूवकों को प्रवर्तित करने में सरकार, संस्थाओं तथा विदेशी एजेन्सियों को सहयोग देना ।

9. उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए फण्ड अनुदान तथा दान के एकत्रण तथा खर्च, बैठक, सम्मेलन, विचार गोष्ठी तथा प्रदर्शनियों के आयोजन, प्रतिनिधि, प्रतिनियुक्त व्यक्ति तथा ज्ञापन भेजना, प्रतिनिधि मण्डलों के आदान प्रदान और 'क्लब' का प्रतिनिधित्व करने के लिए समय समय पर आवश्यक कदम उठाना ।

10. ऐसे अन्य कदम उठाना जो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्लब निर्णय करे ।

3. नेशनल टनेज क्लब को दी गई कुल वित्तीय सहायता : 1967-68 से 1973-74 तक नेशनल टनेज क्लब आफ फारमर्स को निम्नलिखित कार्यों के लिए 1,48,943 रु० की धनराशि दी गई थी :—

1. 3 अखिल भारतीय उच्चतर कृषि उत्पादन सम्मेलनों का आयोजन करना ।

2. देश के अंदर किसानों का आदान प्रदान ।

3. प्रदर्शन-एवं-प्रशिक्षण कैम्प ।

4. जिला स्तर की विचार गोष्ठियां ।

5. प्रशासनिक खर्च ।

बम्बई विश्वविद्यालय के बारे में डा० वागले का प्रतिवेदन

2194. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या शिक्षा, समाजकल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० वागले, सदस्य, बम्बई विश्वविद्यालय, सीनेट और सिंडीकेट, ने बम्बई विश्वविद्यालय में भवनों के निर्माण और मरम्मत पर अत्यधिक व्यय होने के बारे में अपने निष्कर्षों संबंधी प्रारंभिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उक्त प्रतिवेदन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) डा० वागले ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को इस आशय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसे वह बम्बई विश्वविद्यालय में भवनों के निर्माण और मरम्मत पर अत्यधिक खर्च के बारे में अपना प्राथमिक निष्कर्ष बताते हैं। आयोग उसकी जांच कर रहा है।

पेस्टीसाइड पाएजनिंग

2195. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 जून, 1974 को दिल्ली से प्रकाशित होने वाले एक दैनिक समाचार-पत्र के पृष्ठ एक पर 'पेस्टीसाईड पाएजनिंग और फैल डिजीज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां।

(ख) पशुओं का पाएजनिंग तथा फैल डिज़ीज़ नामक रोग बाहरी तौर या अन्दरूनी तौर पर इस्तेमाल की गई कीटनाशी औषधि के कारण नहीं हुआ बल्कि ज्वार जैसे चारे को (जिस में हाइड्रोकैनिक एसिड एच० सी० एन०-पाया जाता है) गर्मियों में अर्कुरण अवस्था में खाने से हुआ है।

(ग) भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान के विशेषज्ञों ने इस मामले की जांच करके इस बात की पुष्टि की कि पशुओं की मृत्यु चारे के उन पौदों को खाने से हुई है जिनमें हाइड्रोकैनिक एसिड मौजूद है। दिल्ली प्रशासन ने हानि को रोकने के लिए ग्रामीणों को आवश्यक पशु-चिकित्सा सम्बन्धी सहायता देकर, मनादी करवा कर, समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित कराके और रेडियो तथा टेलीविजन से प्रसारित कराके उन्हें सावधान किया है।

बिहार और उड़ीसा में नई फसल प्रणाली

2196. श्री वनमाली पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उड़ीसा राज्यों से नई फसल प्रणाली का प्रयोग करने को कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उक्त प्रणाली को अपनाने के लिये यदि कोई सहायता देने का प्रस्ताव है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) चावल और गेहूं का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से चावल की फसल की अगेती बुवाई करने और विशेषकर बिहार, उड़ीसा व उत्तरी-पूर्वी राज्यों में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिये एक सघन अभियान प्रारम्भ किया गया है। चावल, गेहूं और मिलेट आदि की मिनिकिट जांच तथा नई टैकनालोजी का प्रचार करने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत, खरीफ मौसम के दौरान बिहार के तीन नहरी कमाण्ड क्षेत्रों अर्थात् सोन, कोसी और गण्डक में मार्गदर्शी आधार पर यथा समय रोपाई करने के लिये किसान को ठीक समय चावल की उपयुक्त किस्मों की पौद की सप्लाई करने के लिये सामुदायिक नर्सरियां लगाने का एक विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। पहले वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम की सफलता के आधार पर, इसका आगामी वर्षों में अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जायेगा।

वनस्पति निर्माताओं को घी के डिब्बों के लिए लोहे का कोटा

2197. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति निर्माताओं के घी के डिब्बों के लिये 32-गेज लोहे का कोटा दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में प्रत्येक निर्माता को प्रतिमास कितना कोटा दिया जाता है ;

(ग) क्या दिल्ली क्लाथ मिल्स के वनस्पति यूनिट में तालाबन्दी घोषित किये जाने के दौरान भी उसे लोहे का कोटा दिया जाता रहा था ; और

(घ) उसका क्या औचित्य था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) कुछेक वनस्पति निर्माता दी टिन प्लेट उत्पादक सलाहकार समिति, कलकत्ता-20 से वनस्पति के डिब्बे बनाने के लिए टिन प्लेट संबंधी अपनी आवश्यकताओं का कुछ भाग प्राप्त करते हैं। दिल्ली के प्रत्येक वनस्पति निर्माता को 1974 के दौरान आबंटित किए गए टिन प्लेट के बारे में अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है। इसे प्राप्त किया जा रहा है और इसे यथा-सम्भव शीघ्र सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

श्यामलाल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल की सेवावृद्धि में वृद्धि

2198. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध श्यामलाल कालेज के प्रबन्धकों ने अपने प्रिंसिपल की सेवावृद्धि में वृद्धि करने के मामले में विश्वविद्यालय के निर्णय का पालन करने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) क्या कालेज अधिकारियों ने प्रिंसिपल की सेवावृद्धि न बढ़ाने पर कालेज को बन्द करने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि निर्णय का पालन किया जाने क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ग) जी हां, शासी निकाय के अध्यक्ष और कालेज के प्रिंसिपल ने विश्वविद्यालय को निर्णय कार्यान्वित करने से रोकने और प्रिंसिपल की सेवा को जारी रखने के लिए दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक समादेश-याचिका दायर कर दी है।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, श्यामलाल कालेज, शाहदरा के मूल निकाय, श्यामलाल कालेज न्यास, ने कुछ समय पहले एक संकल्प पारित किया था जिसमें कालेज के शासी निकाय को, क्रमिक तरीके से कालेज को बन्द करने के लिए सिफारिश की थी। शासी निकाय ने न्यास की सिफारिश पर विचार किया था और उन्होंने कालेज को बन्द न करने का निर्णय किया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किलों के कार्य-प्रभारित कर्मचारी

2199. **श्री भोला भाझी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किलों के बहुत से कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की जनवरी, 1973 से दिसम्बर, 1973 तक छंटनी की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की श्रेणीवार और डिवीजनवार संख्या कितनी है ;

(ग) 1 जनवरी, 1974 को शेष कार्य-प्रभारित कर्नचारियों की कुल संख्या कितनी थी ; और

(घ) छंटनी किये गये कर्मचारियों को छंटनी-मुआवजे की कितनी राशि दी जानी थी और उन्हें कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता): (क) जनवरी, 1973 से दिसम्बर, 1973 तक की अवधि के दौरान 3,916 कर्मचारियों की छंटनी की गई थी ।

(ख) सूचना अनुलग्नक में दी गई है ।

(ग) 1-1-1974 की स्थिति के अनुसार, 4,306 कार्यप्रभारित कर्मचारी अनुरक्षण कार्य पर तथा 1,939 कर्मचारी निर्माण कार्यों पर लगाए हुए थे ।

(घ) छंटनी-मुआवजा सभी मामलों में अभी तक नहीं दिया गया है । तथापि, सभी पात्र कर्मचारियों को छंटनी-मुआवजे का भुगतान करने के लिए प्रशासन ने आवश्यक हिदायतें जारी कर दी हैं ।

विवरण

क्रम संख्या	डिवीजन का नाम	छंटनी किए गए कार्य-प्रभारित कर्मचारियों का वर्ग	छंटनी किए गए कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की संख्या
1	सेपला केन्द्रीय लोक निर्माण डिवीज़न . . .	मेट	6
2	सियांग केन्द्रीय लोक निर्माण डिवीज़न . . .	मज़दूर	319
3	पासीघाट केन्द्रीय लोक निर्माण डिविज़न . . .	मज़दूर	1,556
		मेट	25
4	लोहित केन्द्रीय लोक निर्माण डिविज़न . . .	मजदूर	475
5	दिबंग घाटी केन्द्रीय लोक निर्माण डिविज़न . . .	मज़दूर	4
	. . .	बढ़ई	1
6	तिरप केन्द्रीय लोक निर्माण डिविज़न I . . .	मज़दूर	802
7	तिरप केन्द्रीय लोक निर्माण डिविज़न II . . .	मजदूर	691
	. . . . .	बढ़ई	13
		राजमिस्त्री	6
8	मियाओं विजोयनगर केन्द्रीय लोक निर्माण डिविजन . .	मज़दूर	17
9	विद्युत केन्द्रीय लोक निर्माण डिविजन . . .	मज़दूर	1

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किलों के कर्मचारी

2200. **श्री भोला मांझी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1974 के बाद बड़ी संख्या में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किलों के कर्मचारियों को छंटनी के आदेश दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी और डिवीजन के अनुसार उनकी संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली सेन्ट्रल इलेक्ट्रिकल सर्किल-दो के अन्तर्गत डिवीजनों का अनुमानित कार्यभार

2201. **श्री भोला मांझी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की दिल्ली सेन्ट्रल इलैक्ट्रिकल सर्किल-दो के अन्तर्गत प्रत्येक डिवीजन का वर्ष 1974-75 में अनुमानित कार्यभार कितना है ;

(ख) क्या दिल्ली ऐविएशन इलैक्ट्रिकल डिवीजन एक और दो अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दिल्ली और दिल्ली के बाहर कार्य करते हैं ;

(ग) दिल्ली ऐवियेशन इलैक्ट्रिकल डिवीजन एक और दो अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पालम हवाई अड्डे पर भी कार्य करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पालम हवाई अड्डे पर और दिल्ली में सब कार्य एक ही डिवीजन के अन्तर्गत न रखने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) परिमण्डल के अन्तर्गत प्रत्येक मण्डल का 1974-75 के लिये अनूमानित कार्यभार इस प्रकार है :—

मण्डल	कार्यभार (लाख रुपयों में)
1. दिल्ली विमानन बिजली मण्डल नं० , I नई दिल्ली . . .	55.80
2. दिल्ली विमानन बिजली मण्डल नं० II, नई दिल्ली . . .	37.57
3. चण्डीगढ़ केन्द्रीय बिजली मण्डल, चण्डीगढ़ . . .	77.40
4. जम्मू केन्द्रीय बिजली मण्डल, जम्मू	46.55

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) कार्य का वितरण दो मण्डलों में कार्यभार, कार्य के स्वरूप तथा कार्य के निष्पादन में कुशलता को ध्यान में रख कर किया गया है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के गाजियाबाद सेन्ट्रल डिवीजन का अनुमानित कार्यभार

2202. श्री भोला मांझी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के गाजियाबाद सेन्ट्रल डिवीजन का अनुमानित कार्यभार कितना है ;

(ख) इस में से कितना कार्यभार हिन्डन हवाई अड्डे पर और कितना गाजियाबाद में है ;

(ग) इस डिवीजन के असिस्टेन्ट इंजीनियरों और कार्यकारी इंजीनियरों ने वर्ष 1973-74 में दिल्ली से हिन्डन और गाजियाबाद तथा हिन्डन और गजियाबाद से दिल्ली तक यात्रा के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते और कार स्कूटर भत्ते पर कितनी धनराशि व्यय की ;

(घ) क्या गाजियाबाद सेन्ट्रल डिवीजन का कार्यालय आर० के० पुरम, नई दिल्ली में है ; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त डिवीजन को हिन्डन अथवा गाजियाबाद स्थानान्तरित न कर दिल्ली में रखने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) वर्ष 1974-75 का अनुमानित कार्यभार 69.65 लाख रुपये है ।

(ख) हिंडन हवाई अड्डे का कार्यभार 56 लाख रुपये है तथा गाज़ियाबाद का 1.50 लाख रुपये है ।

(ग) 2,265 रुपये यात्रा-भत्ते दैनिक भत्ते पर कोई कार/स्कूटर भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया है।

(घ) जी, हां ।

(ङ) हिंडन में उपयुक्त वास स्थान न होने के कारण तथा प्रशासनिक कारणों से डिवीजन का मुख्यालय दिल्ली रखा गया है ।

फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली के सर्वेन्ट क्वार्टरों में वनस्पति घी के डिब्बों का भण्डार

2203. श्री विजयपाल सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नं० 20 और 26 फिरोजशाह रोड के सर्वेन्ट क्वार्टरों में क्षेत्र के उचित-दर दुकान मालिक वनस्पति घी के डिब्बों और अन्य राशन सामग्री को जमा करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सामान को अपने कब्जे में लेने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई जांच से विदित हुआ है कि नं० 20 और नं० 26, फिरोजशाह रोड के सर्वेन्ट क्वार्टरों में वनस्पति घी के डिब्बों या राशन की अन्य वस्तुओं को बिक्री के लिए जमा नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सुपर बाजार में अधिक मूल्य

2204. श्री विजय पाल सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राहकों ने यह आरोप लगाया है कि सुपर बाजार में वस्तुओं की अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सुपर बाजार में अधिक मूल्य लिए जाने को रोकने तथा वस्तुओं का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) ऐसी कोई आम शिकायत नहीं है। तथापि, कभी-कभी कुछ ग्राहकों द्वारा केवल अलग-अलग मदों के बारे में शिकायतें की जाती हैं, जिनकी तत्काल जांच की जाती है ।

(ख) सुपर बाजार सांविधिक रूप से नियंत्रित कीमतों वाली वस्तुएं नियंत्रित दरों पर और अन्य वस्तुएं अलग-अलग विनिर्माताओं द्वारा नियत की गई कीमतों अथवा उनसे भी कम पर बेचता है । अन्य वस्तुएं, जिनकी कीमतें वैधानिक रूप से नियंत्रित नहीं होती है अथवा विनिर्माताओं द्वारा नियत नहीं की जाती है, आमतौर पर उन्हीं अथवा तुलनीय किस्म की वस्तुओं के प्रचलित बाजार मूल्यों से कम मूल्यों पर बेची जाती है । इस बात का ध्यान रखने के लिए कि उसकी कीमतें प्रतियोगी है, सुपर बाजार अपने बाजार आसूचना एकक के माध्यम से नियमित रूप से सर्वेक्षण करता है और बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों, किस्म आदि के बारे में ग्राहकों के विचार भी आमंत्रित करता है । सुपर बाजार प्राधिकारियों ने अपनी खरीद-पद्धतियों को भी सरल तथा कारगर बनाया है, ताकि अच्छी से अच्छी सम्भव शर्तों पर वस्तुएं खरीद सके और उन्हें मुनासिब कीमतों पर बेच सके ।

गत वर्ष के दौरान पटसन की खेती के अधीन भूमि में कमी

2205. श्री रानेन सेन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष पटसन की खेती के अधीन भूमि में 25% की कमी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं । देश भर के 1973-74 के पटसन के अन्तिम अनुमानों से यह पता चलता है कि 1972-73 के अनुमान की तुलना में 1973-74 में देश भर में पटसन के अन्तर्गत क्षेत्र में 13.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों में बच्चों के लिए समेकित विकास कार्यक्रम आरम्भ करना

2206. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :
श्री निहार लास्कार :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्री तरुण गोगोई :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य शिक्षा, विभाग की सलाह से बिहार राज्य में बच्चों के लिये समेकित विकास कार्यक्रम आरम्भ करने हेतु, 10 केन्द्रों का चयन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्रों के नाम क्या हैं ; और

(ग) तमिलनाडु, आसाम, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में बच्चों के विकास के लिए क्या योजनाए आरम्भ की जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) तथा (ख) समेकित बाल विकास सेवा योजना क्रियान्विति के लिए स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रही है ।

(ग) 1. स्कूल-पूर्व बच्चों तथा गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पौष्टिक आहार कार्यक्रम ।

2. 6-11 वर्षों की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ।

3. गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं तथा स्कूल-पूर्व बच्चों के बीच पौषणिक रक्त-क्षीणता के विरुद्ध और स्कूल-पूर्व बच्चों के बीच विटामिन 'ए' की कमी के विरुद्ध रोगनिरोधन कार्यक्रम ।

4. मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ के लिये कार्यक्रम ।

5. काम करने वाली स्त्रियों के बच्चों के लिए शिशुगृह ।

6. समेकित बाल विकास सेवा योजना ।

इसके अतिरिक्त गुजरात सरकार के पास बच्चों के पौषणिक पुनर्वास हेतु एक योजना है जिसके अधीन बुरी तरह से कुपोषित बच्चों को आवश्यक इलाज दिया जायेगा और उनकी देखभाल भी की जायेगी । इस योजना को और भी विस्तार करने का प्रस्ताव है ।

बीज और उर्वरक प्राप्त करने में कपास उत्पादकों की कठिनाइयां

2208. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास उत्पादकों को बीज और उर्वरक खरीदने में आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या कपास उत्पादकों को हो रही कठिनाई में सहायता देने की वांछनियता पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) कपास उत्पादकों द्वारा बीज और उर्वरक खरीदने में अनुभव की जा रही आर्थिक कठिनाई के कोई विशेष मामले इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाए गए हैं ।

(ग) सहकारी सोसायटियों और वाणिज्यिक बैंकों जैसे संस्थागत अभिकरणों द्वारा किसानों को उत्पादन प्रयोजनों और निवेश, जिनमें उर्वरक तथा बीज भी शामिल हैं, खरीदने तथा उनका वितरण करने के लिए दिए जाने वाले ऋण की लगातार पुनरीक्षा की जाती रही है और जब भी आवश्यकता होती है, सुधार के उपाय किए जाते हैं । हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य वित्तदायी अभिकरणों और भारत सरकार ने निवेशों, विशेषकर उर्वरकों, की कीमत में हुई वृद्धि को देखते हुए कृषि कार्यों के लिए ऋण सीमाओं तथा वित्त मानों में परिशोधन करने के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी किए हैं ।

'लोहस सूत्र' का राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा पुनःमुद्रण

2209. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का विचार 300 पृष्ठ का 'लोटस सूत्र' तथा बौद्ध धर्म सम्बन्धी अन्य संस्कृत ग्रन्थों का, जो पांच छह शती ईसा पूर्व के समझे जाते हैं, जिनकी फोटो कापी भारत सरकार द्वारा टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रो० अकीरा हिराकावा को दी गई थी ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि भारत सहित सम्पूर्ण विश्व के बौद्धों ने यह इच्छा प्रकट की है कि इस महान हस्तलिपि का देवनागरी लिपि में पुनःमुद्रण होना चाहिए ;

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) नई दिल्ली स्थित अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति अकादमी के निदेशक से यह पता चला है कि उन्होंने पांडुलिपि की एक माइक्रो फिल्म प्रति टोकियो विश्वविद्यालय को उपलब्ध की थी । ऐसा मालूम हुआ है कि उक्त विश्वविद्यालय का विचार उसका रूपान्तर रोमन लिपि में प्रकाशित करने का है । अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति अकादमी के निदेशक प्रकाशित करने हेतु पांडुलिपि का देवनागरी लिपि में संस्करण स्वयं तैयार कर रहे हैं ।

केरल में राष्ट्रीय राजपथों के व्यय में कटौती का प्रभाव

2210. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय में की गई हाल ही की कटौती का केरल के एक मात्र राष्ट्रीय राजपथ पर बुरा प्रभाव पड़ा ;

(ख) क्या केरल सरकार ने कटौती के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) 1974-75 के बजट अनुमान, जैसा कि संसद ने स्वीकृत किया, में सारे देश के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों के वास्ते 45.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल थी । इसमें से 240 लाख रुपये की राशि केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित की गई है । अभी तक 45.50 करोड़ रुपये का 2.40 करोड़ रुपये की राशि में कोई कटौती नहीं की गई है । जबकि केरल सरकार 240 लाख रुपये की इस नियतन की अपर्याप्तता के बारे में अभ्यावेदन देती रही है और 146 लाख रुपये के अतिरिक्त नियतन के लिए दबाव देती रही है । उन्होंने यह नहीं बताया है कि यदि अतिरिक्त नियतन उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्या प्रतिकूल प्रतिक्रिया होगी । राज्य सरकार की प्रार्थना पर सावधानी से विचार किया गया है परन्तु चालू वित्तीय कठिनाई की दृष्टि से अतिरिक्त धन की व्यवस्था करना संभव नहीं हुआ है ।

वेस्ट कोस्ट रोड को छोटा तथा मजबूत बनाया जाना

2211. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कन्नानौर जिले में चन्द्रगिरि नदी पर पुल बनाकर वैस्ट कोस्ट रोड को छोटा तथा मजबूत बनाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार के प्रस्ताव की सही तौर से समझने और जांच के लिए उनसे कुछ तकनीकी और लागत ब्यौरा मांगा गया है और उसके प्राप्त होने पर मामले पर विचार किया जाएगा।

अलवाई से कालीकट तक राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 का मार्ग बदलना

2212. श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार मे राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 को छोटा तथा मजबूत बनाने की दृष्टि से अलवाई से कालीकट तक मार्ग बदलने का अनुरोध किया है, और;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) संभवतया माननीय सदस्य पश्चिम तट सड़क, राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 17 का उल्लेख कर रहे हैं न कि कोयम्बतूर–त्रिचूर–एर्नाकुलम–त्रिवेन्द्रम–कैप कामोरिन सडक राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 का। केरल में पश्चिम तट सड़क, राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 17 का मार्ग राज्य सरकार के अनुरोध पर हाल ही में बदला गया है। बदला हुआ मार्ग मंगलौर (कर्नाटक में) से कन्नानौर, कालीकट (कोजीकोडे), फैरोके कुटीपुरम, पुडु पौनानी, चौघाट तथा कंगानूर से होते हुए इदापल्ली तक जाता है।

केरल में गंदी बस्तियों को हटाने के लिए सहायता

2213. श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने गंदी बस्तियों को हटाने के लिए कोई सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) गन्दी बस्ती सफाई योजना को 1 अप्रैल, 1969 से राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया था। उसके बाद से राज्य प्लान योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता, समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है। राज्य सरकारें निधियों को अपनी प्राथमिकताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

Report of All India Sugarcane Commission

2214. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the All India Sugarcane Commission has submitted its report to the Government;

(b) if so, whether Government have examined it;

(c) the main recommendations; and

(d) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Government of India is not aware of the setting up of a All India Sugarcane Commission.

(b) to (d) Do not arise.

शिवापुरम मन्दिर से चुराई गई नटराज की मूर्ति का अमरीका में टेलीविजन पर प्रदर्शन

2215. **श्री रेणुपद दास :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दक्षिण भारत में शिवापुरम मन्दिर से चुराकर भारत से बाहर ले जायी गई नटराज की मूर्ति का अमरीका में टेलीविजन पर दिखाये जाने के सम्बन्ध में 1 जून, 1974 के अंग्रेजी के एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस "सांस्कृतिक चोरों" के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उनमें से अब तक कितने गिरफ्तार तथा दंडित किये गये ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां।

(ख) अमरीका स्थित भारतीय राजदूतावास द्वारा अमरीकी वर्तमान मालिक तथा अमरीका की सरकार के प्राधिकारियों से बातचीत की जा रही है।

(ग) जांच अभी जारी है।

नार्थ तथा साउथ एवेन्यू में संसद सदस्यों के फ्लैटों में आह्वान घंटियां (कालबेल) के लिए नई वायरिंग प्रणाली

2216. **श्री सी० के० जैफर शरीफ :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ तथा साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली में संसद सदस्यों के फ्लैटो में आह्वान घंटी (कालबैल) के लिये नई वायरिंग प्रणाली अपनाई गई है ;

(ख) क्या इस बारे में पुरानी प्रणाली को बदलने की संसद सदस्यों ने कोई मांग की थी; और

(ग) यदि हां, तो वायरिंग की इस नई प्रणाली पर कितना खर्चा हुआ है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) क्योंकि नार्थ तथा साउथ एवेन्यू में विभिन्न संसद सदस्यों के फ्लैटों के बरामदों में शीशे लगा दिये गये थे, अतः घंटियों के पुश बटनों को भीतर से बाहर बदलना आवश्यक हो गया था जिसके लिये तारों की कुछ बढ़ाना अपेक्षित था।

यह कार्य पहले अस्थायी रूप में किया गया था लेकिन अब उसे वायरिंग की "रिजिस्ट कन्ड्यूट" प्रणाली के साथ स्थायी रूप में किया जा रहा है जिससे वह फ्लैटों में वायरिंग की मौजूदा प्रणाली के अनुरूप हो जाएँ।

(ग) इस कार्य पर अभी तक लगभग 3,000 रुपये खर्च हो चुके हैं तथा सारे कार्य पर कुल व्यय लगभग 6,500 रुपये होगा।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों की मार्ग-पट्टिकाओं को दिखाये जाने के बारे में शिकायत

2217. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों में मार्ग पट्टिकाओं पर नम्बर तथा गंतव्य स्थल स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार जनता की असेविधाओं को दूर करने के लिए इस बारे में क्या कदम उठाने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) कभी कभी ऐसी शिकायत प्राप्त होती है।

(ख) नियमित मार्गों पर चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसों की पर गंतव्य स्थान सूचित करने वाले बोर्डों की काफी संख्या की व्यवस्था की गई है। सुबह और शाम, व्यस्ततम समय की यतायात से निपटने के लिए बहुत से विशेष फेरे लगाए जाते है। जहां निर्धारित बस नहीं आती, वहां कुछ दूसरे मार्गों पर चल रही बसों को मोड़ कर विशेष फेरों की व्यवस्था की जाती है। ऐसी आपात हालतों में कभी कभी अच्छी तरह पेंट किए गए गंतव्य स्थान सूचित करने वाले बोर्ड उपलब्ध नहीं होतें इनके स्थान पर खड़िया से लिखे हुए बोर्ड की व्यवस्था की जाती है।

दिल्ली नगर निगम की नई बसों पर व्यवस्थित गंतव्य स्थान नक्शों का डिज़ाइन इस ढंग से तैयार किया गया है कि बड़ो बड़ो गंतव्य स्थान--एवं--मार्ग संख्या प्लैटें प्रदर्शित की जा सके जो दूर से ही दिखाई दें।

विभिन्न राज्यों में खाद्य दंगे

2218. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में हुए खाद्यगों में हताहत हुए लोगों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

(ख) जहां खाद्य दंगे हुए हैं वहां सरकार ने कितनी सहायता दी है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में खाद्य-दंगों के कारण सरकारी सम्मति को हुई क्षति का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश मणिपूर, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ और दिल्ली प्रशासन की सरकारों ने सूचित किया है कि उनके यहां कोई खाद्य दंगे नही हुए हैं। शेष राज्यों से उत्तर प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।

टिड्डियों के कारण हानि का सर्वेक्षण

2219. **श्री गजाधर माझी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या टिड्डी दलों से गत तीन वर्षों में हुए हानि के बारे में सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) वनस्पति रक्षण संगरोध तथा संचयन निदेशालय के अधीन कार्य करन वाला टिड्डी चेतावनी संगठन राजस्थान तथा गुजरात क रेगिस्तानी क्षत्रों में टिड्डियों की संख्या के विषय में सवक्षण करता रहा है। एसे सर्वेक्षण जोधपुर के क्षेत्रीय मुख्यालयों में 34 सीमा चौकियों म नियमित रूप से किए जा रहीं हैं। वर्ष 1972 में टिड्डियों की संख्या ज्यादा नहीं थी। जसलमर म अक्तूबर-दिसम्बर, 1973 के दौरान कुछ छोट टिड्डी दल दिखाई दिए और टिड्डी-रोधी स्टाफ द्वारा शीघ्र ही उनपर नियंत्रण पाने के लिय कार्यवाही की गई। वर्ष 1973 में कोई हानि नहीं हुई। वर्ष 1974 में अनेक विदेशी टिड्डी दलों ने पश्चिमी राजस्थान पर आक्रमण किया। शीघ्र ही रोकथाम के उपाय किए गए और खड़ी फसलों को कोई हानि नहीं पहुंची।

आदिवासी भाषाओं को प्रोत्साहन देने हेतु दी गई राशि

2220. **श्री गजाधर माझी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिवासी भाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु गत तीन वर्षों में वर्गवार अब तक कुल कितनी राशि सहायता के रूप में राज्यवार दी गई है तथा किन किन संस्थानों को दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गो-रक्षा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

2221. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में गौ-रक्षा संबंधी समिति से प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक प्रस्तुत हो जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) गौ-रक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अभी प्रस्तुत नहीं की है। समिति का वर्तमान कार्यकाल 30 सितम्बर 1974 तक है।

Conference of Chief Ministers on fixation of Retail Price of Wheat

2222. **Shri Shrikrishna Agrawal:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether he had recently convened a Conference of the Chief Ministers in which the decision regarding fixing the "retail price" of wheat in each State was taken;

(b) if so, the decision taken therein; and

(c) the views expressed by the Chief Ministers of surplus and deficit States and the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) A meeting of the Food Ministers of the Major wheat deficit States alongwith the Adviser to the Governor of Gujarat and the Chief Executive Councillor of the Union Territory of Delhi was held on 12th June, 1974, to discuss the question of fixation of the maximum wholesale and retail prices of wheat for internal transactions. All the participating Ministers and the Chief Executive Councillor of Delhi agreed to the fixation of maximum wholesale and retail prices. In case of Gujarat, however, fixation of maximum wholesale and retail price was not considered necessary as the market prices of wheat in that State were already quite reasonable.

सुलतानगंज में गंगा नदी पर पुल बनाने हेतु विश्व बैंक से ऋण

2223. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंगेर (बिहार) का भागलपुर से सम्पर्क स्थापित करने के लिए सुल्तानगंज में गंगा नदी पर पुल बनाने हेतु भारत सरकार ने विश्व बैंक से कुछ ऋण लेने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

किंग्सवे कैम्प, दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से चीनी की चोरी

2224. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किंग्स्वे कैंप, दिल्ली, में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से 95 क्विंटल चीनी तथा चार बोरी चीनी पाउडर चोरी हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) क्योंकि किंग्सवे कैम्प, दिल्ली के इलाके में भारतीय खाद्य निगम का अपना या उसके अधिकार में कोई गोदाम नहीं है इसलिए वहां से चोरी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई पत्तन पर यातायात में कमी

2225. **श्री के० मालन्ना :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व पेट्रोलियम, तेल तथा स्नेहक (पोल) बाजार की अनिश्चित स्थिति तथा देश में विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाइयों को देखते हुए वर्ष 1974–75 में बम्बई पत्तन पर यातायात में कमी आयेगी; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में कितना यातायात होने का अनुमान है और कौनसी वस्तुओं के यातायात में कमी आयेगी?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) अप्रैल से जुलाई 1974 की अवधि के दौरान बंबई पत्तन द्वारा धरा उठाई किया गया यातायात 65.20 लाख टन था जबकि 1973 में तदनुरूपी अवधि के दौरान 56.46 लाख टन था। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो 1974–75 के दौरान कुल यातायात 1973–74 नें धरा उठाई किये गये यातायात से अधिक होगा। परन्तु अनिश्चित मारकेट हालतों के कारण पूर्वानुमान लगाना कठिन है।

पांचवी योजना में उर्वरकों की मांग, उत्पादन और आयात

2226. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :**

श्री एम० कत्तामुत्तु :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में अनुमानतः उर्वरकों की कितनी आवश्यकता होगी;

(ख) पांचवी योजना में देश में कितनी मात्रा में उर्वरकों का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) विदेशों में कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया जायेगा; और

(घ) पांचवी योजना में उर्वरकों के आयात पर हुए खर्च को पूरा करने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अनुमान है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में 80 लाख मीटरी टन उर्वरक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी ।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 52 लाख मीटरी टन पोषक तत्वों की मात्रा तैयार होने की सम्भावना है ।

(ग) विश्व मण्डी में उर्वरकों की उपलब्धि के अनुसार मांग तथा देशी विनिर्माण एककों से उवरकों की होने वाली सप्लाई के बीच के समूचे अंतर को, उर्वरकों के आयात से पूरा करने की योजना बनाई गई है ।

(घ) निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं कि उर्वरकों के आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि यह बात उर्वरकों का आयात करते समय विश्व मण्डी के मूल्यों के स्तर पर निर्भर करेगी ।

पश्चिम बंगाल में मत्स्यपालन उद्योग में आत्मनिर्भरता

2227. डा० कर्णी सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य को कुल कितनी मछली की आवश्यकता होती है ;

(ख) राज्य में मछली का वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ग) क्या बंगाल की खाड़ी में जो मछलीयों से भरपूर ह, गहरे जल में मछली पकड़ने की कोई योजना है जिससे कि राज्य मछली के मामले में आत्मनिर्भर हो सके ; और

(घ) यदि हां, तो तद्सम्बधी तथ्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने मछली की अपनी कुल वार्षिक खपत का अनुमान 7.52 लाख मीटरी टन लगाया है ।

(ख) वर्ष 1973–74 में मछली का उत्पादन लगभग 2.5 लाख मीटरी टन हुआ है ।

(ग) और (घ) रायचौक में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयानो के ठहरने और मछली भंडार और परिसंस्करण की सुविधाओं के लिये 269 लाख रू० की कुल लागत से एक मत्स्यन बन्दरगाह की मंजूरी दी गई है । बंगाल की निकटवर्ती खाड़ी मे मछली पकड़ने के स्थानों का पता लगाने के लिये, कलकत्ता स्थित गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के केन्द्र द्वारा समन्वेषी मत्स्यन शुरु किया जा रहा है । आशा है कि 1978 तक मछली पकड़ने के ट्रालरो का आयात करने की योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र में 14 ट्रालर कार्य करेगे ।

उत्तर प्रदेश से निर्यात की जाने वाली मछलियों का बाजार में उनकी बिक्री से पूर्व निरीक्षण

2228. श्री एन० ई० होरो : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल सरकारों के प्रतिनिधियों की उत्तर प्रदेश से निर्यात की जाने वाली मछलियों के बाजार में उनकी बिक्री से पूर्व निरीक्षण के बारे में कोई बैठक हुई है ; और

(ख) क्या इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि लखनउ में गोमती के पानी में मछलियों में महामारी फैलने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। लेकिन 2-7-74 को इस बात की पुष्टि होने पर कि गोमती के दूषित जल से मरी मछलियों में बहुत नाइट्रोजन तथा अमोनियम पाया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बिहार तथा पश्चिम बंगाल सरकारों को टेलीफोन पर चेतावनी दे दी थी कि लखनउ से भेजी गई मछलियों के लिए बिक्री की अनुमति देने से पहले निरीक्षण किया जाना चाहिए।

(ख) जी नहीं ।

Allotment of Land to M.Ps. in Delhi

2229. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government have allotted Government land to the Members of Parliament for constructing their houses in Delhi;

(b) if so, the particulars of the persons who have been allotted the land; and

(c) the propriety of allotment of land to them?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached.

(c) A small percentage of plots for sitting M. Ps. in the Low and Middle Income Groups who have no other plot or house in Delhi, is reserved and allotted.

STATEMENT

Sl. No.	Name of the M. P.
1	Shri Shankar Narayan Singh Deo
2	Shri Balram Dass
3	Smt. Shakuntla Nayar
4	Shri Mukhtiar Singh
5	Shri Achal Singh
6	Shri Ram Kanwar Bairwa
7	Shri Narinder Singh Bisht.
8	Shri Mohan Lal Gautam

Sl. No.	Name of the M.P.
9	Shri Swami Barhmanand
10	Shri Z. A. Ahmad
11	Shri K. Manoharan
12	Shri Sadhu Ram
13	Shri Sankta Parshad
14	Shri Bharat Singh Chouhan
15	Shri Rattan Lal Jain
16	Shri Nagendra Prasad Yadav
17	Shri B. C. Pattanayak
18	Shri Subodh Chander Hansda
19	Shri Arjun Singh Bhandoria
20	Shri K. N. Tewari
21	Shri M. D. Narayan
22	Shri D. N. Tiwary
23	Shri M. Asad Madani
24	Shri O. P. Tyagi
25	Shri R. K. Poddar
26	Shri Swami Rama Nand Shastri
27	Shri P. L. Barupal
28	Shri Arjun Arora
29	Shri Parkash Vir Shastri
30	Shri Shiv Kumar Shastri
31	Shri Bibuti Misra
32	Shri Chowdhury Ram Sewak
33	Shri P. C. Mitra
34	Shri Shivajirao S. Deshmukh
35	Smt. Savitri Shyam
36	Shri R. S. Panjhari
37	Shri Ram Sarup
38	Shri Anant Prasad Sharma
39	Shri Awdesh Chander Singh
40	Shri B. K. Dass Chowdhury
41	Shri N. K. Shejwalkar
42	Shri P. M. Sayeed
43	Shri B. N. Kureel

त्रिनगर में अपर्याप्त परिवहन सुविधाएं

2230. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1974 के प्रथम सप्ताह में पर्याप्त परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण त्रिनगर क्षेत्र की जनता को हो रही कठिनाइयों के बारे में त्रिनगर वेलफेयर एसोसिएशन (रजि०) के जनरल सेक्रेटरी से उन्हे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में क्या क्या बातें कहीं गई है और उक्त मामलों में कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) अभ्यावेदन में निम्नलिखित मांग की गई :

(1) मार्ग संख्या 59 से हटाई गई दो बसों का फिर से बहाल करना ।

(2) त्रिनगर से पटेलनगर और शंकर रोड होते हुए केन्द्रीय सचिवालय तक मार्ग सं० 59 पर प्रात: 9.00 बजे तथा 9.30 बजे दो विशेष फेरों की व्यवस्था करना ।

(3) त्रिनगर और आनन्द पर्वत के बीच चलने वाली मार्ग सं० 301 पर सेवाओं का पहाड़गंज तक विस्तार करना और इन सेवाओं को आधे घंटे के अन्तर पर चलाना ।

(4) विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई सेवा का चलाना जो शक्तिनगर को मिलाए ।

उपरोक्त मांगों पर की गई कार्यवाही निचे दिखाई गई है :—

(1) मार्ग संख्या 59 से 2 बसों के हटाने का निर्णय त्रिनगर के निवासियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में किया गया । इन दो बसों में से एक बस दफ्तर जाने वालों की सुविधाओं के लिए आर० के० पुरन तथा दूसरी मार्ग संख्या 301 का प्रयोग जो त्रिनगर को आनन्द पर्वत से केन्द्रीय सचिवालय तक चलने वाली सुगम सेवा से जोड़ती है, का मिलन सेवा की व्यवस्था के लिए किया जा रहा है ।

(2) मिलन सेवा सं० 301 के चालू किये जाने को दृष्टि में रखते हुए पटेल नगर और शंकर रोड होकर विशेष फेरों की आवश्यकता नहीं समझी गई है ।

(3) चूंकि सुगम सेवा 103 पहाड़ गंज पुलिस स्टेशन होकर आनंद पर्वत से केन्द्रीय सचिवालय तक चलती है । अत: मार्ग संख्या 301 का आनन्द पर्वत से पहाड़गंज को विस्तार का अर्थ एक ही मार्ग पर दो सवाएं चलाना होगा । यह दिल्ली में बस मार्गों के युक्तिकरण तथा पुनर्ढाचे की योजना के पीछे जो उद्देश्य है, उसके अनुकूल नहीं होगा ।

जहां तक मार्ग संख्या 301 पर सेवाओं की वारम्वारता में वृद्धि की मांग का प्रश्न है, सेवा प्रयोगात्मक आधार पर चालू की गई है । स्थिति का जायज़ा लिया जा रहा है और जब ऐसा करना आवश्यक समझा जायेगा, इस सेवा की वारम्वारता में वृद्धि की जायेगी ।

(4) शक्ति नगर मार्ग संख्या 60 की सेवा जो मोतीनगर से चलती है, पर की उच्च वारम्वारता की शटल सेवाओं से जुड़ा हुआ है । त्रिनगर से विश्वविद्यालय जाने

वाले विद्यार्थी इन सेवाओं का इन्द्रलोक में लाभ उठा सकते हैं, जो मार्ग सं० 59 तथा 50 सी पर की सेवाओं से त्रिनगर से भी जुड़ा हुआ है।

उर्वरकों की कालाबाजारी तथा उनका वितरण

2231. श्री समर गुह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उर्वरकों की कालाबाजारी बढ़ गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिये राज्य सरकारों की परामर्श दिया गया है; और

(ग) वर्ष 1973 तथा 1974 में प्रत्येक राज्य को कितने कितने (एक) आयातित, और (दो) स्वदेशी उर्वरक दिये गये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कई राज्यों ने ऐसे मामलों की सूचना दी है कि गत दो वर्षों से उर्वरकों की कुछ किस्मों की कमी होने के कारण, कुछ व्यापारी इसका नाजायज लाभ उठा कर चोरबाजारी कर रहे हैं। तथापि, हाल में उर्वरकों के मूल्य में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण चोरबाजारी के मामले कम होने की संभावना है।

(ख) जी हां। राज्य सरकारों को उर्वरकों की चोरबाजारी रोकने के लिये सलाह दी गई है और इस प्रकार के मामलों को निपटाने के लिये पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1973 तथा 1974 के दौरान आयातित तथा देशी उर्वरकों के वितरण का राज्य वार ब्यारा संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8170/74**

पोलैण्ड द्वारा मत्स्यपालन उद्योग को सहायता देने की पेशकश

2232. श्री ए० के० गोपालन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैण्ड के मत्स्यपालन उद्योग के विकास के लिए भारत को मछली पकड़ने की नौकायें तथा भारत में ऐसी नौकायें बनाने के यार्ड का निर्माण करने सहित सभी प्रकार की सहायता देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने पेशकश क्यों स्वीकार नहीं की ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) जी हां, यह पेशकश विचाराधीन है।

उत्पादित और आयातित उर्वरकों की मात्रा तथा इसका मूल्य

2233. श्री शंकरराव सावन्त : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972–73, वर्ष 1973–74 और जन, 1974 के अन्त तक भारत में ही निर्मित और विदेशों से आयात किये गय विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की कितनी मात्रा है और उनका मूल्य क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : वर्ष 1972–73, 1973–74 तथा अप्रैल से जून, 1974 तक की अवधि के दौरान भारत में तैयार हुए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की मात्री अनुबंध I में दी गई है।

वर्ष 1972–73, 1973–74 तथा अप्रैल से जून, 1974 तक की अवधि के दौरान आयात हुए उर्वरकों की मात्रा तथा उनके मूल्य अनुबन्ध II में दिये गये हैं।

यूरिया, केलशियम अमोनियम नाइट्रेट तथा अमोनियम सल्फेट के अधिकतम खुदरा मूल्य सांविधिक रूप से निर्धारित किये जाते हैं और वर्ष 1972–73, 1973-74 तथा अप्रल से जून, 1974 तक की अवधि के लिए इन तीनों उर्वरकों के मूल्य अनुबन्ध III में दिये गये हैं।

उपर्युक्त तीन उर्वरकों के सिवाए अन्य उर्वरकों के मूल्य निर्धारित करने के मामले में देशी विनिर्माता स्वतंत्र हैं।

विवरण I

(हज़ार मीटरी टन)

उत्पाद	1972–73	1973–74	अप्रैल-जून 1974
अमोनियम सलफेट	556	572	109
यूरिया	1413	1414	401
अमोनियम क्लोराइड	30	32	7
केलशियम अमोनियम नाइट्रेट	408	431	91
डाय अमोनियम फासफेट	69	59	13
अमोनियम फासफेट	96	125	28
नाइट्रो फासफेट	246	213	51
यूरिया अमोनियम फासफेट	219	209	56
अमोनियम सलफेट नाइट्रेट	56	48	8
एन० पी० के०	286	268	72
सिंगल सुपर फासफेट	750	778	195
ट्रिपल सुपर फासफेट	5	2	*
	4135	4150	1031

*अप्रैल–जून, 1974 के दौरान ट्रिपल सुपर फासफेट का उत्पादन केवल 407 मीटरी टन है।

विवरण II

लाख मीटरी टनो में
लागत करोड़ रुपयों में

उर्वरक	1972–73		1973–74		1974-75 (अप्रैल-जून)	
	मीटरी टन	अदा किया गया मूल्य	मीटरी टन	अदा किया गया मूल्य	मीटरी टन	अदा किया गया मूल्य
अमोनियम सलफेट .	1.28	2.75	0.75	3.89	0.20	1.87
अमोनियम नाइट्रो फासफेट .	0.55	3.19	2.40	20.20	0.68	8.05
डाई अमोनियम फासफेट . .	3.48	27.38	3.40	35.98	0.73	9.53
यूरिया . . .	10.08	50.79	10.34	73.71	2.30	31.01
पोटासियम अमोनियम नाइट्रेट .	3.18	12.19	1.83	10.56	0.85	9.92
सलफेट आफ पोटाश . .	0.06	0.31	0.05	0.30	—	—
मूरेट आफ तोटाश . .	5.04	16.03	6.07	35.50	1.42	8.42
मोनो अमोनियम फासफेट .	0.12	0.96	—	—	—	—
मिश्रित एन० पी० के० . .	1.20	7.67	0.55	4.63	0.19	2.51
अमोनियम सलफेट नाइट्रेट .	—	—	0.02	0.18	0.03	0.37
कुल योग .	24.99	121.27	25.41	176.95	6.40	71.68

विवरण III

(रुपये प्रति मीटरी टनों में)

उर्वरकों की किस्म	17-3-72 से प्रवृत्त अधिकतम खुदरा मूल्य	11-10-73 से प्रवृत्त अधिकतम खुदरा मूल्य	1-6-74 से प्रवृत्त अधिकतम खुदरा मूल्य
1. यूरिया (46 %)	959	1,050.00	2,000.00
2. अमोनियम सल्फेट (21%एन) .	560.00 (50 कि० ग्राम के थैले)	600.00 (50 कि० ग्राम के थैले)	935.00 (50 कि० ग्राम के थैले)
	549.00 (100 कि० ग्राम के थैले)	590.00 (100 कि० ग्राम के थैले)	925.00 (100 कि० ग्राम के थैले)
3. कल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (26 %एन)	594	645.00	1,145.00

बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों का नवीकरण

2234. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिर के ऐतिहासिक एवं स्थापत्य संबंधी स्वरूप में परिवर्तन करने के लिये प्रयास किए जा रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है,

(ग) क्या राज्य सरकार ने उक्त मंदिरों के इस प्रकार के नवीकरण के प्रयास का विरोध किया था, और

(घ) बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिरों के स्थापत्य संबंधी तथा ऐतिहासिक स्वरुपों को बनाये रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) केदारनाथ के मंदिर में चल रहे नवीकरण कार्य के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। जहां तक बद्रीनाथ के मंदिर का सम्बन्ध है, नवीकरण का कार्य जो बिरला के जयश्री न्यास द्वारा किया जा रहा था वह रोक दिया गया है। जो कार्य अभी तक हुआ है वह मंदिर के ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्वरुप के अनुरुप नहीं पाया गया है।

(ख) अभी तक नवीकरण का जो कार्य किया गया है उसमें (क) गर्भ गृह के तीन ओर बीच में 20 फूट उंची कंक्रीट की प्रवलित रिसनरोक दीवारों तथा (ख) परिवर्धित सभा मंडप की कंक्रीट की प्रवलित दीवारों और 20 फूट ऊंचे अर्ध मण्डप का निर्माण भी शामिल है। पुराना अर्धमंडप गिरा दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने यह निर्माण कार्य रोकने के लिये आदेश जारी कर दिये थे और केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि वे पुरातत्व के महानिदेशक को मौके पर निरीक्षण करने के लिये प्रतिनियुक्त करें तथा इस बात पर अपने विचार प्रस्तुत करे कि क्या प्रस्तावित निर्माण/परिवर्तन कार्य का मंदिर की परम्परागत सुन्दरता, ऐतिहासिक पृष्टभूमि वास्तुकला पर कोई असर पड़ेगा तथा इससे इसमें भिन्नता आ जाएगी। महानिदेशक ने यह निरीक्षण कर लिया है तथा उनकी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को भेज दी गई है। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

New Traffic System in Connaught Place, New Delhi

2235. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the introduction of new traffic system in Connaught Place, in New Delhi,

(b) whether the common people travelling by buses and tongas have to face more difficulties as a result of new traffic system; and

(c) whether officers of New Delhi Municipal Committee think only of further beautification of Connaught Place and introduce arbitrary changes in its traffic arrangements while other areas are neglected ?

The Minister of State in the Dapartment of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Rs. 18 lacs. (b) No, Sir. (c) No, Sir it is not a fact.

Increase in price of Chemical Fertiliser and their sale at higher price

2236. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the extent of increase registered in the prices of various chemical fertilisers during the years 1971-72, 1972-73 and 1973-74,

(b) whether the prices of chemical fertilisers being sold by the Government and semi-Government agencies are higher than those being sold by private dealers;

(c) whether Government have received some information that the private dealers have sold chemical fertilisers at higher than the fixed prices for the summer crops; and

(d) if so, the steps taken by Government to check this practice in future?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) A statement indicating the extent of increase in prices registered during the year 1971-72 to 1973-74 in respect of some major imported fertilizers is attached.

(b) The maximum retail prices of the three main nitrogenous fertilisers viz. Urea, Calcium Ammonium Nitrate and Ammonium Sulphate are statutorily fixed and are therefore, uniformly applicable to Government and semi-Government agencies as also to private dealers. There is no information available to indicate that the Government and semi-Government agencies are selling fertilisers at a price higher than that charged by the private dealers.

(c) Some cases of unscrupulous dealers taking advantage of the relative shortage of fertilizers and indulging in blackmarketing in respect of the three fertilizers, the maximum prices of which have been statutorily fixed, have been reported by some of the States.

(d) The Fertiliser (Control) Order, 1957 has been promulgated under the Essential Commodities Act, 1955 and the State Governments have been given adequate powers to apprehend and prosecute the offenders indulging in mal-practices like black-marketing. The Fertiliser (Control) Order has also been declared a 'Special Order' under the Act to enable the State Governments to try the offenders summarily, thereby making conviction easier and quicker. The Central Government have also been urging the State Governments from time to time to exercise the powers vested in them to deal with black-marketing and adulteration.

STATEMENT

Sl. No.	Name of fertiliser	Increase per tonne in the year 1971-72	Increase per tonne in the year 1972-73	Increase per tonne in the year 1973-74
		Rs.		Rs.
1.	Ammonium Sulphate	20·00		40·00
2	Urea (46%N)	36·00		91·00
3	Calcium Ammonium Nitrate	19·00		51·00
4	Muriate of Potash	22·00	..	125·00
5	Di-Ammonium Phosphate	29·00		89·00
6	NPK (14-14-14)	29·00	..	
7	NPK (15-15-15)	30·00	..	433·00

लघु पत्तनों के विकास सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

2237. **श्री बसन्त साठे : श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा नियुक्त लघु पत्तनों सम्बन्धी समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो लघु पत्तनों के विकास सम्बन्धी समिति ने क्या-क्या उल्लेखनीय सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार ने उक्त सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—8171/74**]

(ग) भारत सरकार ने छोटे पत्तन समिति की रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिये भेज दी है। केन्द्रीय रूप से प्रायोजित छोटे पत्तन योजना के लिए पांचवीं योजना मसौदे में अवस्था, अग्रेनीत योजनाओं तक की सीमित है और नई योजनाओं के लिए किसी परिव्यय की व्यवस्था नहीं की गई है। छोटे पत्तनों की नई योजनाओं के लिए संबंधित राज्य सरकारों को अपनी योजना के भाग के रूप में व्यवस्था करनी होगी।

धान तथा चावल के बाजार मूल्यों को वसूली मूल्य स्तर तक लाने के प्रयास

2239. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वसूली मूल्य के बराबर धान और चावल के बाजार मूल्यों को कम करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं, और

(ख) क्या चावल की चोर बाजारी को रोकने तथा इस के मूल्यों को कम करने के लिये सांविधिक राशन क्षेत्रों को पर्याप्त राशन कोटा दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : कमी की स्थिति में, बाजार में चल रहे मूल्य, अधिप्राप्ति मूल्यों की अपेक्षा अधिक हैं। बाजार मूल्यों को नीचे लाने के लिए सरकार ने उत्पादन कार्यक्रम को तेज कर दिया है, यथा सम्भव सप्लाई में वृद्धि कर दिया है, जमाखोरी तथा चोरबाजारी विरोधी उपाय लागू कर दिया है, ऋण नियंत्रण आदि को कड़ा कर दिया है। राज्यों के अन्दर खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। कुल उपलब्धता, राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, स्थानीय बाजार में उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय आवंटन किए जाते हैं।

मध्यप्रदेश में सिंचाई प्रयोजनों के हेतु भूमिगत जल के लिए किया गया सर्वेक्षण

2240. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिंचाई प्रयोजनों के हेतु भूमिगत जल के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : जी, हां। समन्वेषी नलकूप संगठन ने भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण की भूमिगत जल शाखा के सहयोग से तथा उसके पश्चात भूमिगत जल मण्डल के सहयोग से भूमिगत जल का सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश में हाइड्रोजियोलोजिकल सर्वेक्षण तथा संसाधनों के मूल्यांकन सम्बन्धी

व्यवस्थित अध्ययन किए थे। लगभग 49050 वर्ग किलो-मीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण और अध्ययन किया जा चुका है। 49050 वर्ग किलो-मीटर क्षेत्र में से, लगभग 23150 वर्ग किलो-मीटर सख्त चट्टानी क्षेत्र हैं और लगभग 25900 वर्ग किलोमीटर जलोढ़ क्षेत्र हैं। 23150 वर्ग किलो मीटरों में सख्त चट्टानी क्षेत्रों में से लगभग 3200 वर्ग किलो-मीटर क्षेत्र को भूमिगत जल के लिये उपयुक्त पाया गया है जहां खुदाई के कुओं तथा खुदाई एवं छिद्रण के कुओं की सहायता से छोटे स्तर पर सिंचाई हो सकती है। 25,900 वर्ग किलो-मीटर जलोढ़ क्षेत्रों में से, लगभग 4100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उपयुक्त मात्रा में भूमिगत जल उपलब्ध है और वहां नलकूप लगाए जा सकते हैं।

राज्य की भूमिगत जल संस्था द्वारा सिंचाई के लिये किये गये सर्वेक्षण के क्षेत्र के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभापटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि

2241. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन मासों के दौरान दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों में गेहूं एवं अन्य खाद्यान्नों के मूल्यों में काफी वृद्धि हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो एक वर्ष से ऊपर की अवधि में मदवार विभिन्न खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) खाद्यान्नों के मूल्यों में वद्धि मुख्यतया राजसहायता के भार और वित्त व्यवस्था को कम करने और उत्पादकों को लाभकारी-मूल्य देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिप्राप्ति के मूल्यों में बढ़ोत्तरी करने के फलस्वरुप केंद्रीय निर्गम-मूल्य में वृद्धि के कारण हुई है।

राज्यों में गोबर गैस संयंत्र और उन पर किया गया व्यय

2242. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना करने सम्बबो अपने अभियान को तीव्र करने के लिये सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में अब तक ऐसे कितने गैस संयंत्र स्थापित किये गये और उन पर कितनी लागत आई है; और

(ग) ऐसे संयंत्रों की स्थापना से क्या लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। पांचवीं पंच-वर्ष योजना के दौरान, कृषि मंत्रालय का खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग के सहयोग से 1,00,000 गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिये एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ख) खादी तथा ग्राम-उद्योग आयोग ने जनवरी, 1974 के अंत तक 6,975 गोबर गैस संयंत्र स्थापित किए हैं। (विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किए गए गोबर गैस संयत्र की संख्या को प्रदर्शित करने वाली एक सूची संलग्न है)। खादी तथा ग्राम-उद्योगी आयोग ने कृषकों को दिये जाने वाले ऋण तथा अनुदानों के रूप में इन पर कुल 1.47 करोड़ रुपये की रकम खर्च की हैं।

(ग) गोबर गैस संयंत्र ईंधन व रोशनी के लिये गैस तथा अच्छी किस्म की खाद प्रदान करते हैं। इन संयंत्रों से अतिरिक्त लाभ भी हैं, क्योंकि उपले, जलाने की लकड़ी तथा कोयला जलाने से धुआँ निकलता है, लेकिन गैस के प्रयोग से धुआँ नहीं निकलता। इन संयंत्रों को स्थापित करने से इंजीनियरों, कारीगरों, आदि को रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

विवरण

जनवरी, 1974 तक प्रत्यक राज्य/संघ क्षेत्र में स्थापित किए गए गोबर गैस संयंत्रों को प्रदर्शित करने वाला विवरण।

क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जनवरी, 1974 तक पूर्ण किए गए संयंत्रों की कुल संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	534
2.	असम	27
3.	बिहार	100
4.	गुजरात	2,944
5.	हरियाणा	180
6.	हिमाचल प्रदेश	7
7.	कर्नाटक	524
8.	केरल	108
9.	मध्य प्रदेश	106
10.	महाराष्ट्र	1,530
11.	उड़ीसा	17
12.	पंजाब	99
13.	राजस्थान	45
14.	तमिलनाडु	248
15.	उत्तर प्रदेश	470
16.	पश्चिम बंगाल	22
17.	दिल्ली	3
18.	गोआ, दमन व दिव	7
19.	पांडीचेरी	4
	योग	6,975

खरीफ की फसल के अनुमान

2243. श्री बनमाली पटनायक : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसून के देर से आने के कारण खरीफ की अच्छी फसल होने की आशा धूमिल हो गयी है,

(ख) दि हाँ, तो खरीप की कितनी फसल होने का अनुमान लगाया गया है, और

(ग) खरीफ के लिये निर्धारित लक्ष्य क्या था और उससे कितनी कम फसल होने का अनुमान है और किस तरह इस स्थिति का सामना करने का विचार किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) देश के अधिकांश भागों में चालू वर्ष की अवधि में मानसून के आने में 2–3 सप्ताह की देरी हुई और जून के अंत तक कम वर्षा हुई। फिर भी, हाल ही में अच्छी वर्षा होने से देश के विभिन्न भागों में व्यापक रूप से बुवाई करने में बड़ी आसानी हो गई है। खरीफ की फसलों की बुवाई अभी तक की जा रही है, अतः अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि कितने क्षेत्र में फसल उगाई जाएगी और इस मौसम में कितनी उपज होगी।

नालन्दा विश्वविद्यालय से बुद्ध-प्रतिमा के शिरोभाग की चोरी होना

2244. श्री वसन्त साठे : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जुलाई, 1974 के एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र में "फोर्थ सेंचुरी बुद्धा हैड्स स्तोलन फ्राम यूनीवर्सिटी साइट आफ नालन्दा इन बिहार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, और

(ख) उक्त मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले की बिहारी राज्य पुलिस तहकीकात कर रही है।

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में वाइस प्रिंसीपल, प्रिंसीपल और उप-शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति

2245. श्री छत्रपति अम्बेश : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री शिक्षा निदेशालय दिल्ली में प्रिंसीपल, वाईस प्रिंसीपल और उप-शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में 22 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 7675 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :
(क) जी, हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां की गई थी ।

पद का नाम	1971-72		1972-73		1973-54	
	पदों की संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति	पदों की संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति	पदों की संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति
उप-प्रिंसिपल	—	—	—	—	—	—
प्रिंसिपल/उप-शिक्षा अधिकारी/लेक्चरर/अनुसंधान अधिकारी आदि	1 (डी०पी०)	—	22 (डी० आर०)	2 (डी० आर०)	6 (डी० आर०)	3 (डी० आर०)
सहायक शिक्षा निदेशक/शिक्षा अधिकारी	—	—	3 (डी० पी०)	—	4 (डी०पी०) 3 (डी०आर०)	1 (डी०आर०)
उप-शिक्षा निदेशक	2 (डी०पी०)	—	1 (डी० आर०)	—	1 (डी०आर०) 1 (डी०पी०)	—
संयुक्त शिक्षा निदेशक	1 (डी०पी०)	1	—	—	1 (डी०पी०) (1/1/74 से 30/4/74 तक)	—
अपर शिक्षा निदेशक	—	—	—	—	—	—

टिप्पणी : (डी०पी०) — विभागीय पदोन्नति
(डी०आर०) — प्रत्यक्ष भर्ती

मध्य प्रदेश में केला विकास योजना

2246. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केला विकास के लिये एक योजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक मंजूर किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) इस योजना की काफी जांच-पड़ताल की जा चुकी है और आशा है कि इसके लिए शीघ्र ही स्वीकृती दे दी जायेगी ।

मेघालय को भेजे जाने वाले उर्वरक अन्यत्र भेजे जाने सम्बन्धी मामले की जांच

2247. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में मेघालय को भेजे जाने वाले उर्वरक को बड़ी मात्रा में अन्यत्र भेजे जाने सम्बन्धी कथित मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना उर्वरक अन्यत्र भेजा गया ;

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) क्या उनका ध्यान शिलांग के स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि खासी पहाड़ियों क उपआयुक्त ने अपने कर्मचारियों के साथ उर्वरकों का वितरण करने वाले स्थानीय ऐजेंटो, शिलांग मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी को उर्वरकों में स्थानीय रूप से प्राप्त की गई सफेद रेत मिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (स) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मध्य प्रदेश के खारगौन तथा मन्दसौर जिलों में मुंगफली का विकास

2248. **श्री नरेन्द्र कुमार सालवे** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के खारगौन तथा मन्दसौर जिलों में मुंगफली के विकास की योजना भेजी है;

(ख) क्या योजना मंजूर कर ली गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) मुंगफली का उत्पादन बढ़ाने की योजना के अन्तर्गत, चौथी योजना के दौरान खारगौन और मन्दसौर जिलों में मुंगफली का विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था । इसको पांचवीं योजना में शामिल सघन तिलहन विकास कार्यक्रम विषयक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । राज्य सरकार से, पांचवीं प्लान योजना में भेजे गये प्रतिमान के आधार पर प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं ।

इन प्रस्तावों पर अभी विचार किया जा रहा है । तथापि, इन प्रस्तावों के निर्णय होने तक राज्य सरकार से कहा गया है कि पांचवीं योजना के लिये प्रस्तावित घटाई हुई राजसहायता की मदद से चौथी योजना के कार्यक्रम के आधार पर योजना को जारी रखा जाए ।

वसूली नीति के परिणाम

2249. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की वसूली नीति के अपेक्षित परिणाम नहीं निकल और अधिकतर व्यापारियों ने अपने वचन नहीं निभाये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी एसोसिएशन संघ द्वारा दिए गए कुछ अश्वासनों के परिणामस्वरुप आशाएं पैदा हुई थीं लेकिन उन्हें पूरी तरह महसूस नहीं किया गया है। तथापि, चालू वर्ष के दौरान गेहूं की पैदावार के स्तर, उपलब्ध विक्रय, अधिशेष की मात्रा और अन्य खाद्यान्नों के चल रहे मूल्य स्तरों को ध्यान में रखते हुए यह कहना ठीक नहीं होगा कि नीति से प्रत्याशित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। इस बंन्ध में स्थिति की बराबर समीक्षा की जा रही है और जहां जरूरी होता है, उपचारी कार्यवाही की जाती है।

बाघ के संरक्षण के लिये वन्य प्राणी निधि

2250. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या विश्व वन्य प्राणी निधि नामक संस्था ने देश में भारतीय बाघ के संरक्षण के लिये 10 लाख डालर देने का वचन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि प्राप्त की गई है तथा उसे किस प्रकार खर्च किया गया ;

(ग) देश में कुल कितना बाघ हैं ; और

(घ) देश में गत तीन वर्षों में कितने बाघ नष्ट हुए/मारे गये अथवा मर गये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) विश्व वन्य प्राणी निधि (वर्लड वाईल्ड् लाइफ फण्ड) ने भारत, भूटान, नैपाल, बंगलादेश और इंडोनेशिया में बाघों के संरक्षण के लिये दस लाख डालर की रकम एकट्ठी करने का संकेत दिया है।

(ख) विश्व वन्य प्राणी निधि 10 लाख डालर क प्रस्तावित दान का लगभग 60 प्रतिशत भाग एकट्ठा कर चुकी है। इस दान का एक भाग, उपस्करों, वाहनों, प्रशिक्षिण सुविधाओं, अनुसंधान आदि के रूप में भारत को मिलेगा। अब तक विश्व वन्य प्राणी निधि, 4 जीप वैगनर, 6 जीपें, एक दूरबीन, एक राइफल, एक डी० बी० बी० एल० 12 बोर की बन्दुक और दो टाइपराइटर दे चुकी है।

(ग) लगभग 1,827।

(घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सरकार द्वारा दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि का आबंटन

2251. **श्री राम कंवर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) उन सहकारी गृह निर्माण समितियों के नाम क्या है जिन्हें सरकार ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में भूमि आवंटित की है तथा आवंटन किस वर्ष किया गया; और

(ख) ऐसी समितियों की संख्या कितनी है जिन के मामले में पट्टानामा सरकार द्वारा किया गया तथा अन्य समितियों मामले में ऐसे पट्टेनामें न किये जाने क क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में रहस्यमय बीमारी के कारण पशुओं की मृत्यु होने के बारे में जांच

2252. **श्री पीलू मोदी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस साल जून के महीने में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में और उसके आसपास के क्षेत्र में एक रहस्यमय बीमारी के कारण सैंकड़ों पशुओं की मृत्यु हो गई है ; और

(ख) क्या उक्त मामले के बारे में कोई जांच की गई है, और यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) 17 जून से 22 जुलाई, 1974 तक दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में 56 पशुओं के मरने की खबर मिली है। ऐसी सूचना मिलने पर गुड़गांव स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की रोग निरीक्षण प्रयोगशाला और इज्जतनगर स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के विशषेज्ञों को शीघ्र ही रोगग्रस्त क्षेत्र में भेजा गया था। स्थान पर ही निरीक्षण करने और एकत्रित की गई सामग्री का विस्तृत प्रयोगशाला परीक्षण करने से पता चला है कि उन पशुओं को मृत्युरासायनों से विषयुक्त हुए हरे चारे से हुई है। प्रयोगशाला परीक्षणों से पता चलता है कि यदि ज्वार को अंकुरण अवस्था में अधिक मात्रा में खाया जाए तो हाइड्रोजोनिक एसिड विष से मृत्यू हो सकती है।

दिल्ली प्रशासन में हानि को रोकने के लिए पशु मालिकों के पास जाकर दिनरात अपेक्षित सहायता पहुंचाने का प्रबंध किया है। दिल्ली प्रशासन ने ग्रामीणों को सलाह दी है कि वे आवश्यक उपाय अपनाये। यह काम व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके, मनादी कराकर दिल्ली के मुख्य अखबारों में अधिसूचना प्रकाशित कराकर, आकाशवाणी से जानकारी प्रसारित करके टेली-विजन पर दिखाकार और इस संम्बन्ध में इश्तकर बटवाकर किया गया है।

दिल्ली में अधिक संख्या में सुपर बाजारों का खोला जाना

2253. **श्री पीलू मोदी** : क्या कृषि मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ/राज्य क्षेत्र दिल्ली में अधिक संख्या में सुपर बाजार खोलने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने बाजार खोलने का प्रस्ताव है और प्रत्येक बाजार पर कितनी पुंजी लगाई जायगी; और

(ग) ये बाजार किन क्षेत्रों में खोले जायेंगे और कब खोले जायेंमे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सुपर बाजार की शाखायें कोआपरेटिव स्टोर लि0, (सुपर बाजार), नई दिल्ली, जो एक स्वायत्त संस्था है, द्वारा खोली जानी है और सरकार द्वारा नहीं।

(ख) सुपर बाजार का अपनी पहली 9 शाखाओं के अतिरिक्त 20 और शाखायें खोलने का विचार है। प्रत्येक शाखा में लगाया जाने साला धन अलग-अलग होगा, क्योंकि यह उस स्थान, जहां वह खोली जाएगी, बिक्री की संभाव्यता बिक्री स्थान के आकार, किरायें, कर्मचारियों की संख्या आदि पर निर्भर करेगा।

(ग) प्रस्तावित 20 नई शाखाओं में से 3 शाखाओं ने क्रमश: 5-6-74, 14-6-74 और 22-7-74 को दिल्ली विश्वविद्यालय कैम्पस, जुमा मस्जिद क्षेत्र और विट्ठल भाई पटेल भवन में काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी शाखायें पुरानी तथा नई दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जब भी उचित किराये पर उपयुक्त स्थान मिलेगा, खोली जाएंगी।

गुजरात में भू-राजस्व और तकाबी की वसूली का स्थगित किया जाना

2254. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के उन क्षेत्रों में जो अभावग्रस्त है या आंशिक रूप से अभावग्रस्त हैं, किसानों और, खेतिहरों से भू-राजस्व और तकाबी ऋणों की वसूली के लिए कठोर कार्यवाही को तत्काल बन्द कर देने के लिए राज्य और केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) गुजरात राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ग) सरकार के स्थायी आदेशों के अनुसार राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों में तकाबी तथा भू-राजस्व की वसूली बंद कर दी गई है । इसके अतिरिक्त बीज तकाबी स्वीकृत की जाती है और राहत कार्यों की सहायता से रोजगार उपलब्ध किया जाता है, एक लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है । जरुरतमन्दों को नकद दान दिया गया है और जरुरत मंद किसानों को रियायती दरों पर 66 लाख कि० ग्राम घास भी वितरित की गई है ।

गुजरात द्वारा वसूली के लक्ष्य में कमी करना

2255. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की राज्य सरकार ने गेहूं वसूली के लक्ष्य में 50 प्रतिशत कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या मुख्य कारण हैं;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया; और

(घ) राज्य में अब तक कितनी मात्रा में गेहूं की वसूली की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने रबी मौसम 1974-75 के दौरान गेहूं की अधिप्राप्ति के लिए कोई राज्यवार, लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है । तथापि, गुजरात सरकार ने 1974-75 मौसम में 19,271 मीटरी टन गेहूं अधिप्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जबकि उसके प्रति 20,280 मी० टन गेहूं की अधिप्राप्ति की जा चुकी है ।

Wheat missing from F. C. I. Godowns Tuticorin

2256. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether 81 bags of wheat were found missing from the Tuticorin godown of the Food Corporation of India ;

(b) whether any clue of the culprits has been found; and

(c) if so, the action taken against them?

8—26—L.S.S. (ND)/74

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) 86 bags of wheat were found missing in the Food Storage Depot, Tuticorin.

b) and (c) The case is under investigation by Tuticorin Police. In the meantime the Assistant Depot Superintendent and one Head Watchman have been suspended for suspected complicity in the case. Services of two daily rated watchmen have also been terminated.

वनस्पति उत्पादकों द्वारा सस्ते किस्म के तेलों का उपयोग किया जाना

2257. श्री पी० के० देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानकीकृत किस्म के तेलों की उंची कीमतों के कारण वनस्पति उत्पादक सस्ती किस्म के तेलों का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे जनता के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) सरकार को ऐसा कोई सबुत नहीं मिल हैं जहां बनस्पति निर्माताओं नें उस तेल का प्रयोग किया हो जिसकी वनस्पति के निर्माण में प्रयोग की अनूमति नहीं दी जाती है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उटते ।

मध्य प्रदेश में 'आपरेशन फ्लड' योजना

2258. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या कृषि मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में 'आपरेशन फ्लड' योजना क्रियान्वित की गई है; और

(ख) यदि यह योजना किसी भी जिले में क्रियान्वित नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश का कोई जिला विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना (618 आपरेशन फ्लड) में शामिल नहीं है । इस परियोजना के अन्तर्गत, 10 राज्यों में दुग्ध विपणन और डेरी विकास केन्द्र स्थापीत किये जा रहे है जिनसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास की महानगरियों की डेरियो को दुग्ध प्राप्त होगा । मध्य प्रदेश का कोई भी जिला इन डेरियों के दुग्ध क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता इसलिए इस परियोजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के किसी भी भाग को शामिल करना सम्भव नहीं है ।

एशियन प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा आयोजित कार्य सिम्पोजियम

2259. श्री आर० एन० बर्मन : क्या कृषि मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1974 में टोकियों में एशियन प्रोडक्टिविटी कौऊंसिल द्वारा आयोजित किये जाने वाले फार्म सिम्पोजियम में भाग लेने के लिये चुने गये प्रतिनिधियों के नाम तथा उनके पद स्तर क्या हैं;

(ख) इन प्रतिनिधियों के चयन की कसौटी की क्या है ;

(ग) क्या इस चयन में सरकार अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति के व्यक्तियों के बारे में विशेष ध्यान देगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) एशियाई उत्पादकता संगठन द्वारा आयोजित कृषि–आदान–उद्योग तथा कृषि के बीच परस्पर संबंध विषयक विचार–गोष्ठी में भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों का चयन सरकार के विचाराधीन है।

रणजीत नगर कालोनी में पानी की टंकी

2260. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रणजीत नगर कालोनी (दिल्ली विकास प्राधिकरण) नई दिल्ली–8 में बनाई गई पानी सप्लाई की टंकी की क्षमता कितनी है और इससे कितने क्वार्टरों को पानी सप्लाई होता है;

(ख) क्या कालोनी में पानी सप्लाई की वर्तमान टंकी की क्षमता कालोनी में पानी की न्यूनतम आवश्यकता से बहुत कम है और विशेषतया सबसे ऊंची मंजिलों पर रहने वालों को पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या रणजीत नगर कालोनी में पानी की भूगत टंकी बनाकर उसे वूस्टर पम्प द्वारा वर्तमान टंकी से जोड़ा जायेगा जिससे कि पानी की अनियमित तथा कम सप्लाई की समस्या, विशेषकर ऊपर की मंजिलों पर, का समाधान किया जा सके;

(घ) हाल ही में आवंटित किये गये क्वार्टरों के शौचालयों में फ्लश प्रणाली को पानी का कनेक्शन कब तक दे दिया जायेगा; और

(ङ) इस कालोनी में पानी की समस्या का समाधान कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 546 किलोलिटर। यह ऊंची टंकी, 1872 टेनामेंटों की मांग पूरी करती है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा सोयाबीन परिष्करण संयंत्र की स्थापना

2261. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या कृषि मंत्री भारतीय खाद्य निगम द्वारा सोयाबीन परिस्करण संयंत्र की स्थापना के बारे में 26 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2161 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त संयंत्र की स्थापना के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस संयंत्र की स्थापना किस स्थान पर की गई है; और

(ग) इसमें वार्षिक उत्पादन कितना होगा और इस परियोजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने सोयाबीन विधायन संयंत्र स्थापति करने के लिए जो परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इस संयंत्र को फरीदाबाद, हरियाणा में स्थापित करने का विचार है।

(ग) प्रस्तावित संयंत्र के वार्षिक उत्पादन का प्रश्न विचाराधीन है। भारतीय खाद्य निगम ने परामर्श-फीस और अन्य प्रारम्भिक खर्चे के रूप में जुलाई, 1974 तक 2.2 लाख रुपये खर्च किए हैं।

नई दिल्ली में रियायती दरों पर पत्रकारों को सरकारी फ्लैटों का आवंटन

2262. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में किस स्थान पर पत्रकारों को रियायती दरों पर सरकारी फ्लैटों का आवंटन किया गया है, किस तिथि को आवंटित किया गया, मासिक किराया कितना लिया गया है और यदि किराये की कोई बकाया राशि है तो वह कितनी है ;

(ख) विदेशी पत्रकारों को आवंटित किये गये सरकारी क्वार्टरों के बारे में ऐसी ही जानकारी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पत्रकारों तथा समाचारपत्रों के उन प्रबंधकीय कर्मचारियों के बारे में उनके नाम, पते तथा अन्य सूचनाएं क्या हैं जिन्हें ऐसे सरकारी क्वार्टर आवंटित किये गये है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

1974 में 'साइंस टेलेन्ट सर्च' स्कालरशिप के लिए चुने गए विद्यार्थी

2263. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1974 में एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा आयोजित 'साइंस टेलेन्ट सर्च एग्जामिनेशन' में, राज्यवार कितने विद्यार्थी बैठे; और

(ख) उक्त परीक्षा के आधार पर राज्यवार कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

1974 में राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा में बैठने वाले तथा चुने गए विद्यार्थी

राज्य	परीक्षा में बैठे	चूने गये
1. आंध्र प्रदेश	598	26
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—
3. असम	56	—
4. बिहार	307	7
5. दिल्ली	1010	102

राज्य	परीक्षा में बैठे	चुने गये
6. गुजरात	125	4
7. हरियाणा	91	2
8. हिमाचल प्रदेश	55	—
9. जम्मू और काश्मीर	17	1
10. केरल	363	18
11. मध्य प्रदेश	900	9
12. महाराष्ट्र	517	19
13. मणिपुर	—	—
14. मेघालय	9	—
15. मिज़ोराम	—	—
16. मैसूर	386	24
17. उड़ीसा	157	4
18. पंजाब	214	4
19. राजस्थान	702	18
20. तमिल नाडू	759	19
21. त्रिपुरा	—	—
22. उत्तर प्रदेश	1531	53
23. संघ क्षेत्र (दिल्ली को छोड़कर)	162	4
24. पश्चिम बंगाल	845	44
जोड़	8804	358

हरियाणा म क्षमता स कम काम करने वाले वनस्पति संयंत्र

2265. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) हरियाणा राज्य में ऐसे कौन-कौन से वनस्पति संयंत्र हैं जो 1974 के प्रथम छः मासों के दौरान अपनी क्षमता से कम काम करते रहे ; और

(ख) पूरी क्षमता का उपयोग न करने के कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) हरियाणा में वनस्पति यूनिटों द्वारा कम उत्पादन, जैसा कि अन्यत्र अन्य यूनिटों के बारे में है, सामान्यतया वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले खाद्य तेलों की अपर्याप्त उपलब्धता और ऊंचे दामों और स्थापीत निर्माण क्षमता आवश्यकता से लगभग दुगनी होने के कारण है ।

विवरण

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

फैक्ट्री का नाम	लाइसेंसशुदा क्षमता प्रतिमास	स्थापित क्षमता प्रतिमास	जनवरी-जून 1974 के दौरान वनस्पति का कुल उत्पादन	क्षमता का प्रतिशत उपयोग
हरियाणा				
1. मै० एस० जी० वेजीटेबल प्राडक्ट्स लि० यमुनानगर। . .	2,500	450	1,525	56.4
2. मै० मारकन्डा वनस्पति मिल, शाहाबाद। . .	625	625	301	@16.1
3. मै० हरियाणा वनस्पति तथा जनरेल इन्ड्रीस्ट्रीज, कुण्डली। . .	250	250	8	*3.2
4. मै० कीरन वेजीटेबल प्रोडक्ट्स, भिवानी . . .	1,250	1,250	1,714	22.8

आदिवासियों से गैर-आदिवासियों को भूमि का हस्तांतरण

2266. **श्री धामनकर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आदिवासी/पिछड़े क्षेत्रों में आदिवासियों से बड़े पैमाने पर गैर-आदिवासियों को भूमि का हस्तांतरण होता है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार के हस्तांतरण के मामलों की संख्या का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और जानकारी मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बेरोजगार कृषि स्नातक तथा पांचवी योजना में उनके रोजगार की योजना

2267. **श्री धामनकर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक/स्नातकोत्तर तथा इससे उच्च स्तर के कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं;

*केवल एक महीने कार्य किया और इसलिए प्रतिशतता केवल जनवरी, 1974 मास की है।

@ केवल तीन महीने कार्य किया और इसलिए प्रतिशतता अप्रैल-जून, 1974 के महीनें के काम की है।

(ख) क्या बेरोजगार कृषि स्नातकों और स्नातकोत्तरों की संख्या गत तीन वर्षों से बढ़ती जा रही है और यह खतरनाक हद तक बढ़ गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में की गई व्यवस्था के अनुसार कृषि/ग्रामीण विकास योजना कार्यक्रम में इन व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) :(क) बेरोजगार कृषि स्नातकों/स्नातकोंत्तरों की ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है। परन्तु, 31 दिसम्बर, 1973 को देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों के रजिस्टर में 8913 कृषि- स्नातकों तथा 959 कृषि-स्नातकोंत्तरों के नाम दर्ज थे।

(ख) दिनांक 31-12-1971, 31-12-1972 तथा 31-12-1973 को रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में नाम दर्ज कराने वाले कृषि-स्नातकों तथा कृषि-स्नातकोत्तरों की स्थिति नीचे दी जा रही है:—

तिथि	कृषि स्नातक (संख्या)	कृषि स्नातकोत्तर (संख्या)	योग (संख्या)
31-12-1971 .	7,325	682	8,007
31-12-1972 . .	9,092	810	9,902
31-12-1973	8,913	959	9,872

(ग) तथा (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में रिक्त पड़े तकनीकी तथा वैज्ञानिक पद

2268. श्री धामनकर : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में अब भी बहुत से तकनीकी और वैज्ञानिक पद रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो सीनियर और ज्यूनियर वैज्ञानिकों के कितने रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता है; और

(ग) वैज्ञानिक/अनुसंधान कर्मचारियों की शीघ्र भर्ती के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (अनुसंधान संस्थानों सहित) में, मौजूदा समय में वैज्ञानिक और तकनीकी रिक्त पदों की निश्चित संख्या सम्बन्धी सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। फिर भी, पहले एकत्रित सूचना के अनुसार करीब 1200 पद रिक्त थे, जिनमें से 426 पद 700 से 1250 रुपये (संशोधन पूर्व) और इससे अधिक वेतनमान वाले थे और शेष पद 400 से 950 रुपये, 350 से 900 रुपये और 325 से 575 रुपये (सभी संशोधन पूर्व) वेतनमानों वाले थे। भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप वरिष्ठ वैज्ञानिक और तकनीकी पदों की भरती के लिए एक 'कृषि वैज्ञानिक भरती बोर्ड' की स्थापना की

गयी है और अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों को निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुरूप वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर नियुक्ति करने के अधिकार दे दिये गये हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 'कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड' और करीब-करीब सभी अनुसंधान संस्थानों ने उन सभी रिक्त पदों को पहले ही विज्ञापित कर दिया है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बहुत से पदों के लिए चयन भी कर लिया गया है। शेष रिक्त पदों के लिए चयन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।

सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन

2269. श्री शंकर देव : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सभी श्रेणियों के सरकारी आवासों की कुल कितनी संख्या है जिन्हें मंत्रियों, संसद-सदस्यों, सरकारी अधिकारियों तथा अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित रियायती किराये पर दिया जाता है;

(ख) ऐसे सरकारी क्वार्टरों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को आबंटित किया जाता है;

(ग) ऐसे प्रत्येक किस्म के आवास के क्या औसत मासिक किराया वसूल किया जाता है;

(घ) विभिन्न श्रेणी के ऐसे सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने सरकारी आवास के लिये प्रार्थना-पत्र दिये किन्तु उन्हें अभी तक आवास अलाट नहीं किये गये तथा उनके नाम कितने वर्षों से प्रतीक्षा सूची में चले आ रहे हैं; और

(ङ) उपर्यक्त भाग (घ) में उल्लिखित कर्मचारियों को सरकार का कब तक सरकारी आवास दे देने का विचार है अथवा आशा है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) विभिन्न विभागों को सौंपे गए एककों, संसद सदस्य पूल तथा सम्पदा निदेशालय के नियन्त्रणाधीन होस्टलों सहित सामान्य पूल में कुल 45,348 रिहायशी एकक हैं जो ऐसी श्रेणी के लोगों को अनुज्ञप्ति शुल्क वो सामान्य दर पर आबंटित किए गए हैं।

(ख) पात्र सरकारी कर्मचारियों को सामान्य पूल से वास का आबंटन कर्मचारियों द्वारा की जा रही परिलब्धियों तथा उनको अग्रता तारीखों के आधार पर किया जाता है। आबंटन मंत्रालय-वार नहीं किए जाते हैं अतः इस सम्बन्ध में आंकड़ों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) वास की प्रत्येक श्रेणी में, एक एकक के लिये लिया जा रहा औसतन मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क निम्नलिखित है :—

टाइप	औसतन मासिक अनुज्ञप्ति-शुल्क	दर
I . . .	17.15	मूल नियम 45-क के अनुसार
II	25.45	मूल नियम 45-क के अधीन पूलित मान अनुज्ञप्ति शुल्क
III	39.95	
IV	57.80	
V	102.40	
VI	135.00	
VII	221.00	
VIII	383.00	

टाइप	औसतन मासिक अनुज्ञप्ति-शुल्क	दर
संसद सदस्य पूल		
	80.35 (25 प्रतिशत की छूट के बिना)	1955 के मूल नियम 45क के अधीन पूलित किराया
होस्टल		
वास	97.70	तदर्थ दर

(घ) सामान्य पूल के वास के आबंटन हेतु आवेदन पत्र, वर्ष विशेष में उपलब्ध होने वाली सम्भावित रिक्तियों को ध्यान में रखकर विभिन्न टाइपों में सीमित आधार पर आमंत्रित किये जाते हैं। 1-9-72 से आरम्भ होने वाले आबंटन-वर्ष के लिए विभिन्न टाईपों के वास के आबंटन हेतु सीमित आधार पर प्राप्त आवेदन-पत्रों में से, विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या तथा वे अग्रता तारीखें जहां तक मकान दिए गए हैं, निम्न लिखित हैं :—

टाईप	विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या	6-8-1974 की स्थिति के अनुसार जिस अग्रता तारीख तक मकान दिए गए हैं ।
I	1,436	29-1-1957
II	9,614	19-2-1953
III	1,596	7-6-1948
IV	2,550	27-4-1943
V	443	21-5-1962
VI	139	17-8-1964
VII	339	17-11-1963
VIII	94	15-1-1972
होस्टल	1,051 इकहरे सूट	1952
	दोहरे सूट	1959

टाइप-IV तथा उसके नीचे के टाइप के पात्र अधिकारियों की अग्रता तारीख उस दिन से निर्धारित की जाती है जिस दिन से अधिकारी केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन निरन्तर नियुक्ति पर रहता है। टाईप V तथा उसके उपर की टाईप के पात्र अधिकारियों की अग्रता तारीख उस दिन से गिनी जाती है जिस दिन से आधिकारी केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर टाइप विशेष के लिये निरन्तर परिलब्धियां ले रहा हो। उनके मामले में उनकी कुल सेवा-अवधि को ध्यान में नहीं लिया जाता है।

(ङ) सरकार दिल्ली में 75% परितुष्टि प्राप्त करना चाहती है लेकिन आर्थिक कठिनाई के कारण इस समय यह नहीं कहा जा सकता है कि यह लक्ष्य कब प्राप्त किया जा सकेगा।

कनाट प्लेस, नई दिल्ली में कारें खड़ी करने के लिए नियत स्थानों की नीलामी

2270. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने कार खड़ी करने के लिये नियत स्थानों के लिये टेंडर आमंत्रित किये हैं अथवा उनको प्राइवेट ठेकेदारों को नीलाम करने जा रही है जिसके परिणामस्वरूप ए० ए० यू० आई० द्वारा नियुक्त सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जायेंगे जो गत 20 वर्षों से उनकी सेवा में हैं और महंगाई के इन दिनों में उनको अपने परिवारों सहित भूखों मरना पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने का सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार है जिनका रोजगार समाप्त हो जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने कारों को पार्क करने के लिये भूखण्ड किराये पर देने हेतु टेंडर आमंत्रित किये हैं। तथापि, सैकड़ों लोगों को नौकरी से हटाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि ए० ए० यू० आई०, दरों के अनुसार अपनी पेशकशें भेजने में स्वतन्त्र हैं और नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा उन पर विचार किया जाएगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संसद सदस्यों को भूखंडों का आबंटन

2271. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री दिल्ली/नई दिल्ली में रिहायशी भूखंडों के हकदार संसद सदस्यों के बारे में 23 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन संसद सदस्यों ने 1971 के मध्य में भुखण्डों के आबंटन के लिए आवेदन किया था, क्या उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो किन सदस्यों के आवेदन विचाराधीन हैं और प्रत्येक को अनुमानत: कब तक भूखण्ड आबंटित किये जायेंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

नई दिल्ली के वेल्फेयर एसोसिएशनों की नई दिल्ली नगरपालिका के अध्यक्ष के साथ बैठक

2272. श्री भगीरथ भंवर : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के अध्यक्ष ने अभी हाल में नई दिल्ली के विभिन्न वेल्फेअर एसोसियेशनों के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की थीं;

(ख) यदि हां, तो इन एसोसिएशनों की मुख्य शिकायतों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन शिकायतों के बारे में नई दिल्ली नगरपालिका ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या इस प्रकार की मिटींगें भविष्य में नियमित रूप से की जायेंगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) वैल्फेअर एसोसिएशनों की मुख्य शिकायतें, बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं देने, सड़कों पर बिजली लगाने, सामान्य सफाई, बच्चों के पार्कों के विकास, जल की कमी, सर्विस लेनों का अनुरक्षण न होने आदि के बारे में थी ।

(ग) जहाँ तक इन शिकायतों का सम्बन्ध नई दिल्ली नगरपालिका से है इनके कारण दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है ।

(घ) नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा की जा रही सेवाओं तथा आम जनता की प्रत्याशाओं के बीच सामंजस्य कायम करने की दृष्टि से नई दिल्ली की विभिन्न कलोनियों के निवासियों के साथ, जब कभी आवश्यक हो, बैठक बुलाने का प्रस्ताव है ।

जिला कालीहांडी उड़ीसा में धान और चावल की वसूली के लिए भारतीय खादय निगम द्वारा दी गई अग्रिम धनराशि

2273. श्री पी० के० देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने जिला कालाहांडी, उड़ीसा में धान और चावल की वसूली के लिये कितनी अग्रिम धनराशि दी है तथा कितनी धनराशि का अभी तक समायोजन नहीं हुआ ;

(ख) भारतीय खाद्य निगम को कितनी-कितनी धनराशि किन-किन पार्टियों की ओर बकाया है; और

(ग) बकाया धनराशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी०शिन्दे) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ईस्ट मोतिया बाग सराय रोहिल्ला, दिल्ली का विकास

2274. श्री अनादि चरण दास : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिल्ली में ईस्ट मोतिया बाग सराय रोहिल्ला जो एक गंदी बस्ती है, का विकास करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस बस्ती से मल निकासी सम्बन्धी कार्य बन्द कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) पूर्वी मोतिया बाग के नाम का क्षेत्र सराय रोहिल्ला पुनर्विकास योजना का एक भाग है । पूर्वी मोतिया बाग का क्षेत्रफल 11.97 एकड़ है तथा इस क्षेत्र में गन्दी बस्ती निवासियों के लिये लगभग 750 स्लम टेनमेन्ट्स बनाने का प्रस्ताव है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसा कोई कार्य शुरु नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ईस्ट मोतिया बाग, सराय रोहिल्ला, दिल्ली में सुविधाओं की व्यवस्था

2275. श्री अनादि चरण दास : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्ट मोतियां बाग सराय रोहिल्ला, दिल्ली गन्दी बस्ती में बने मकानों के मालिक गत 25 वर्षों से नगर निगम के करों का तथा अन्य करों का नियमित रूप से भुगतान कर रहे हैं और उन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण वहां के मकान मालिकों को उनसे कोई निश्चित शुल्क लेकर अपने मकानों को सुयोजित ढंग से पुन: बनाने की अनुमति देगा; और

(घ) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :(क) तथा (ख) इन क्षेत्रों से जल कर तथा सफाई कर वर्ष 1973-74 के दौरान वसूल किया गया था। 1974-75 के बिल भेजे जा रहे हैं। इससे पहले की अवधि के ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं। पानी की कुछेक मुख्य लाइने पानी के मुफ्त सार्वजनिक नलों तथा सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था की गई है।

(ग) तथा (घ) पूर्वी मोतिया बाग नामक क्षेत्र को सराय रोहिल्ला पुनर्विकास योजना के अन्तर्गत लाया गया है जो कि सक्षम प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित है। क्योंकि पुनर्विकास योजना के अन्तर्गत भूमि/मकानों का अर्जन करना अपेक्षित है, तथा गन्दी बस्ती निवासियों के लिये स्वयम् दिल्ली विकास प्राधिकरण को टेनमेंटों का निर्माण करना है अत: मकान मालिकों को अपने मकान पुन: बनाने की अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्यामलाल कालेज, दिल्ली के प्रबन्धकों द्वारा अध्यापकों को मुअत्तल किया जाना

2276. श्री विश्वनाथ जुंझुनवाला : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्यामलाल कालेज के अधिकारियों ने विश्वविद्यालय के उन अध्यादेशों का उल्लंघन करके जिनके अनुसार उप-कुलपति का पूर्वानुमोदन अनिवार्यत: अपेक्षित है, तीन अध्यापकों को मुअत्तल कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों का ठीक से पालन करें ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) श्यामलाल कालेज शहादरा के शासी निकाय ने तीन अध्यापकों को, कुलपति की पूर्व अनुमति के बिना, जो कि विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अन्तर्गत अपेक्षित है, मुअत्तल कर दिया है।

(ख) और (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्य परिषद को इस मामले की जानकारी है और इसने पहले ही ध्यानपूर्वक जांच तथा विचार करने के बाद, शासी निकाय में 10 और अधिक प्रतिनिधियों को नामजद करके कालेज के शासी निकाय का विस्तार कर दिया है।

सेन्ट्रल रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन यूनिट का बन्द किया जाना

2277. श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० आर० टी० सी० यूनिट को बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सी० आर० टी० सी० के कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये हैं ?

नौ वहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

संथाली भाषा की लिपि

2278. **श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बड़ी संख्या में आदिवासी लोग 'संथाली' को अपनी भाषा के रूप में बोलते हैं; और

(ख) आदिवासियों में संथाली भाषा की लिपि को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) भारत में सन्थाली भाषी लोगों की संख्या अनुमानत: 30 लाख से ऊपर है, जो मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के राज्यों में बिखरे हुए हैं । इस भाषा को लिखने के लिये विभिन्न लिपियों का प्रयोग किया जाता है । भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों के किसी भी ऐसे वर्ग को जिसकी अपनी अलग से लिपि है उसके परिरक्षण का अधिकार देता है । अत: सन्थाली लिखने के लिये किसी विशेष लिपि को लोक प्रिय बनाने की जिम्मेदारी मूल रूप से उस भाषा के बोलने वालों की है । अन्य भाषाओं की तरह ही धन उपलब्ध होने पर संथाली के लिये भी ऐसे प्रयास करने हेतु सरकारी वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाती है ।

चावल उत्पादन के लिए कीटाणुओं पर नियंत्रण

2279. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वैज्ञानिकों का दल इस परिणाम पर पहुंचा है कि तब तक चावल के लिय हरित क्रान्ति सम्भव नहीं है, जब तक कीटाणुओं पर नियंत्रण के लिये विशेष अनुसंधान सम्बन्धी प्रयास नहीं किये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कीटाणुओं के कारण चावल के उत्पादन में कितने मूल्य की हानि होती है ;

(ग) कीटाणुओं पर प्रभावी रूप से नियंत्रण के विशेषकर चावल की फसलों के सम्बन्ध में उपाय ढूंढने के लिये कितनी अनुसंधान परियोजनाओं को स्थापित किया गया है ; और

(घ) पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक चावल के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार को उन कृषि वैज्ञानिकों के दल की जानकारी नहीं है, जिनके निष्कर्षों पर यह प्रश्न आधारित है । लेकिन अनेक क्षेत्रों में धान की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए कीटों का नियन्त्रण अत्यावश्यक है । अनुमान है कि कीट-व्याधियों से प्रतिवर्ष करीब 10-15 प्रतिशत पैदावार नष्ट हो जाती है ।

(ग) केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान, कटक में अनुसंधान कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा संघटक है, जो धान सुधार के सभी क्षेत्रों में, जिसमें पौध संरक्षण भी शामिल हैं, काम करता है ।

अखिल भारतीय समन्वित धान सुधार प्रायोजना का मुख्यालय हैदराबाद में है। इसके अन्तर्गत धान उगाने वाले बड़े क्षेत्रों में 24 अनुसंधान केन्द्र चल रहें है। इन केन्द्रों में कीट-व्याधियों के नियंत्रण के क्षेत्र में काम करने के लिए पर्याप्त अनुसंधान कर्मचारी हैं। इसके आगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने चार केन्द्रों--कटक (उड़ीसा), वारंगल (आंध्रप्रदेश), कुट्टानाड (केरल), और बर्दवान (पश्चिमी बंगाल) में धान की कीट-व्याधियों के पूर्ण नियंत्रण के लिए क्रियात्मक अनुसंधान प्रायोजना भी तैयार की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने धान के झुलसा रोग के संबंध में भविष्यवाणी करने, धान के जीवाणिक झुलसा रोग के रोगजनकों पर जीव-रासायनिक अध्ययन और धान के कंडवा रोग पर अध्ययन के लिए भी अनुसंधान परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी है।

इन प्रायोजनाओं के अलावा, पी० एल० 480 निधि की मदद से चार परियोजनाएं निम्नलिखित केन्द्रों पर कार्यान्वित की जा रही है :--

(1) धान के विषाणु रोगों पर अध्ययन करना, विशेषरूप से प्रतिरोधी किस्मों के प्रजनन कार्य पर अधिक बल देना--अखिल भारतीय समन्वित धान सुधार प्रायोजना, हैदराबाद।

(2) धान के तना छेदक कीड़े की जीव वैज्ञानिक रोकथाम--केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान, कटक।

(3) धान के परजीवी सूत्रकृमियों पर अनुसंधान और उनकी रोकथाम--केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान, कटक।

(4) भारत में धान की खेती वाले एक भाग में, धान की रजत कोंपल गाल मक्खी (सिलवर शूट गाल फ्लाई) की जीव-परिस्थिति की पर अनुसंधान--इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उपरोक्त प्रायोजनाओं के अलावा, धान उगाने वाले प्रमुख राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तरप्रदेश में से प्रत्येक राज्य में उनके अपने धान अनुसंधान केन्द्र हैं। ये केन्द्र या तो कृषि विश्वविद्यालयों या राज्य के कृषि विभागों के अन्तर्गत कार्य करते हैं, जिनके अन्तर्गत धान के कीटों की रोकथाम सम्बन्धी अनुसंधान की भी व्यवस्था है।

(घ) सन् 1978-79 में, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है, 5 करोड़ 40 लाख टन धान उगाने का लक्ष्य रखा गया है।

Institutions Awarding Degree of Shastri

2280. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the names of the educational institutions which award the degree of 'Shastri'?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : Information is being collected and will be laid on the table of the House.

वनस्पति घी बनाने के लिए फर्मों को सप्लाई की गई कच्चे माल की मात्रा

2281. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान वनस्पति के बनाने के लिये हिन्दुस्तान लिवर्स दिल्ली क्लाथ मिल्स तथा अन्य फर्मों को कितना कच्चा माल सप्लाई किया गया ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन कम्पनियों के द्वारा कितना घी बनाया गया तथा कितना घी बिक्री के लिये जारी किया गया ;

(ग) क्या फर्मों द्वारा इस सामग्री का पूरा उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं तथा इन फर्मों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) मै० डी० सी० एम० कैमिकल वर्क्स दिल्ली और मै० हिन्दुस्तान लिवरज लि० तथा अन्य फर्मों को 1972-73 और 1973-74 के दौरान आयातित तेलों को आबंटित की गई कुल मात्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(आंकड़े मीटरी टन में)

वर्ष	डी० सी० एम० कैमिकल वर्क्स, दिल्ली	हिन्दुस्तान लीवरज लि०	अन्य फर्में
1972-73	7,973.9	7,506.3	60,563.2
1973-74 . . .	9,348.2	11,755.9	126,185.9

(ख) 1972-73 और 1973-74 के दौरान इन कम्पनियों द्वारा वनस्पति के किए उत्पादन और प्रेषणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	उत्पादन प्रेषण मी० टन	प्रेषण मी० टन
1972–73		
डी० सी० एम० . .	62,864	63,013
हिन्दुस्तान लीवर . .	62,738	63,536
अन्य फर्में .	4,54,933	4,54,040
1973-74		
डी० सी० एम०	31,859	32,445
हिन्दुस्तान लीवर . . .	30,526	30,187
अन्य फर्में	3,87,034	3,85,815

(ग) क्योंकि खाने के आयातित तेल खाने के देशी तेलों की तुलना में सस्ते होते हैं और वनस्पति यूनिटों की तेल सम्बन्धी कुल आवश्यकताओं का केवल थोड़ा प्रतिशत ही होते हैं, आबंटित मात्रा को पूर्णतया न इस्तेमाल करने का सामान्यतया कोई प्रलोभन नहीं होगा, विशेषतया उस समय जबकि देशी तेल इतने महंगे हैं जिससे उद्योग को यह महसूस कराया जाता है कि उनके लिए उनको खरीदना और उनसे अनुकुलतम क्षमता तक वनस्पति तैयार करना अलाभकारी है। फिर भी, वनस्पति के गत उत्पादन की केवल एक प्रतिशतता के रूप में ही आयातित तेलों के आबंटन किए जाते हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई सिटी में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार करने के लिए कार्यवाही

2282. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बम्बई सिटी में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के रहन-सहन में सुधार करने के लिये, 2 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था की थी ;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में और किस प्रकार यह धन राशि खर्च की गई ;

(ग) क्या इस राशि में से 32 लाख रुपये धाड़वी नामक गन्दी बस्ती के लिये खर्च किये जाने थे ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में अब तक कोई भी धनराशि खर्च नहीं की गई है ; और

(ङ) धाड़वी गन्दी बस्ती में डब्ल्यू० सी० और जल सम्भरण व्यवस्था में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ङ) 1972-73 तथा 1973-74 के वर्षों के दौरान, गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत बम्बई में 4,06,18,530 रुपये की लागत की 191 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था जैसा कि संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—8172/74]** महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई पिछली प्रगति रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने 2,30,91,407 रुपये खर्च किये हैं। धाढ़वी कल्याणवाड़ी तथा धाढ़वी कोलीवाड़ा पिछले बंगलो सम्बन्धी पिछली प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2,56,047 रुपये खर्च किये गये हैं।

Memorandum from Gram Sudhar Samiti, Garakpur, Mochi Bagh, New Delhi

2283. **Shri Hiralal Doda** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether a Memorandum has been received by Government from Gram Sudhar Samiti, Garakpur, Mochi Bagh, Ring Road, New Delhi;

(b) if so, the action taken thereon so far;

(c) whether Delhi Development Authority wants to demolish also some of the houses on the pretext of Lal dora whereas the owners of these houses pay chulha tax; and

(d) whether Government propose to do justice with the villagers by giving them relief including the condonation of damages by D. D. A.?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) A memorandum dated the 18th April, 1974 has been received by the Delhi Development Authority from the Gram Sudhar Samiti, Arakpur Bagh Mochi.

(b) A reply has since been sent to the Samiti by the Delhi Development Authority.

(c) The D. D. A. has no proposal to demolish any house on the pretext on Lal Dora. However, if the occupation of any individual chulha tax payer interferes with the village redevelopment plan, he will be removed under due process of law and provided with alternative accommodation according to his eligibility.

(d) Damages will not be charged from the chulah-tax payers or their direct descendants.

टाइप I क्वार्टर को बिना पारी के आबंटन के लिए आवेदन पत्र

2284. श्री आर० बी० बड़े : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में संसद सदस्यों द्वारा टाइप I क्वार्टरों को बिना पारी के आबंटन के लिये दिल्ली/नई दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा 1 जुलाई, 1974 को ऐसे कितने आवेदन पत्र विचाराधीन थे ;

(ख) बिना पारी के आधार पर कितने कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन किया गया है और अन्य आवेदनपत्रों को नामंजूर करने के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि बिना पारी के आबंटन के लिये क्षय रोगियों के बहुत से आवेदनपत्रों को नामंजूर कर दिया गया है, और यदि हां, तो कितने आवेदनपत्रों को नामंजूर किया गया है और ऐसा करने के कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 1973-74 के दौरान, संसद सदस्यों ने टाइप I में तदर्थ आबंटन के लिये 18 मामलों की सिफारिश की थी । उन में से 1-7-1974 को 6 मामले विचाराधीन थे ।

(ख) 6 कर्मचारियों को तदर्थ आबंटन किया गया है । वे अनुरोध अस्वीकार कर दिये जाते हैं जहां चिकित्सा तथा अन्य, कारण इतने प्रबल नहीं होते कि उनसे तदर्थ आबंटन का औचित्य सिद्ध हो ।

(ग) क्षय रोग के चार मामलों में, तदर्थ आबंटन के अनुरोधों को निम्नलिखित कारणों से अस्वीकार कर दिया गया है :—

(i) एक मामले में संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा बीमारी को अल्प तथा गैर-संक्रामक कहा गया था ।

(ii) दो मामलों में बीमारी को असक्रिय तथा गैर-संक्रामक प्रमाणित किया गया था ।

(iii) चौथे मामले में, बीमारी सक्रिय अवस्था में थी, लेकिन संबंधी रोगी आवेदक के परिवार का सदस्य नहीं था ।

केरल के अलराम फार्म सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन

2285. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अलराम फार्म सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार कुछ उपायों को क्रियान्वित किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ङ) अलराम फार्म के कार्य की जांच करने के लिये स्थापित की गई समिति ने सरकार को अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसकी सिफारिशों की जांच की जाएगी और इस पर आवश्यकतानसार कार्यवाही की जाएगी ।

लोधी कालोनी, नई दिल्ली की चमरियों में बिजली की व्यवस्था

2286. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० ब्लाक, लोधी कालोनी, नई दिल्ली में चमरियों से सम्बद्ध सर्वेंट क्वार्टरों में बिजली नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार अब उनमें बिजली लगाये जाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) सरकार ने सिद्धान्तरूप से यह निर्णय कर लिया है कि परिवर्तित चमरियों से सम्बद्ध नौकर-घरों में बिजली लगाई जाये ; तथा यह कार्य विभिन्न चरणों में किया जा रहा है । इसी दौरान डी०-I ब्लाक से सम्बद्ध नौकर-घरों में भी बिजली लगाई जायेगी ।

Programmes undertaken under UNICEF

2287. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the programmes undertaken in the country under UNICEF and the amount of expenditure incurred on such programmes state-wise, during 1972, 1973 and 1974 respectively; and

(b) whether the Central Social Welfare Department looks after the schemes undertaken under the UNICEF and whether they have achieved their objects as per their estimate?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) :(a) and (b) Necessary information is being collected from the concerned quarters and will be laid on the Table of the Sabha.

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा 'आप रेशन फ्लड' योजना की क्रियान्विति

2288. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का विचार 'आपरेशन फ्लड' नामक उस 100 करोड़ रुपये की लागत वाली योजना को जून, 1977 तक क्रियान्वित करने का है कि जिससे कि देश में 'श्वेत क्रान्ति' आ जाने की आशा है ;

(ख) इस दिशा में अब तक क्या प्रगती हुई है तथा इस समय देश में प्रति व्यक्ति कितना दूध उपलब्ध है और जून, 1977 तक यह मात्रा कितनी हो जायगी; और

(ग) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने यह 'आपरेशन फ्लड' योजना किस तारिख से आरम्भ की थी?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रहीं है, प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कांडला पत्तन पर वनस्पति निर्माताओं के लिए आयातित तोरिया के तेल का पड़ा रहना

2289. श्री पी० गंगादेव :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पत्तन पर वनस्पति निर्माताओं के लिये आयातित 6,000 टन तोरिया का तेल गत दो मासों से पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसे वहां से न हटाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे वहां से हटाने के लिये कौन-कौन सी कार्यवाही किये जाने का विचोर है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) एक जहाज़ [जिसमें 5,910 मी० टन आयातित तोरिया का तेल था, कांडला बन्दरगाह पर 6-6-74 को पहुंचा था । महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा द्वारा उसके देश के अन्दर संचलन के लिए निकासी देने तक कांडला में इस तेल को उतारा गया तथा उसका भण्डारण किया गया । राज्य व्यापार निगम द्वारा तेल के लिए गए नमूनों के विश्लेषण और उन्हें भेजने का कार्य पूरा हो गया था और कांडला बन्दरगाह स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने 23-7-74 को महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा की स्वीकृति से उनकी निकासी कर दी थी । इसके बाद तोरिया के तेल का संचलन शुरु हो गया और राज्य व्यापार निगम को इसका संचलन शीघ्र पूरा करने की आशा है ।

खाद्यान्नों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में पुनर्विचार

2290. श्री पी० गंगादेव :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में पुन: विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार को भरोसा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में दिये गये अपने वचनों पर वह दृढ़ रहेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सरकारी वितरण प्रणाली के बारे में कोई पुन: विचार नहीं हो रहा है । तथापि, इस प्रणाली के अन्तर्गत जनसंख्या के दायरे तथा परिमाण की समय-समय पर सरकार द्वारा समीक्षा की जानी होती है । खुले बाजार में विशेषतया कमी वाले राज्यों में गेहूं और मोटे अनाजों की उपलब्धता में सुधार होने से यह आशा की जाती है कि केन्द्रीय स्टाक से खाद्यान्नों की निकासी कम मात्रा में होने की सम्भावना है । सरकारी वितरण प्रणाली से सप्लाई बनाए रखने के लिए खाद्यान्नों की आन्तरिक अधिप्राप्ति तेज करने और यथावश्यक विदेशों से आयात की व्यवस्था करने के लिए सतत प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

Intensive Cotton Programme in Khandwa, M. P.

2291. Dr. Laxminarayan Pandeya :

Shri N. K. P. Salve :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh has sent a praposal to the Government of India for undertaking an intensive cotton programme in Khandwa and Mandsaur Districts; and

(b) if so, the reaction of the Government of India thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Yes, a proposal for undertaking an Intensive Cotton District Programme in Khandawa district has been received. No such proposal has been received in respect of Mandsaur.

(b) The Centrally Sponsored Scheme drawn up by the Government of India entitled Intensive Cotton District Programme which has been included in the Fifth Five Year Plan does not cover Khandawa District. The Cotton Development Programme in this District is expected to be taken up by the State Government on their own.

Rs. 1 Crore Agricultural Research Implementation Project at Indore

2292. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Rs. 1 crore Agricultural Research Implementation Project is going to be started soon in Indore (M.P.) in collaboration with Britain; and

(b) if so, the facts in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b) An Indo-British Operational Research Project on Dryland Agriculture in Black soils at Indore, has been taken up. The 5th Plan outlay for the project is Rs. 43·64 *lakhs* from the Indian side. The content and value of British assistance are still under negotiation. Pending the final approval of the 5th paln proposals, the Indian Council of Agricultural Research sanctioned Rs. 2·42 *lakhs* for implementing the scheme for 6 months in 1973-74 which continues on existing basis in the first half of 1974-75.

An area of about 2,000 hectares, spread over 2-3 villages, as a complete water shed is to be chosen. After detailed survey and planning, a package of practices will be introduced for increasing the overall land productivity in heavy black soils. The package will include appropriate practices in soil and water conservation, crop husbandry and mixed farming. The environmental changes in the project area, due to the adoption of new technology will be monitored and an economic evaluation of the practices made, so as to assess their transferrability to other areas. The executing agency is the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur, and the programme is being implemented under the technical supervision of the Project Director, All-India Coordinated Research Project, Dryland Agriculture.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के लिये निदेशक का चयन

2293. श्री समर गुह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकि संस्थान, खड़गपुर के लिये नये निदेशक का चयन अन्तिम रूप से कर लिया गया है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये एक चयन समिति बनाई गई थी और यदि हां, तो इस चयन समिति के सदस्यों के नाम क्या थे ;

(ग) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद ने नये निदेशक के नाम को अन्तिम स्वीकृति दे दी है और 'विजीटर' की स्वीकृति प्राप्त हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. प्रो० एस० नुरुल हसन, (अध्यक्ष, भा० प्रौ० सं०, परिषद)	अध्यक्ष
2. श्री ए० एन० हकसर (अध्यक्ष, संबंधित भा० प्रौ० सं० का शासी मंडल)	सदस्य
3. डा० जार्ज जैकब (अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)	सदस्य
4. श्री एम० एस० पाठक (भा० प्रौ० सं० परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामजद एक विशेषज्ञ सदस्य)	सदस्य
प्रो० एम० जी० के० मेनन श्री एन० सी० शर्मा श्री कृष्णामूर्ति	ये विशेष आमंत्रण पर उपस्थित थे

(ग) और (घ) भा० प्रौ० सं० परिषद् के अध्यक्ष ने विजीटर की पूर्व अनुमति से और परिषद की ओर से भा० प्रौ० सं०, खड़गपुर के निदेशक के रूप में पांच वर्षो की अवधि के लिये ठेके के आधार पर चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से चुने गये एक व्यक्ति को नियुक्त करने की मंजूरी दी थी ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

गन्दी बस्तियां (सुधार और सफाई), संशोधन नियम, 1974

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : मैं गन्दी बस्ती (सुधार और सफाई अधिनियम, 1956 की धारा 40 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गन्दी-बस्ती (सुधार और सफाई) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1863 में प्रकाशित हुए थे । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8159/74**]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 817 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 अगस्त, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8160/74**]

राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राजकीय फार्म निगम के 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा उनकी समीक्षा और उर्वरक (नियन्त्रण) (2 रा संशोधन) आदेश, 1974

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं, श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) **राष्ट्रीय बीज निगम** लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) **राष्ट्रीय बीज निगम** लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) (क) भारतीय राजकीय फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) भारतीय राजकीय फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 8161/74]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 जुलाई, 1974 में अधिसूचना सख्या सा० सां० नि० 327(ङ) में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8162/74]**

वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविक कल्याण शुल्क आरोपण) (नियम 1974, कलकत्ता पत्तन के आयुक्तों के वर्ष 1972-73 के वार्षिक लेखे और मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के अधीन गुजरात अधिसूचनाएं

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविक कल्याण शुल्क आरोपण (नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 807 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 8163/74]**

(2) कलकत्ता पत्तन के आयुक्तों के वर्ष 1972-73 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8164/74]**

(3) (एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 9 फरवरी, 1974 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) बम्बई मोटर गाड़ी (गुजरात तीसरा संशोधन) नियम, 1973 जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 19 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या जी/जी/73/189/एम टी ए-7568-144-ई में प्रकाशित हुए।

(ख) बम्बई मोटर गाड़ी (गुजरात दूसरा संशोधन) नियम, 1974, जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 18 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या जी/जी/74/77/एम टीए-1174-689-ई में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8165/74]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, दिल्ली और तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिमी क्षेत्र) भोपाल के वर्ष 1972-73 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8166/74]**

(2) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिमी क्षेत्र), भोपाल के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8167/74]**

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य-सभा के महासचिव से प्राप्त संदेश की सूचना देनी है कि राज्य सभा ने 7 अगस्त 1974 की अपनी बैठक में प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक, 1974 पास कर दिया है।

प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक
PRESS COUNCIL (AMENDMENT) BILL

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल रखा गया

महा सचिव : मैं प्रैस परिषद (संशोधन) विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रुप में, सभापटल पर रखता हूं।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

13 वां प्रतिवेदन

डा० कैलाश (बम्बई-दक्षिण) : मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 13 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

रेल मंत्री द्वारा दी गई कतिपय जानकारी में कथित त्रुटि के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य
STATEMENT BY MEMBER RE. ALLEGED INACCURACY IN CERTAIN INFORMATION GIVEN BY THE MINISTER OF RAILWAYS

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : 24 जुलाई, 1974 को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए रेल मंत्री, श्री एल० एन० मिश्र ने कहा था कि ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनकी सेवा में व्यवधान आ जायेगा, 2.5 लाख होगी। उसके कुछ देर बाद उन्होंने फिर कहा कि "मैंने पहिले ही बताया है कि इनकी संख्या 2.5 लाख है"।

उससे पहले दिन अर्थात 23 जुलाई, 1974 को रेल मंत्री ने तारांकित प्रश्न संख्या 38 का उत्तर देते हुए जोनकार आंकड़ों के विवरण में बताया था कि मई 1974 में रेल हड़ताल के परिणाम स्वरुप जिन कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान हुआ उनकी संख्या "5, 91, 159" है।

[श्री ज्योतिमय बसु]

इससे देखा जा सकता है कि माननीय मंत्री ने 24 जुलाई 1974 को पहले दिन बताए गए आंकड़ों से आधे आंकड़े बता कर सदन को गुमराह किया है।

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : 23-7-1974 को संसद का प्रश्न सं० 38 उन रेल कर्मचारियों की संख्या के बारे में था जिनकी मई, 1974 की रेल हड़ताल के फल स्वरुप सेवा-भंग हुई थी। मई की हड़ताल में शुरू में 5.91 लाख रेल कर्मचारियों ने भाग लिया था लेकिन हड़ताल चलते रहने पर भी लगभग 3.5 लाख कर्मचारी काम पर वापस आ गये थे। इसलिए, अंत तक हड़ताल पर जितने कर्मचारी रह गये उनकी संख्या लगभग 2.5 लाख थी।

स्थापना संहिता के अनुसार गैर-कानूनी रेल हड़ताल में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों की सेवा भंग हो जाती है। सेवा भंग का अर्थ वेतन में कटौती या वरिष्ठता में हानि नहीं होता। उन्हें कुशल, अच्छी और निष्ठावान सेवा के लिए मिलने वाली कुछ यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं, अर्जित छुट्टी और उपदान के सम्बन्ध में हानि उठानी पड़ती है। उनकी वेतन वृद्धि भी उतनी अवधि के लिए मुल्तवी की जायेगी जितने समय तक वे हड़ताल पर रहे।

तारांकित प्रश्न सं० 38 के उत्तर में मैंने उन कर्मचारियों के आंकड़े दिया था जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था और जिसके फल स्वरुप उनकी सेवा भंग हुई थी। मैंने अपने उत्तर में यह भी स्पष्ट कर दिया था कि प्रत्येक मामले की छान बीन किये जाने के आधार पर 23-7-1974 तक सेवा-भंग के 60,000 मामले माफ कर दिये गये थे। यह एक सतत प्रक्रिया है।

24 जुलाई, 1974 को लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हस्तक्षेप करते समय मैंने पुनः कहा था (कार्यवाही का पृष्ठ 1401 देखें) कि जिन लोगों ने हड़ताल में भाग लिया है वे वेतन नहीं पायेंगे और उनकी सेवा भंग होगी। लेकिन, जो बात मैंने बाद में की वह यह है कि हड़ताल में भाग लेने वालों के मामलों की समीक्षा रेल प्रशासन प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर करेगा। यह मेरे उस उत्तर के अनुरुप है जिसे मैंने तारांकित प्रश्न सं० 38 के उत्तर में सदन को दिया था। अविश्वास प्रस्ताव पर हस्तक्षेप करते समय सदन को जो मैंने बताया था वह यह था कि जिन कर्मचारियों की सेवा भंग होगी उनकी संख्या लगभग 2.5 लाख होगी। मैंने "होगी" शब्द स्पष्ट रुप से प्रयोग किया था जिसका अभिप्राय कर्मचारियों की उस संख्या से था जिनकी सेवा भंग माफी की प्रक्रिया पूरी हो जाने के परिणाम स्वरुप होगी। यह एक सतत प्रक्रिया है और जब कि 23-7-1974 तक सेवा-भंग माफ किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या 60,000 थी वह अब बढ़कर 1,40,000 हो गयी है।

इसलिये आंकड़ों में कोई अशुद्धि नहीं है तथा 24 जुलाई, 1974 के अपने भाषण में मैंने जो कहा था वह लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं० 38 के उत्तर के अनुरुप है।

नियम 377 के अधीन मामला
MATTER UNDER RULE 377

अहमदाबाद टेलीफोन एक्सचेंज में महिला टेलीफोन आपरेटरों के साथ पुरुष मॉनीटरों द्वारा कथित दुर्व्यवहार

Kumari Manibehan Patel (Sabarkantha:) : I want to draw the attention of Government towards a news-item published in a Gujarati daily "Vartman" in its 9th August issue. It is alleged therein that a male Monitor has been misbehaving with female Telephone operators. He has been misusing his position and harassing female operators. This matter should be enquired into and the house informed of the results.

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन): ओणम पर्व आने वाला है परंतु केरल में चावल उपलब्ध नहीं है। रेलवे विभाग ने चावलों के परिवहन के लिए पर्याप्त वैगनों का आवंटन नहीं किया है . . .

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय): मैंने समान नम्बरों वाले करैंसी नोटों के मामले में आप से अनुरोध किया है। उसे कल के लिए स्वीकार किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): मैंने समान नम्बरों वाले 5 रु० के 20 करैंसी नोटों के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा नियम 377 के अधीन सूचना दी है . . .

वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1974
FINANCE (NO. 2) BILL, 1974

Shri Madhu Limaye (Banka) : I have a New Point of order.

Mr. Speaker :— You should have raised it when you were given an opportunity.

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : वित्त मंत्री द्वारा 232 करोड़ के अतिरिक्त कर लगाए गए हैं। यह कर-राशि सामान्य बजट में लगाए गए करों से भी अधिक है। इसे संवैधानिक दृष्टि से सहन नहीं किया जा सकता। सरकार ने वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने और पास करने का गलत ढंग अपनाया है। अब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था।

लोगों पर यह कह कर वित्तीय भार डाला जा रहा है कि सरकार को व्यय करना पड़ रहा है परंतु इस व्यय का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसका कोई अनुमान भी नहीं लगाया गया इसी प्रकार प्राप्तियों के संबंध में भी कोई अनुमान तैयार नहीं किया गया। सरकार द्वारा वित्तीय विधेयकों को इस प्रकार संवैधानिक उपबन्धों की उपेक्षा करके प्रस्तुत करना संसदीय प्रणाली को चुनौती है। हम उन उपबन्धों को न चाहते हों परंतु फिर भी जब तक यह बने हुए हैं तब तक हमें उन्हें मानना होगा।

वित्त संबंधी मामलों में संसद् की सर्वोच्चता का एक सिद्धांत यह है कि विशिष्ट परिव्यय के अतिरिक्त शेष सब परिव्यय वार्षिक आधार पर मंजूर किए जाते हैं। इसमें "वार्षिक" बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड में इस सिद्धान्त को 1689 से माना जा रहा है। हमने ब्रिटिश ससंदीय प्रणाली अपनाई है। अतः इस स्थिति को सहन नहीं कर सकते।

विचाराधीन वित्त विधेयक के खण्ड 2 में उपबन्ध है कि आयकर अधिनियम कुछ मामलों में अप्रैल 1975 से लागू होगा। इस प्रकार का उपबन्ध पहले किया जाना चाहिये था। सिद्धांत रूप से वित्त विधयक के उपबंध विचाराधीन वर्ष से आगे नहीं लागू होने चाहिये। इस संबंध में हमें कानूनी उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करना चाहिये। सरकार को इस प्रकार के प्रत्याशित वित्तीय विधान की व्यवस्था करते समय अत्यन्त सावधानी बरतनी चाहिये। सरकार को संसद को यह स्पष्ट बताना चाहिये कि ऐसी व्यवस्था किन्हीं कारणों से आवश्यक थी।

संविधान में वित्तीय कार्य के संबंध में अनुच्छेद 112 और 115 है। अनुच्छेद 113(2) में लोक सभा में अनुदानों की मांगे प्रस्तुत करने का ढंग उल्लिखित है। अनुच्छेद 115(क) और (ख) के अनुसार सरकार का यह कर्तव्य है कि पूरक अथवा अतिरिक्त व्यय की मंजूरी से पूर्व उस वर्ष के वित्तीय विवरण में सम्मिलित न की गई नई सेवाओं के संबंध में लोक सभा को सूचना दी जाये। अतः परिव्यय की पूर्ति के लिए अतिरिक्त कराधान से पूर्व सरकार को नई सेवाओं की सूचना देनी होगी।

10—26 LSS(ND) 74

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

यह भी तर्क नहीं दिया जा सकता कि एक बजट पेश किया जा चुका है। दूसरा बजट पेश नहीं हो सकता। इस तर्क के आधार पर वित्तीय प्रक्रियाओं अथवा लोक सभा प्रक्रिया नियमों के नियम 204 और 205 के अधीन निर्धारित ससंदीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। रेलवे बजट भी तो दूसरा बजट ही है। नियम 213 के अनुसार बजट को मांगो में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रत्येक भाग को बजट ही माना जायेगा।

हमें इस बात की सन्तुष्टि होनी चाहिये कि सरकार को कितने धन की आवश्यकता है। नए कराधान से सरकार को कितना धन प्राप्त होने की संभावना है। जब तक लोक सभा को यह सूचना न हो तब तक राज्य सभा को बताने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री के० नारायणराव (बोबिली) : मेरे माननीय मित्रों ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसमें अधिक सार नहीं है।

भारत में संविधान के अनुच्छेद 265 में रखी गयी सीमाओं के अन्तर्गत ही कर लगाये जा सकते हैं। बिना कानून के कोई कर न लगाया जा सकता है और न वसूल किया जा सकता है। कानून बनाने के लिये अधिकार पाने हेतु ही यह विधेयक लाया गया है।

वित्त विधेयक की प्रक्रिया के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 117 में दो खण्ड दिये गये हैं। एक में बताया गया है कि संसद में कोई भी वित्त विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। दूसरे खण्ड में बताया गया है कि वित्त विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। यह विधेयक उक्त दोनों शर्तों को पूरा करता है।

जहां तक हमारे नियम और प्रक्रियाओं का सम्बन्ध है, नियम 219 का संदर्भ दिया गया है, नियम 219 में यह कहीं नहीं बताया गया है कि कोई भी वित्त विधेयक सभा द्वारा अनुदानों की मांगों पर मतदान किये जाने से पूर्व पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। अतः यह वित्त विधेयक हमारे नियम और प्रक्रियाओं का उल्लंघन नहीं करता है।

क्या संविधान में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें बताया गया हो कि अनुदानों की मांगें या तत्सम्बन्धी व्यय केवल कराधान से पूरा किया जाये। इन मांगों को अनुच्छेद 112 में बतायीं गयीं प्राप्तियों के स्त्रोंतों से भी पूरा किया जा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि भारत को संचित निधि से धन निकालने के लिये सभा के समक्ष सदैव अनुदानों की मांगें पेश कर दी जायें।

अतः कराधान विधि को पारित करने से पूर्व एक स्पष्ट मांग करनी पड़ेगी। कराधान एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस सम्बन्ध में कोई पूर्व शर्त नहीं हो सकती, बशर्ते कि संविधान एवं नियमों में इसका स्पष्ट उल्लेख हो। क्योंकि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने या इस पर विचार करने से रोकने के लिये संविधान में कोई उपबन्ध नहीं है, अतः उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न का कोई महत्व नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, there is a news published in the 'Hindi' and the 'Indian Express' both of Madras edition.....(*interruption*). It is not the comment of press. It is a report from the spokesman of the Ministry. How can they answer the criticism of Parliament in the press before so doing in the House? They are trying to influence your ruling in a constitutional matter thereby.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : एक बार पहले भी जब इस तरह की बातें उठायीं गयीं थीं तब मैंने कहा था कि "बजट" शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है । फिर भी बजट शब्द का अर्थ एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जोकि आगामी वर्ष के लिये आय और व्यय का एक अनुमान होता है ।

यदि आज कुछ धन व्यय करना है और उसमें यह नहीं बताया गया है कि यह धन किस विशेष ढंग से व्यय करना है तो विधि के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से कोई धन व्यय नहीं किया जा सकता और यदि कुछ व्यय करना है तो समय आने पर वित्त मंत्री आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के लिये सभा के समक्ष आयेंगे ।

तत्पश्चात् परम्परा तथा प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है । मैंने पूर्वोदाहरणों पर अपनी योजना के अनुसार सतर्कता से विचार किया है । चुनाओं के वर्षों के सिवाय, जबकि स्पष्ट कारणों से स्थिति भिन्न रही हो अथवा वार्षिक वित्तीय विवरण के सिवाय ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहीं है जहां कराधान के साथ-साथ व्यय का अनुमान सभा पटल पर प्रस्तुत करना पड़ा हो । 1956 तथा 1965 के पूर्वोदाहरण मिलते हैं जबकि नये कराधान प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये परन्तु व्यय का विवरण सभा पटल पर नहीं रखा गया । वित्त मंत्री महोदय ने जो कुछ किया है वह पूर्वोदाहरणों से मिलता है ।

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : मेरे साथी विधि मंत्री जी ने प्रक्रियात्मक तथा कानूनी पहलू स्पष्ट कर दिया है ।

मैंने अपने विवरण में कराधान प्रस्तावों के आर्थिक उद्देश्यों का स्पष्टीकरण कर दिया है । यह वित्त विधेयक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष वित्तीय संसाधन जुटाने के लिये लाया गया है । जहां तक प्रत्यक्ष कराधान का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में मेरा विचार बयाजों पर कर लगाने वाला एक आय विधेयक लाने का है । सरकार की यह परम्परा रही है कराधान प्रस्ताव वर्ष की आय के हिसाब से किये जाने चाहिये । इसी परम्परा के अनुसार विधेयक में उपबन्ध किये गये हैं ।

यह कहा गया है कि इस प्रक्रिया का असाधारण स्थितियों में अपनाया जाना चाहिये । यह स्थिति वास्तव में असाधारण ही है यदि इस आपातकालीन स्थिति में भी हम संसाधनों को बढ़ाने के प्रयत्न नहीं करते जिससे आर्थिक संकट का सामना किया जा सके तो फिर हम यह फिर कब करेंगे । सदन की अनुमति के बिना भारत की संचित निधि से एक पाई भी कम करने की हमारी इच्छा नहीं है ।

इस विधेयक को पेश करने के कारण मैंने बताये हैं । पहले वित्त विधेयक तथा दूसरे वित्त विधेयक में अन्तर है । जब पहला वित्त विधेयक सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है तब सभा के सामने स्थिति का चित्र नहीं होता है । अतः वित्त विधेयक पर विचार करने से पूर्व व्यय की स्वीकृति देना वैध है । परन्तु इस समय हमारे सामने स्थिति स्पष्ट है । मैंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि कहां कहां अतिरिक्त व्यय होगा । जब हमने सोचा कि यह अत्यावश्यक है तब हमने पूरक मांगे पेश की सभा की स्वीकृति के बिना हमारी कुछ करने की इच्छा नहीं है ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : आपके व्यवस्था देने से पूर्व मैं एक दो बातें पूछना चाहता हूं ।

[श्री सेझियान]

विधि मंत्री ने बताया है कि इस समय कोई राशि व्यय करने की इच्छा नहीं है। वित्त मंत्री कहतें हैं कि आज असाधारण स्थिति है और कराधान आपातकालिन उपायों के लिये किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि घाटे की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण पाने की तत्काल आवश्यकता है।

यदि सरकार के पास व्यय का विवरण है तो पहले उसे पारित कराया जाये बाद में वित्त विधयक प्रस्तुत किया जाये।

ब्रिटन में हाऊस आफ कामन्स में यदि प्रक्रिया के विरूध्द कोई चीज होती है तो अध्यक्ष पीठ कार्यपालिका को प्रताड़ना देता है। ठीक है वित्त विधेयक पुरःस्थापित हो गया है। परन्तु विचार तथा पास करने का प्रस्ताव व्यय की अनुमति सभा द्वारा दिये जाने के बाद ही लिया जाना चाहिये। अन्यथा यह संसदीक प्रक्रिया के विरूध्द होगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बगुसराय) : विधि मंत्री ने कहा है कि क्योंकि इसमें वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन नहीं है अतः यह बजट नहीं है। क्या विधि मंत्री ब्रिटेन का कोई भी ऐसा उदाहरण दे सकते है जहां वित्त विधेयक के साथ वार्षिक प्राक्कलन न दिया जाता हो।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि ये उपाय वित्तीय वर्ष 1975-76 में लागू होंगे। अतः उनके तर्क के अनुसार इन उपायों से अगले वर्ष का घाटा पूरा किया जायेगा। यदि य कराधान वर्ष 1975-76 में प्रभावी होंगे तो इस वर्ष साधन कहां से उपलब्ध होंगे। क्या हमसे उन उपायों के लिये समर्थन मांगा जा रहा है जो अगले वर्ष प्रभावी होंगे। वर्ष 1975-76 के वित्त विधेयक में ही इन्हें क्यों नहीं लाया जाता। लोकप्रतिनिधि होने के नाते हमें यह बताया जाना चाहिये कि ये कर किस कार्य के लिये लगाये जा रहे है। यदि इनका किसी कार्य से सम्बन्ध नहीं है, और करों का सदैव मांगों से सम्बन्ध होता है और वे मांगे अभी स्वीकृत नहीं हुई हैं, तो हमें बताया जाना चाहिये कि ये कर किस कार्य के लिये लगाय गये हैं। यदि यह नहीं बताया जाता तो यह सभा के प्रति, जनता के प्रति न्याय नहीं है जिन्हें ये भार उठाना होता है।

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा बहुत उपयोगी रही है। विरोधी दलों के प्रतिष्ठित सदस्यों का इसमें बड़ा उपयोगी योगदान है।

विधि मंत्री द्वारा बजट और वित्त विधेयक पर दिया गया निर्वचन संविधान के अनुसार बिल्कुल उचित है लेकिन वह अनुकरण की जा रही पध्दति के विरूद्ध है।

हम इसे अपनी प्रक्रिया और नियमों आदि में बजट कहते आये हैं और सदस्यगण तथा जनता इसी नाम से जानते है। अतः हम इसे बजट ही कहेंगे चाहे संविधान का आशय कुछ भी क्यों न हो।

मेरे विचार से संविधान के अनुसार यह वित्तीय विधेयक बजट के रूप में है।

बजट के सम्बन्ध में अनुच्छेद 112, 113, 114 और 115 तथा नियम 204, 205 और 209 में स्पष्ट व्यवस्था है। हम उसे पूरक मांगे, पूरक बजट, आदि कहते रहे है।

अध्यक्ष होने के नाते मैं इन बात का प्रयास कर रहा हूं कि इस सम्बन्ध में कोई उचित वित्तीय प्रक्रिया अपनाई जाये। सरकार ने अब तक वर्ष 1956, 1957 और 1967 में अपनाई गई प्रक्रिया पर निर्भर किया है। मैं पूर्ववर्ती अध्यक्षों द्वारा अपनाई गई व्यवस्था का पालन करता आया हूं। लेकिन मैं भविष्य में इसकी अनुमति नहीं दूंगा। जहां तक

अन्य मामलों का सम्बन्ध है श्री चव्हाण को सब व्यय और अनुदानों की मांगों को सभा में अवश्य प्रस्तुत करना चाहिय । उन्हें इस सत्र में विनियोग विधेयक भी प्रस्तुत करना होगा । लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य के लिये कोई प्रक्रिया निश्चित की जानी चाहिये । उस प्रक्रिया में मुझे अपने पूववर्ती अध्यक्षों की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करना पड़ सकता है । इस बारे में मेरा विचार नियम समिति से भी मंत्रणा करने का है ।

मैं आपको इस विशिष्ट निदेश सहित विधेयक पर चर्चा करने की अनुमति देता हूं कि आप सभा में मांगें और विनियोग विधेयक प्रस्तुत करें ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजकर 30 मिनट म० प० तक के लिय स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Thirty minutes past fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 35 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at thirty five minutes past fourteen of the Clock

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

वित्त (संख्या 2) विधेयक—जारी

Finance (No. 2) Bill—*Contd.*

***श्री बीरेन दत्त** (त्रिपुरा-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये विनिर्णय से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह विधेयक लोक सभा में गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है । विधयक पर अनुमति देते हुए उन्होंने अस्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि भविष्य में इस प्रकार के विधेयक को ऐसे गलत रूप में पुरःस्थापित करने को अनुमति नहीं दी जायगी ।

सरकार ने यह वित्त विधेयक प्रस्तुत कर संविधान के सभी उपबन्धों और नियमों का उल्लंघन किया है । विधेयक को बार-बार प्रस्तुत करने की अनुमति लेने के समय वित्त मंत्री ने अपने कार्य को न्यायोचित बतलाते हुए यह कहा था कि देश को इस समय भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई और इस विधेयक को शीघ्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो देश को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़गा । गत 25 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक वित्तीय नीतियों के कारण ही देश को भीषण संकट का सामना करना पड़ रहा है । वित्त मंत्री ने वर्तमान संकट के कारणों का उल्लेख नहीं किया है । क्या वर्तमान संकट दूर करने के लिये अतिरिक्त करों के लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था ? सरकार चोर बाजरियों को पकड़न और काले धन का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है ? आयकर की बहुत बड़ी राशि बकाया है । उक्त राशि वसूल करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये

ग्रामीण क्षत्रों में बड़े-बड़े जमींदारों ने काफी धन एकत्र किया हुआ है लेकिन सरकार उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं करती तथा उन पर कर नहीं लगाना चाहती । सरकार राष्ट्रीयकृत

---

* बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रूपान्तर

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

[श्री बीरेन दत्त]

बैंकों के माध्यम से सट्टा बाजारियों और जमाखोरों को ऋण दे रहो है । इसके परिणाम स्वरूप दैनिक जोवन को आवश्यक वस्तुओं ो, जिनको देश में पहले हो बहुत कमी है जमाखोरी को जा रहो है । इससे जनता को भारी कठिनाई हो रही है ।

मद्रास्फिति को रोकने के लिये जो कर प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं वे मूल्य को कम करने में असफल रहेंगे । वास्तव में इससे स्थिति और खराब होगी । बजट तथा आर्थिक नोति के पोछे सरकार का मुख्य उद्देश्य एक ओर एकाधिपतियों पूंजीपतियों और जमींदारों को संरक्षण देना है तथा उनके हितों को रक्षा करना है जबकि दूसरो ओर सामान्य जनता पर भारो कर लगाना है । मुद्रास्फिति ने उनको जनता को क्रयशक्ति बिल्कुल समाप्त कर दो है । सरकार के वर्तमान करों के प्रस्तावों से मूल्यों में और वृधि होगी और समाज के निम्न वर्ग इससे सबसे अधिक प्रभावित होंगे ।. सरकार को नोति हो सब वस्तुओं के मूल्य इतने अधिक बढ़ने के लिये जिम्मेवार है । गरीब लोगों को आय घट रहो है जबकि अमीर लोगों को आय निरन्तर बढ़ रही है । आज देश म बिजली का भारी संकट विद्यामान है । उर्वरकों को कमी है और कृषि उत्पादन तेजी से घटता जा रहा है । इन समस्याओं को हल करने के बजाय सरकार अनेक वस्तुओं पर नय कर लगाती जा रही है ।

सरकार ने वर्तमान पूरक बजट के माध्यम से कपड़ा, इस्पात, टायर, कागज और जीवन की दैनिक वस्तुओं पर और कर लगाये है । क्या सरकार हमारी आ।थक समस्याएं और कर लगाकर हल करना चाहतो है ? कपड़े का मूल्य पहले हो बहुत अधिक है इस पर भी और अधिक कर लगाये जा रहे हैं । हम वित्त विधेयक का किसो भो स्थिति में समर्थन नहीं कर सकते । अत: अपने दल को ओर से मैं इस जनता-विरोधो विधेयक का पूर्णतया विरोध करता हूं । इस सरकार को देश को गरोब जनता को भावना को जानकारी नहीं है । कांग्रेस सरकार देश को बरबादो के पथ पर ले जा रहो है । अत: मैं विधेयक का पूर्णतया विरोध करता हूं ।

Shri Shivnath Singh ((Jhunjhunu) : The whole Country agrees that the economic condition in the Country today is not as much sound as it should have been. The prices of essential Commodities are increasing every day and it is difficult to get them. The circulation of money is increasing. The three Ordinances issued by Government to check money circulation is a step taken in the right-direction.

I welcome the taxation proposals. But it is very much doubtful whether the desired objects would be achieved thereby ? The prices of even those Commodities which have been left untouched in these tax proposals are increasing. The Government should impose restrictions on the issue of loans and advances by banks on the security of Consumer goods. It will prove as a curb on the profit of middlemen which they earn as a result of hoarding the Consumer goods.

Industrialists have many facilities to increase their production, but they have not utilised those facilities. So, the concessions given to them during the last budget should be withdrawn.

There are certain items of mass production, the production of those items has to be increased. I agree that it is necessary to export. We get foreign currency as a result of export before exporting mass consumption products like coarse cloth, Cement, Sugar etc., we should first take into consideration their consumption in the Country itself. If Weare not able to fulfill the demand of an item with the Country itself, we should not export hat item at all. If all the Textile mills in the Country are asked to produce only coarse worth, there will not remain any scarcity of Coarse cloth in the Country.

Luxury goods like air-conditioners, refrigerators, liqur etc. have been left untouched in the taxation proposals. Taxation on those goods may be a great source of revenue to Government.

The heavy expenditure of an subsidy for foodgrains is a heavy burden on the State Exchequer. Efforts are not being made to increase agricultural production in the Country. The Government is not providing necessary facilities to the farmers for increasing agricultural production.

The policy of advancing loans should be revised. The heavy expenditure due to subsidy on foodgrains is mainly due to mismanagement in the agricultural economy. Overhead expenditure has got to be curtained.

Our agricultural policy has been a total failure in the matter of increasing agricultural production. We have no well planned schemes to make necessary inputs available to small farmers. An expert Committee should be set up to study the practical difficulties and the actual requirements of small farmers. Practical programme for increasing agricultural production should be drawn up on the basis of the recommendations of that Committee The funds allocated for implementing crash programmes for stepping up agricultural production are not being spent properly.

The imposition of taxes on paper, tyre and other goods of mass consumption is not proper. These things are already in acute short supply. Taxes will neither bring down their consumption nor their prices. Student are not able to get their excercise books and text books. In the present circumstances imposing of taxes means increasing the burden on public.

Shri Sarjoo Pandey (Gazipur) : The economic condition of the country at present is very critical. The prices of goods are increasing, corruption is on the increase and all planning has proved to be ineffective. It is entirely baseless to think that these tax proposals will help in checking inflation and steep rise in prices.

The Government is not taking any interest in removing difficulties of the people. There have been agitations everyday in the country, but Government takes no action to solve the problems of the people. It will lead to more critical situation in the country.

Taxation proposals on consumer goods will only raise their prices. Further Government has no effective programme for unearthing black money.There is so proposal in the Budget to take action against the blacketeers and hoarders. A large amount of tax arrears have been outstanding for long. If Government takes steps to realise these large sums of tax arrears, there would be no necessity of these new tax proposals.

The sugar millowners are neither paying money to the farmers nor to the Government exchequer. What is the difficulty in nationalising the sugar mills ? Also why 150 sick cotton mills are not being taken over ? Luxury goods like Television, Refrigeratoro and English wines are not touched by way of taxation whereas taxes on items of common use like iron, cement and paper have been imposed. What sort of Socialism is this ?

We have no right to lead a life of pump and show when majority of the population is living below poverty line. The Compulsory Deposit Act should have been applied on capitalists who are accumulating wealth by resorting to fair or foul means. How can you fight out blackmarketeers when you take money from them for the elections. (*Interruptions*). A great injustice is having done to the poor people through having doses of taxation as a result of which there is around unrest in the country. The black money is to be checked first is inflation is to be controlled. The present indications are that the policy which the Government is following, will never check the expansion of black money. It will rather make the prices till rise. The wage freez will only hit the poor and low paid employees. It should be withdrawn the imposition of taxes on cement and iron will make the general prices till go higher. These taxes should, Therefore be withdrawn.

श्री वाई० एच० महाजन (बुलडाना) : मैं इस वित्र विधेयक का समर्थन करता हूं। इसका उद्देश्य अधिक संसाधन जुटाना और सरकारी आय तथा व्यय के अंतर को कम करना है। यह विधेयक मुद्रास्फिति के दबाव को रोकने तथा मूल्यों को ठीक स्तर पर लाने के लिए भी पेश किया गया है।

यह बात बार-बार सामने रखी गयी है कि घाटे को आर्थव्यवस्था 126 करोड़ से अधिक नहीं बढ़ी है जसे की 1974-75 के बजट में अनुमान लगाया गया था। अत: सरकार कर आय बढ़ाने के लिये उन्हें ये प्रस्ताव करने पड़ हैं जिनके द्वारा मुद्रास्फिति का दबाव भी कम होगा। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कमाये जा रहे ब्याज पर लगाए गए कर से ऋण देने को दर में वृद्धि हो ी।

उत्पाद शुल्क से अधिकांश औद्योगिकी सम्बन्धित है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अभाव की वस्तुएं ठोक ढ़ंग से प्रयोग में लाई जाये। अन्धाधुन्ध खपत को हातोत्साहित करने का भी प्रयास किया गया है। व्यापारियों तथा कालाबाजारियों के लाभों पर भी उहोंने कड़ी नियरानी रखने का प्रयास किया गया है।

वित्त मंत्री ने आम जनता को उपयोग को वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाया है। जन साधारण को छूता छोड़ दिया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जिन वस्तुओं का नाम है, उनमें से किसी पर भी कर नहीं लगाया गया है। लोअर काऊंट के ागों, स्कूटर के टायर तथ। ट्यूबों, जानवरों द्वारा खींची जाने वालो गाड़ियों, सस्तो सिगरेटों, साधारण किस्म के लिखन तथा मुद्रण कागज, अखबारो कागज़ आदि पर कोई कर नहीं लगाया है। यदि कृषि उत्पादन में कुछ वृद्धि हो तो मुद्रास्फिति के दबाब में कमी आये ी। इसके अतिरिक्त हमे वित्तोय प्रणालो को मजबूत रखना चाहिए और राजस्व की बकाया राशियों को वसूली करनो चाहिए।

हमे मुद्रा नीति को विनियमित करने के लिय अर्थ व्यवस्था में करेंसी नोटों सहित उपलब्ध घन तथा बैंक ऋण को एक वर्ष म वास्तविक उत्पादन से अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। मुझ आशा है कि वित्त विधेयक तथा तोन अध्यादेश तथा मद्रों निति में परिवर्तनो में मद्रास्फिति कम हो जायेगो। सरकार को इन उपायों को प्रभावी ढ़ंग से लागू करना चाहिए।

***श्री जे० माता गौडर** (नीलगिरो) : मैं द्रमुक दल को ओर से इस वित्त विधेयक के बारे में अपने विचार रखता हूं।

विरोधी दल सदैव सभी गैर-उत्पादन व्यय में कमी करने को आवश्यकता पर बल देते आ रहे हैं। किन्तु सरकार ने विरोधी दलों की इस सच्ची दलाले पर कोइ ध्यान नहीं दिया। सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापर मेले को रद्द करने का निर्णय लेने से पहले इस मेले पर एक करोड़ रूपये से अधिक व्यय किया है। क्या सरकार 6 महोने पहले इस मेले को रद्द करने का निर्णय नहीं ले सकतो थो जिससे एक करोड़ रुपये को बचत हो जातो।

कोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय सरकार को सुझाव दिया गया था कि भूतपूर्व कोयला खान मालिकों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिये। लेकिन सरकार

*तामिल मे दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

ने इन कोयला खान मालिकों को 30-35 करोड़ रुपय मुआवज के रुप में दे दिये । जब सरकार ने निजी थैलियां समाप्त करने का निर्णय लिया तो भूतपूर्व नरेशों को लगभग 110 करोड़ रुपये की राशि देकर सरकार ने उन्हें मुआवजा एक मुस्त में देने का प्रस्ताव किया जिसका अर्थ सरकारी खजाने से करोड़ों रुपयों की बर्बादी था । इसी तरह सरकार ने राष्ट्रीय-कृत बकों के भूतपूर्व प्रबन्धकों को लगभग 105 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का प्रस्ताव किया । प्रत्येक कदम पर विरोधी-पक्ष के सदस्यों ने यह बाते बताई कि इतनी बड़ी राशि का मुआवजे के रुप में भुगतान राष्ट्र के हित में नहीं है किन्तु सरकार ने इसको अवहेलना कर दी ।

बागान श्रमिकों ने प्रधान मंत्री से तार देकर अनुरोध किया है कि उन पर 50 प्रतिशत अनिवार्य जमा सम्बन्धी अध्यादेश के उपबन्ध लागू न किए जायें क्योंकि उनकी मजदूरी 3 रुपय प्रतिदिन है और वे देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने में महान योगदान करते हैं । सरकार को यह अध्यादेश अधिक वतनभोगी नौकरशाहों और गैर-सरकारी क्षेत्र के अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू करना चाहिए । सरकार को गरीबो से नीचे के स्तर के लोगों से धन जुताने का प्रयास नहीं करना चाहिए । अब समय आ गया है कि सरकार को इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।

अभी कुछ समय पहले तक तमिलनाडु में खाद्य की कमी नहीं थी किन्तु केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार से परामर्श किए बिना मोटे अनाजों के लाने ले जाने पर से नियंत्रण हटा दिया जिसके परिणामस्वरूप आज राज्य में खाद्यान्न की भारी कमी हो गई । तमिलनाडु में इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए केवल केन्द्रीय सरकार दोषी है ।

काले धन को नियंत्रित करने के लिये सरकार के पास कोई योजना नहीं है। चुनाव लड़ने व जोतने के लिये काला धन सत्तारुढ़ दल के लिए एक प्रमुख स्त्रोत है । इसीलिए सरकार काले धन के मामले में बड़ी सुस्ती दिखा रही है और देश को आज काला बाजारियों तथा सट्टेबाजों के पास गिरवी रख दिया है । आज देश जिस विफल आर्थिक संकट का सामना कर रहा है वह सत्तारूढ़ दल द्वारा अर्थव्यवस्था के कुप्रबन्ध की देन है और अर्थ-व्यवस्था को अपना राजनितिक उल्लू सीधा करने का साधन बना रखा है ।

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर) : इन करों को लगाने का उद्देश्य रेलवे बजट के घाटे की रक्षा सम्बन्धी बढ़ते व्यय को पूरा करना है । यह बजट साधनों को जुटाने का एक अच्छा उपाय है । हमारे वित्त मंत्री एक आशावादी हैं और वे समझते हैं कि धन की खपत व्यापारी तथा उत्पादक करेंगे । यह ठीक है कि अप्रत्यक्ष करों का सर्वसाधारण पर बुरा प्रभाव पड़ा है ।

हमें जानना चाहिये कि आखिरकार कर जरुरी क्यों है ? यह कहना आसान है कि हम आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में हमने इस संकट का समाधान करने हेतु कोई सक्रिय कदम उठाये हैं ?

नागर विमानन विभाग के अन्तर्गत विमानों में अधिकांश लोग जो यात्रा करते हैं, उनके किराये का भार राज्य पर ही पड़ता है क्योंकि उनके बीच संसद सदस्य अथवा उच्चाधिकारी ही होते हैं ।

सरकारी उपक्रमों में करोड़ों रुपयों का पूंजीनिवेश किया जा रहा है परन्तु उससे लाभ कितना होता है ? समाजवादी देशों में सरकारी उपक्रमों में लाभ होना आवश्यक होता है । वित्त मंत्री ने इन उपक्रमों के लिये काफी धनराशि उपलब्ध की है परन्तु उन्हें वाणिज्यिक

[श्री० निंबालकर]

आधार पर नहीं चलाया जा रहा । नागर विमानन, पर्यटन अथवा भारी उद्योगों जैसे उपक्रमों को वाणिज्यिक आधार पर चलाया जाना चाहिये । हम उन्हें ड़ाक-घर की तरह चला रहे हैं । इस से हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो जायेगी । यदि उन्हें लाभ पर चलाया जाये तो सरकार के पास 700-800 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध हो जायेगी । परन्तु बात यह है कि बेकार का खर्च बहुत अधिक है । यदि ऐसा न होता तो कर लगाने की कोई आवश्यकता न होती और उनके पास 250 करोड़ रुपये होते । हमारे सभी सरकारी उपक्रम कुशलतापूर्वक ढ़ंगसे चलाये जाने चाहिये । कुछ लोग काले धन का मुकाबला करना चाहते हैं और कुछ उसको पूर्णतया समाप्त कर देना चाहते हैं । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमें अपनी वित्तीय नीति और काला धन बनाने वाले लोगों के विरुद्ध जिम्मेदारी से काम करना होगा । इसके साथ ही हमें कम से कम 80 प्रतिशत नियंत्रण समाप्त करने होंगे । काले धन के सब से बड़े कारणों में नियंत्रण एक है ।

अब मैं आवश्यकता पर आधारित कर लगाने का सुझाव देना चहाता है इस समय बाढ़ का मुकाबला करने की आवश्यकता है, इस कर से प्राप्त धनराशि को बाढ़ नियंत्रण पर खर्च किया जाना चाहिये ।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : केवल चार महीने पहले किया गया हिसाब गलत हो जाने से सिद्ध होता है कि सरकार आर्थिक स्थिति पर नियन्त्रण खो चुकी है । मूल्य सूचकांक 303.24 तक पहुंच गया है । वर्ष 1974 के पहले 6 महीनों में मूल्यों में 34 प्रतिशत वृद्धि हुई है । रुपये का औपचारिक मूल्य 29 पैसे और अनौपचारिक मूल्य 25 पैसे से अधिक नहीं रह गया है । इन परिस्थितियों में वित्त मंत्री ने दूसरा वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है जिसका मुख्य प्रयोजन संसाधन बढ़ाना है । वित्त मंत्री का कहना है कि इस कार्य-वाही से मुद्रास्फीति पर रोक लगेगी क्योंकि उनके विचार में इस से बजट का घाटा 126 करोड़ रुपये ही रह जायेगा । इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को बजट सम्बन्धी घाटे में कम से कम 1,100 करोड़ रुपये और जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी ?

वित्त मंत्री को 7 मुख्य मदों पर अतिरिक्त व्यय के लिये व्यवस्था करनी होगी और इस के परिणामस्वरूप बजट का घाटा बढ़ेगा । रेलवे बजट की बिगड़ती हुई स्थिति 200 करोड़ रुपये ; उर्वरक राजसहायता सम्बन्धी व्यय 100 करोड़ ; 'कोर सेक्टर' परियोजनाओं को बचाने के लिये 300 करोड़ रुपये ; अतिरिक्त महंगाई भत्ता 200 करोड़ रुपये ; अतिरिक्त राजसहायता 165 करोड़ रुपये ; पाकिस्तान की सैनिक तैयारी का मुकाबला करने के लिये रक्षा परिव्यय पर अतिरिक्त व्यय 130 करोड़ रुपये । लाभ की दृष्टि वाले केवल दो ही मद हैं जिनसे 200 करोड़ रुपये की बचत होगी । इनके लिये हमें 136 करोड़ रुपये और बढ़ाने चाहिये जिसकी व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गई है । अतः इससे बजट में 800 करोड़ रुपया का स्पष्ट घाटा रहेगा । इस बजट से मुद्रास्फीति नहीं रुकेगी ।

वस्तुतः इस बजट का मुद्रास्फीति को रोकने के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, जब उत्पादन शुल्क में वृद्धि होगी तब उत्पादन लागत म भी वृद्धि होगी और उसका बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा । ऐसी स्थिति में इस बजट को मुद्रास्फीति रोकने वाला बजट कैसे कहा जा सकता है । वास्तव में जिन महत्वपूर्ण औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव रखे गये हैं उनके मूल्य पहले ही बढ़ा दिये गये हैं, इन उपायों से मंदी की स्थिति और पैदा हो जायेगी । जितने कर बढ़ाये जाते हैं उतनी ही मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, इस सम्बन्ध

में मेरा सुझाव यह है कि उत्पादन शूल्क बढ़ाने के बजाये इन वस्तुओं के कारखाना मूल्य में वृद्धि कर देनी चाहिये । इस से चोर बाजारी कम होगी । मुझे मजूरी और लाभांश पर रोक लगाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं बशर्ते कि करों पर भी रोक लगायी जाये ।

सरकार गत 25 वर्षों से कह रही है कि रक्षा और विकास के लिये संसाधन जुटाने की आवश्यकता है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु विकास कहां हो रहा है । वर्ष 1969-70 में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने करों के रुप में राष्ट्रीय आय का लगभग 14 प्रतिशत एकत्र किया था और कर राजस्व से बचत में से राष्ट्रीय आय का केवल 0.8 प्रतिशत निवेश के लिये उपयोग किया गया अत: वास्तव में इस प्रकार एकत्र की गई धनराशि अनुत्पादक प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाती है । इस प्रकार अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो सकता ।

सरकार ने मुद्रास्फीति रोकने के लिये कुछ उपाय किये हैं । परन्तु अनाज का व्यापार अपने हाथ में लेने, ऋणोंपर रोक, तीन अध्यादेश जारी करने, बैंक-दर 7 से 9 प्रतिशत बढ़ाने और अन्त में पूरक बजट प्रस्तुत करने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । मेरा अनुमान यह है कि वर्ष 1975 में मूल्यों में 50 प्रतिशत के हिसाब से और वृद्धि हो जायेगी और रुपये का मूल्य घट कर केवल 10 पैसे रह जायेगा । उचित प्रगति दर के बिना मुद्रास्फीति को नहीं रोका जा सकता । हमें इस प्रयोजन के लिये अपनी पांचवीं योजना को फिर से तैयार करना चाहिय । परिवहन, विद्युत और उर्वरकों को आधार मान कर पांचवीं योजना बनाई जानी चाहिये । योजना आयोग को समाप्त करके वित्त मंत्रालय में एक योजना कक्ष बनाया जाना चाहिये जो उल्लिखित आधार पर योजना तैयार करे । दूसरी बात यह है कि मुद्रा उपलब्धि प्रगति दर के अनुपात में होनी चाहिये । यदि प्रगति दर 5 प्रतिशत हो तो मुद्रा उपलब्धि 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये । अब प्रगति दर शून्य है और मुद्रा उपलब्धि 16 प्रतिशत तक पहुंच गई है और इस प्रकार कुल मांग तथा कुल सप्लाई में अंतर बहुत बढ़ गया है । तीसरे, सरकार को अपनी उत्पादन सम्बन्धी नीति स्पष्ट करनी चाहिये । उत्पादन बढ़ाने के लिये अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करना महत्वपूर्ण उद्योगों में काम आने वाले कच्चे माल पर मूल्य नियंत्रण समाप्त करना, विद्युत का अभाव दूर करना; केन्द्रीय स्तर पर किसानों को खाद, बीज आदि की सप्लाई और उत्पादन विरोधि कानून समाप्त करना और प्रक्रिया सम्बन्धि विलम्ब दूर करना चाहिये । चौथी बात यह है कि सरकारी वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये । समाज के कमजोर वर्गो को अत्यावश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर मिलनी चाहिये । फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना चाहिये । काले धन के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है परन्तु यदि सरकार का कर सम्बन्धि तंत्र सख्ती करे तो उसके पास छापे मारने, तलाशियां आदि लेने की पर्याप्त प्रक्रिया है और इससे सरकार काफी हद्द तक काला धन बरामत कर सकती है । बैंक ऋण पहले ही 460 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है और यदि इस पर नियंत्रण न रखा गया तो मुद्रास्फीती को रोकना असम्भव होगा बैंक दर को जो 7 से 9 की गई है, बढ़ाकर 13 अथवा 14 प्रतिशत कर देना चाहिये ।

सरकार को अनुत्पादक व्यय के बारे में एक श्वेत-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये । इस व्यय में 1,000 करोड़ रुपये की कटौती की जानी चाहिये इस प्रयोजन के लिये राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों की संख्या से 50 प्रतिशत कमी की जानी चाहिय, प्रधान मंत्री के सचिवालय के अनुसंधान और मूल्यांकन अनुभाग को बंद कर देना चाहिये । योजना आयोग के गठन में आमूलन परिवर्तन करना चाहिये । असैनिक व्यय में 10 प्रतिशत की कमी की जानी चाहिये । स्टाफ कारों का उपयोग न्यूनतम होना चाहिये । क्योंकि इससे काफी बचत हो सकती है । समयोपरिभत्ता, जो अब 51 करोड़ रुपये है बंद किया जाना चाहिय, मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के विदेशी दौरों को सीमित किया जाना चाहिये । देश में भी उनके दौरों पर व्यय कम किया जाना चाहिये ।

[श्री वीरेन्द्र अग्रवाल]

हमें बचत दर पर भी अधिक ध्यान देना चाहिये। लाभांश पर आय-कर छूट की सीमा 3000 से बढ़ा कर 5,000 रुपये कर देनी चाहिये और पूरे डाक-घर बचत को आय-कर से छूट दी जानी चाहिये। सरकार को एक ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिये जिससे बचत दर में वृद्धि हो। यदि इस 10 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाय तो कोई कारण नहीं कि मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण न रखा जा सके। यदि वित्त मंत्री ने ऐसा न किया तो उन्हें शरद्‌कालीन अधिवेशन में एक अन्य अनुपूरक बजट पेश करना पड़ेगा।

हमारे देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है। गरीबी बढ़ रही है और उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नतिकता समाप्त हो रही है। प्रधान मंत्री, विरोधी पक्ष पर अनैतिक-तंगदिल, निहित स्वार्थ आदि जैसे आरोप लगाती हैं परन्तु वास्तव में वह आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक संकट के लिये स्वयं उत्तरदायी हैं। उनको देश की भलाई के लिये काम करना चाहिये।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : माननीय सदस्य श्री अग्रवाल ने योजना आयोग बन्द कर देने का सुझाव दिया है।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल : मैं ने कहा था कि योजना वित्त मंत्रालय का अंग होना चाहिये।

श्री जगन्नाथ राव : देश में अर्थशास्त्री काफी हैं और सत्ताधारी दल ने आर्थिक विकास के लिये योजना बना रखी है। हम उसी योजना के माध्यम से देश का विकास करेंगे यदि विकास में कुछ असन्तुलन रहे हैं तो हम उनको ठीक करेंगे।

सरकार जानती है कि देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिये वित्त मंत्री को दूसरा वित्त विधेयक प्रस्तुत करना पड़ा है। यह व्यवस्था घाटे को पूरा करने के लिये की गई है और यदि इस प्रयोजन के लिये तीसरा वित्त विधेयक भी प्रस्तुत करना पड़ा तो हम उसका स्वागत करेंगे। वित्त मंत्री का कर्तव्य है कि वह मुद्रास्फिति को रोकने के लिये कार्यवाही करें। मैं स्वीकार करता हूं कि इस विधेयक से मुद्रास्फिति नहीं रुकेगी परन्तु यह तो एक उपाय है। इस प्रयोजन के लिये और भी अनेक उपाय करने होंगे फिर इसका प्रभाव तो आगामी वर्ष में पता लगेगा।

गत मास मुद्रास्फिति रोकने के लिये तीन अध्यादेश जारी किये गये हैं। मैं यह स्वीकार नहीं करता कि ये अध्यादेश कर्मचारियों अथवा श्रमिकों के विरूद्ध है, ये कदम मांग को कम करने के लिये उठाये गये हैं क्योंकि उत्पादन कम है, सरकार को कारखानों में बनायी जाने वाली वस्तुओं के लागत ढांचे की जांच करके उनके कारखाना मूल्य निर्धारित करने चाहिये, तभी हम मांग करके और उत्पादन बढ़ा कर मूल्यों को कम कर सकते हैं, गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई नियंत्रण नहीं है। उत्पादन अधिक होता है परन्तु कागजात में कम दिखाया जाता है। अतः सभी निर्मित्त वस्तुओं पर मूल्य नियंत्रण लागू करना चाहिये।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इन अध्यादेशों से मजुरी पर रोक लग सकती है। भत्ते का केवल 50 प्रतिशत भाग दो वर्षों के लिये बैंक में जमा किया जायेगा। फिर आज रुपये का मूल्य कम है और दो वर्ष के बाद रुपये का मूल्य बढ़ जायगा जिससे कर्मचारियों को लाभ ही पहुंचेगा। अतः यह व्यवस्था कर्मचारियों के हित में है, उनके विरुद्ध नहीं।

मांग से उत्पादन अधिक होना चाहिये। यदि मांग 100 है तो क्षमता 200 की होनी चाहिये ताकि यदि उत्पादन 200 तक न भी पहुंचे तो प्रतियोगिता बनी रहे। उत्पादन पर नियंत्रण होना चाहिये। उत्पादन के सही आंकड़े सरकार को मिलने चाहिये ताकि उत्पादन शुल्क का अपवंचन न हो और उत्पादन को छिपाया न जा सके। गर-सरकारी क्षेत्र में अधिक अनुशासन लागू करना चाहिये।

काले धन पर आरम्भ से ही रोक लगाई जानी चाहिये। यदि सरकार उत्पादन शुल्क अधिकारियों को कारखानों में ही नियुक्त कर दें तो उत्पादन की जांच हो सकती है और उसे छिपाया नहीं जा सकेगा तथा इसके परिणामस्वरूप मूल्यों पर भी नियंत्रण हो सकेगा।

सरकार ने अनाज वसूली के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उतना अनाज वह वसूल नहीं कर पाई। अतः मेरे विचार में सरकार को अनाज के थोक व्यापारियों को बीच में से निकाल देना चाहिये, राज्य सरकारों को देश में उपलब्ध अनाज वसूल करने की अनुमति दी जानी चाहिये वे भंडार बनाये और अपने भंडार में से केन्द्रीय पूल, के लिये अनाज दें और वे अन्य राज्यों को भी अनाज उपलब्ध कर सकते हैं। राज्य सरकारों का आपस में लेवा जोखा होना चाहिये और बिचौलियों को समाप्त कर देना चाहिये। यह भी मूल्यों पर नियंत्रण रखने का एक तरीका है और इस से सरकारी वितरण व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध अनाज का समान रुपसे वितरण भी हो सकेगा।

दूसरे वित्त विधेयक का आशय संसाधन जुटाना है परन्तु मुद्रास्फिति पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः वित्त मंत्री को इस प्रयोजन के लिये कुछ और उपाय करने चाहिये।

श्री पी० के० देव (कालाहन्डी) : इस सभा में उठाई गई प्रक्रिया सम्बन्धी और संवैधानिक बातों के अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरे वित्त विधेयक में दूरदर्शिता का अभाव है।

हमने पांच महीने पूर्व बजट पर चर्चा की थी और विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के नये आयात, परोक्ष करारोपण, विकास के लिये प्रोत्साहन का अभाव आदि के विषय में कहा था तथा यह कहते हुए कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा 126 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया था। वित्त मंत्री ने यह कहा है कि मुद्रास्फिति को रोकने के लिये किए गए उपायों का सीमित प्रभाव हुआ है और मूल्य बढ़ रहे हैं। देश के इस आर्थिक संकट के लिये सरकार की गलत नीतियां उत्तरदायी है। योजना पत्रिका में ऐसा उल्लेख किया गया है कि गत 5 वर्षों में भारत में लगभग 125 से 130 प्रतिशत तक मूल्य बढ़े हैं जबकि अन्य देशों में यह वृद्धि बहुत कम हुई है। गत पांच वर्षों में भारत में मजूरी में 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जबकि अन्य देशों में इससे दुगुनी या उससे अधिक वृद्धि हुई है।

हम चाहते हैं कि रुपये का मूल्य स्थिर रहे। रुपये की क्रय शक्ति निरंतर गिर रही है। इस अवमूल्यन का हमारी विदेशी मुद्रा पर पहले ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ चुका है।

बचत के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। यदि लोगों को यह विश्वास हो जाये कि सरकार रुपये के मूल्य में गिरावट को रोक सकती है तो वे स्वेच्छा से काफी धन की बचत करेंगे।

इन सभी वर्षों में सरकार द्वारा अपनाई गई गलत आर्थिक नीतियों के कारण मुद्रास्फिती बढ़ती जा रही है। वित्त मंत्री यह आरोप लगाते हैं कि हमारे कृषि उत्पादन में शिथिलता के कारण ऐसा हुआ है। भारत को अभी भी कृषि के लिये प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है।

[श्री पी० के० देव]

अकाल की यह स्थिति है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1965 में शताब्दि का सबसे भयंकर अकाल पड़ा। तब प्रधान मंत्री वहां गई थीं और उन्होंने इन्द्रावती परियोजना को आरंभ करने का आश्वासन दिया था। परन्तु इस दिशा में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। भूमि के अधिकतम सीमा के बारे में काफी चर्चा की जा चुकी है। उड़ीसा में भूमि की अधिकतम सीमा सबसे कम है। वहां मशीनों और सुधरी हुई तकनीक से खेती नहीं होती है जिससे एक परिवार के लिये निर्वाह करना मुश्किल है। कृषि उत्पादन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। कृषकों को उर्वरक, पानी तथा बिजली की सप्लाई की जानी चाहिए।

परोक्ष कराधान के बारे में मेरा कहना है कि सिगरेटों, टायरों, रबड़ उत्पादों, सीमेंट, एस्बेस्टोस की चद्दरों, लोहे, तांबे की ट्यूबों, जस्त, रेयन पर और अधिक कर नहीं लगाये जाने चाहिए क्योंकि इससे मुद्रास्फिती और बढ़ेगी तथा आम आदमी की कठिनाइयाँ बढ़ जायेंगी।

काले धन का समानान्तर प्रचलन समस्या का मुख्य बिंदु है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह लाइसेंस-परमिट देना पूर्णतया समाप्त करे और चोर बाजारी करने वालों को संरक्षण देना बंद करें।

सरकारी सूत्रों के अनुसार वर्ष 1972 में जाली करेंसी 1.33 लाख, 1973 में 5.83 लाख थी जबकि 1974 में यह 7.40 लाख है। इससे भी मुद्रा स्फिती बढ़ती है। सरकार को सौ-रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण कर देना चाहिए।

सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वर्ष करण में सुधार करना चाहिए जहां उसने 5.426 करोड़ रुपये निवेश कर रखे हैं। जिनसे कुल लाभ 19.85 करोड़ रुपये हुआ।

मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह पश्चिम जर्मनी और जापान से सीख लें जहां युद्ध के बाद अर्थ व्यवस्था अत्यधिक बिगड़ी हुई थी। जर्मनी में युद्ध के बाद मुद्रा-सुधार के लिये साहसिक कदम उठाये गये। मंत्री महोदय इसका पूर्ण अध्ययन करें और देश की आर्थिक नीतियों में सुधार करें।

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) : मैं इन कर प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। वे उचित दिशा में एक कदम हैं। परन्तु यह प्रस्ताव अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं। काले धन पर रोक लगाई जानी चाहिये।

यदि हमें काले धन से निपटना है तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि वितरण व्यवस्था ठीक हो और सभी लोगों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं मिलें।

जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले खाद्य से आरंभ करना चाहिए। छोटे किसान कृषि के नये तरीके नहीं अपना सकते, केवल बड़े बड़े जमींदार ही उर्वरक तथा कृषि के आधुनिक साधनों का उपयोग करते हैं अतः भूमि सुधार आवश्यक है। जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़कर शेष भागों में भूमि सुधार लागू नहीं किये गए है।

इसके अतिरिक्त, चीनी, औषधियों, कोयले आदि का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में होना चाहिये। यदि इन वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होगा और उचित वितरण किया जायेगा तो काला धन नहीं बढ़ सकेगा।

लोगों के लिए सस्ते किस्म का मोटा कपड़ा पर्याप्त मात्रा में उत्पादित किया जाना चाहिये।

गरीब और जन साधारण के लिये अपेक्षित कपड़े का पर्याप्त उत्पादन किया जाना चाहिए। यदि 106 मिलें संकटग्रस्त है तो उनका उपयोग मोटे कपड़े के उत्पादन के लिये किया जाना चाहिए।

मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार फाइन किस्म के कपड़े और प्रसाधन सामग्री आदि पर कर क्यों नहीं लगाती ? विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीयकरण के बाद भी बैंक एकाधिकार गृहों को पैसा दे रहे हैं। कुछ दिन पूर्व वित्त मंत्री न राज्य सभा में कहा था कि पांच बड़े व्यावसायिक गृहों को 186 करोड़ रूपये का ऋण दिया जा चुका है। अतः हम कर प्रस्तावों पर विश्वास नहीं कर सकते। स्थिति पर नियंत्रण करने के लिये कुछ और भी करना होगा।

प्रत्येक डाक्टर आयकर नहीं देता है। इसी प्रकार प्रत्येक वकील भी कर नहीं देता है। अतः कर के क्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिए। चार्टर्ड एकाउंटेंटों से आयकर वसूल किया जाना चाहिए।

सरकार भव्य इमारतों के निर्माण को हतोत्साहित नहीं कर रही है। लघु आवास योजना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

शहरी भूमि में काला धन लगाया गया है सरकार को उसे अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिये इससे कम से कम काले धन के चलन पर रोक लगेगी।

अखबारी कागज और छपाई के सफेद कागज की कमी है। काश्मीर में बड़ी मात्रा में कच्चा माल है जो अनुपयुक्त पड़ा है। वहां वनों का भी उपयोग नहीं किया गया है। काश्मीर में सरकार सरकारी क्षेत्र में बड़े कारखाने क्यों नहीं लगाती और छपाई के सफेद कागज तथा अखबारी कागज के उत्पादन के लिये कच्चे माल का उपयोग क्यों नहीं करती ?

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : People of our country are not in a position to pay any more taxes. Government must not impose fresh taxes.

The production of foodgrains has gone down due to the short-sighted policies of the Government. They did not pay attention towards agriculture and irrigation.

The hon. Minister, Shri Mohan Dharia has stated about a week ago that two-thirds of the country's population was subsisting on Rs. 20 per month.

Inspite of this, further taxes are being imposed.

I went through the speech of Shri Chavan. He has said that wasteful expenditure would be curtailed. But the wasteful expenditure is continuing. On the one hand, they say that emphasis should be laid on increasing production and on the other, they are increasing the prices of items manufactured in factories. The Hon. Minister had admitted that they would have to purchase foodgrains at higher price from abroad but they have not agreed to raise the prices of foodgrains to be procured internally.

Reference has been made about black-marketing. The price of a bag of fertiliser ranged between Rs. 52 to 55 four months before and it was Rs. 100 in black market, who is responsible for this ?

[Shri Janeshwar Mishra]

An increase of 33·5 per cent in the prices of paper has been allowed. At the same time they have said that they have not increased the price of newsprint. To-day there is shortage of white printing paper and newsprint. Who is responsible for this ?

Taxes have been imposed on plastic items. It should not have been imposed.

The hole Budget speaks of bankruptcy of the Government. They are doing injustice to the poor.

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण) : कुछ मित्रों ने कहा है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति बहुत बिकट हो गई है। मैं महसूस करता हूं कि सरकार अभी भी ऐसे उपाय कर सकती है जिनसे मुद्रा-स्फीति को रोका जाये और अर्थ व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाये। यदि सरकार मुद्रा-स्फीति को रोकना चाहती है तो उसे, अध्यादेशों और वित्त विधेयक के उपबंधों के अलावा, आवश्यक वस्तुओं के प्रभावी नियंत्रण की तैयारी करनी चाहिए और तुरंत ही प्रभावी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था करनी चाहिए।

यदि काले धन को समाप्त करना है तो आनेवाले दस वर्षों तक देश में सोने और आभूषणों का क्रय-विक्रय बंद कर दिया जाना चाहिए। जहां तक बेनामी सम्पत्तियों का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए इससे हमें यह जानने में सहायता मिलेगी कि पैसा कहां लगाया गया है और काले धन की भूमिका क्या है तथा हम उसमें से कितनी सम्पत्ति तुरंत जब्त कर सकते हैं।

मेरा सुझाव है कि जो कोई भी व्यक्ति मकान बनाना चाहता है उसे पात्रता प्रमाणपत्र सरकार से प्राप्त करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिना इस पात्रता प्रमाणपत्र को प्राप्त किए देश का कोई भी नागरिक न जमीन खरीद सकता है और न मकान बना सकता है। देश के विभिन्न भागों में पुत्रियों अथवा पत्नियों अथवा अन्य रिश्तेदारों के नाम पर मकान बने है। यह पैसा कहाँ से आया है ? इसके लिए रजिस्ट्रेशन विलेख देखना चाहिए। इससे स्थिति का पता चल जायेगा इसलिए पात्रता प्रमाण-पत्र का लेना आवश्यक बना दिया जाये। गगनचुंबी इमारतों के लिए इस्पात, सीमेंट तथा अन्य वस्तुएं कहां से आई ? उन्होंने इतने बड़े भवन कैसे खड़े किए ? यह सब काले धन की कृपा है। मुद्रा स्फिति को रोकने के लिए प्रशासन तंत्र में विद्यमान त्रुटियों का हटाया जाना आवश्यक है।

मैं कुछ व्यक्तियों के नाम लेना चाहता हूं जिन्होनें पिछले तीन सालों में विभिन्न उपायों से काला धन पैदा किया है जैसे श्री कापड़िया, अमीन चंद पारेलाल, करम चंद थापड़, चिरंजीलाल बजोरिया, या तो सरकार को इस बारें में पता नहीं है या वह यह नहीं जानती कि इन पर नियंत्रण किस प्रकार रखा जाये, वे विभिन्न वस्तुओं के निर्यात द्वारा पैसा कमा रहे हैं और सरकार को कुछ नहीं करने दे रहे हैं। यदि सर-कार वस्तुस्थिति के प्रति गंभीर है तो उसे तत्काल ही कोई न कोई कार्यवाही करनी चाहिए। भारतीय पटसन निगम का उदाहरण लीजिए यदि सरकार इसका अधिक से अधिक निर्यात करती है तो उसके पास चेक के रूप में सफेद धन आयेगा परन्तु श्री चिरंजीलाल बाजोरिया और गोयनका जैसे उद्योगपति इससे केवल काला धन ही कमायेंगे। और इस प्रकार वे सरकार की नीति को असफल बना सकते हैं। क्या सर-कार निर्यात की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं का प्रबंध अपने हाथ में ले लेगी। आप समाज के निर्बल वर्ग के लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं को छोड़ सकते हैं। बिना प्रभावी कार्यवाही किए सरकार मुद्रास्फीति का मुकाबला नहीं कर सकती है। जहां तक राजनीतिक दलों द्वारा काला धन लेन का प्रश्न है, सरकार को चाहिए कि सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों का खर्चा राजकोष से पूरा किया जाये। इससे भ्रष्टाचार को समाप्त करने में मदद मिलेगी। यह कहना गलत है कि काला धन गैर-सरकारी क्षेत्र में ही पैदा होता है और सरकारी क्षेत्र इससे अछूता है। कोयला खान प्राधिकरण के अधि-कारियों का उदाहरण लिया जा सकता है जो पहिले गैर सरकारी प्रबंधक वर्ग में थे परन्तु आसनसोल रानी-गंज क्षेत्र का सरकारीकरण करने के पश्चात कोयला खान प्राधिकरण के वेतन चिट्ठा (पे रोल) में आ

गये । उनकी परिसम्पत्तियों पहले की तुलना में दस गुनी बढ़ गई हैं । वहां बिना घूस दिए कोई काम नहीं कराया जा सकता है । भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए ।

बिड़ला तथा टाटा जैसे लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए । उन्होंने देश को लूटा है । यदि सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती है तो इससे देश में बगावत फैल जायेगी ।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : सरकार का भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का कोई विचार नहीं है । मुझे प्रसन्नता होगी यदि वे इसको सिद्ध कर सकें ।

श्री बी० डी० नायक (कानारा) : सभापति महोदय क्यों की अब केवल आधामिनट . . .

सभापति महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा लेंगे । आप अपना भाषण कल जारी करेंगे ।

दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी*

DELHI SCHOOL TEACHERS COOPERATIVE HOUSE BUILDING SOCIETY**

सभापति महोदय : अब हम दिल्ली स्कूल टीचर्स को आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली के बारे में आधे घंटे की चर्चा लेंगे ।

श्री जगन्नाथ मिश्र (मधुबनी) : यह एक महत्वपूर्ण विषय है । सहकारी समितियों का कार्य बिना किसी भेदभाव के अपने सदस्यों को समान लाभ पहुँचाना होता है परन्तु दिल्ली स्कूल टीचर्स को आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के उन व्यक्तियों ने, जिन पर इस सोसाइटी को चलाने का काम सौंपा गया था अपने कदाचारों से इसका अस्तित्व खतरे में डाल दिया है । मेरा उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं है अपितु उन लोगों को न्याय दिलाना है जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई इस समिति में लगाई है ।

यह समिति 1961 में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत हुई थी । सरकार ने 150 एकड़ अधिसूचित भूमि इनके लिए निर्धारित की थी जो बाद में कम करके 90 एकड़ कर दी गई । शेष 60 एकड़ भूमि समिति को सुपुर्द न करने का कारण यह है कि समिति को चलाने वाले पदाधिकारियों ने अपनी त्रुटि के कारण पैसा जमा नहीं कराया था । चुंकि इस भूमि का अभी उपयोग नहीं हुआ है इसलिए यह अभी भी समिति के सुपुर्द की जा सकती है ।

इस समिति की बरबादी का कारण इसके पदाधिकारियों के कदाचार हैं । वे आपस में ही झगड़ने लगे जिसके कारण इस समिति का रिकार्ड सही व्यक्तियों के पास न रह सका । नियमों के अनुसार जब तक लेखों का वार्षिक लेखापरीक्षण नहीं होता है तब तक पदाधिकारियों के चूनाव नहीं हो सकते ताकि त्रुटियों के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा सके ।

समिति को 1967 में भूमि की लागत के रूप में धन सरकार के पास जमा करना था परन्तु पास में धन की कमी के कारण वह एसा न कर सकी । इसलिए उसने गैर अध्यापक व्यक्तियों को सदस्य बनाना आरम्भ कर दिया । गैर अध्यापक सदस्यों को यह आश्वासन दिया गया कि समिति ने सरकार से उनको सदस्य बनाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है और समिति के पास उनको देने के लिए पर्याप्त भूमि भी

---

*आधे घंटे की चर्चा ।

**Half an hour discussion.

[श्री जगन्नाथ मिश्र]

है। समिति का कारोबार निरन्तर अव्यवस्थित रूप से चलता रहा। जब सदस्यों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने न्याय पाने के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। रजिस्ट्रार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मार्च, 1972 में इसके कार्य की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की। इसने अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है क्योंकि समिति ने इसे अपने रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये हैं। इसमें केवल पदाधिकारी ही दोषी नहीं है अपितु सरकार भी दोषी है क्योंकि वह उचित कानूनी कार्यवाही द्वारा समिति से रिकार्ड प्राप्त नहीं कर सकी है। पदाधिकारियों को भी इस बारे में पहले से ही पता चल गया था और उन्होंने मामले को अपने पक्ष में करने के लिए उसमें हस्तक्षेप किया। जब मार्च, 1974 तक जाँच का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला तब सरकार ने सदस्यों को 30 अप्रैल, 1974 तक अपनी सदस्यता का हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा। इसके उत्तर में 1405 हलफनामे प्रस्तुत किए गए। तीन महीने बीत गए हैं परन्तु अभी तक सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। कालोनी के खाके में केवल 1301 प्लाट हैं जब कि 1405 हलफनामें प्राप्त हुए हैं। अब सरकार पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व आ जाता है कि वह उन सदस्यों को न्याय दे जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई इसमें लगाई है। संरक्षक होने के नाते सरकार को सदस्यों के लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि ये सदस्य कम आय वर्ग के है।

वास्तव में सरकार को समिति का कार्य बहुत पहले ही अपने हाथ में ले लेना चाहिए था ताकि सभी सदस्यों को कम समय के अंदर प्लाट मिलने की आशा रहती। सरकार के पास अधिकार हैं और वह साधन सम्पन्न है इसलिए वह किसी न किसी तरीके से सभी सदस्यों को प्लाट देने के बारे में आश्वस्त कर सकती है। इसलिए सरकार को समिति का कारोबार अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए मैं सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। जांच अधिकारी के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में विलंब के क्या कारण हैं? जांच अधिकारी ने रिकार्ड प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है? क्या रिकार्ड को इतने लम्बे समय तक प्रस्तुत न करने की दशा में सरकार समिति का कार्य अपने हाथ में नहीं ले सकती है? यदि हाँ, तो क्या सरकार तत्काल ही समिति का कार्य अपने हाथ में नही लेगी? ठेकेदार को प्लाट के विकास कार्य हेतु कितनी अग्रिम राशि दी गई थी। सरकार किस प्रकार सभी सदस्यों को प्लाट देगी? क्या सरकार दिल्ली विकास अधिकरण जैसी सरकारी एजेंसी को शेष विकास कार्य सौंपेगी? क्या सरकार ने हलफनामे में जमा राशि की संख्या रिकार्ड से मिलायी है?

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : समिति के उपनियमों के अनुसार समिति के लेखों का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष होना चाहिए। यह लेखा परीक्षण क्यों नहीं किया गया? सरकार ने समय परलेखा परीक्षण और चुनाव कराने के लिए कार्यवाही क्यों नहीं की?

Shri M. C. Daga (Pali) : What has the Registrar been doing since 1966. Why the bye laws of the Society have been flouted ? May I know whether a person named Shri Gupta bungled Rs. 9 lakhs in connivance witht he contractor. We will not satisfy by The mere reply that inquiry is gonig on. the Government should reply questions pertaining all the aspect of the affairs of the Society.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : यह मामला 1967 से चल रहा है और आज 1974 है हर बार मंत्री महोदय उत्तर देते हैं कि कोई विलम्ब नहीं हो रहा है। क्या यह कोई उत्तर देने का तरीका है? इसमें निश्चय ही विलम्ब हुआ है। क्या 9 लाख रुपये का घोटाला हुआ है? रिकॉर्ड को प्राप्त करने में इतना विलम्ब क्यों हुआ है? हलफनामे लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? आप प्रबंधक वर्ग को मुअत्तल क्यों नहीं कर देते हैं। दोषी अधिकारियों के साथ वैसा ही बरताव किया जाना चाहिए जैसे देशद्रोही, चोरबाजारी के साथ किया जाता है।

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगांव) : अध्यापकों के प्रति मेरी सहानुभूति है क्योंकि वे ऐसे वर्ग के है जिनको आमदनी कम है। 1961 में सरकार ने 90 एकड़ भमि अलाट की थी और 1,300 सदस्यों के नाम दर्ज किए गए थे। क्या यह सच नहीं है कि सदस्यों मे दो वर्ग के झगड़े के कारण मकानों के निर्माण में कुछ भी प्रगति नहीं हुई ? अध्यापकों ने अपने खून-पसीने की कमाई इसमें लगाई अतएव समिति को व्याप्त झगड़ों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि उनको प्लाट मिल सके और वे उनमें मकान बना सकें ? इस कांड की जांच की जानी चाहिए ताकि दोषी व्यक्तियों को दंड दिया जा सके।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): मैं श्री पांडेजी से सहमत हूं कि मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों ने, जिनके आमदनी के साधन सीमित हैं, इसमें धन लगाया है। इस बारे में काफी गलतफहमियां पैदा हो गई है कि सरकार इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले रही है। इस समिति के आपसी झगड़े हैं। साधारणत: सरकार सहकारी समितियों के कार्य में हस्तक्षप नहीं करती है। यह काम दिल्ली प्रशासन का है।

इस मामले में समिति को शाहदरा के निकट अच्छी जमीन दी गई थीं। बाद में जब दिल्ली प्रशासन के पास शिकायतें आई तो समिति के हिसाब-किताब की लेखा परीक्षा की गई। मेरे पास लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन है। इसको देखने से पता चलता है कि इसमें कदाचार काफी हुए हैं। रिकॉर्डों को ठीक ढंग से नहीं रखा गया है। हिसाब-किताब में भी गड़बड़ी है। 1966-69 के दौरान दिल्ली प्रशासन ने कदाचारों के मामले में कोई कार्यवाही नहीं की। हो सकता है कि इसमें कोई राजनीति कार्य कर रही हो। समिति में पदों के लिए दो गुट आपस में झगड़ रहे थे और उस समय दिल्ली प्रशासन में सत्तारुढ राजनीतिक दल ने कोई कार्यवाही नहीं की तथा इससे विलम्ब हो गया। बाद में दिल्ली प्रशासन ने जब कार्यवाही की और उन्हें अतिलंघन नोटिस दिया तब समिति ने याचिका दायर कर दी। परिणामत: अतिलंघन आदेश वापिस लेना पड़ा। बाद में जब समिति के कार्यों के लिए जांच समिति बिठाई गई तब उच्च न्यायालय ने समिति को जांच अधिकारी को सभी रिकार्ड उपलब्ध करने को कहा। न्यायालय ने आगे कहा कि जांच अधिकारी को 30 मार्च, 1973 तक अपनी जांच कार्यवाही समाप्त कर देनी चाहिए। जब जांच कार्यवाही आरम्भ हुई तब कोई रिकार्ड उपलब्ध न था। यह जांच करना कठिन हो गया कि समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा धन किस प्रकार व्यय किया गया। उपलब्ध रिकार्ड से सही बातों का पता न लग सका है। रिकार्डों को ठीक से नहीं रखा गया है। विभिन्न गुटों ने राशि को अलग-अलग बैंकों में जमा कर रखा है। इसके कारण जांच का कार्य कठिन हो गया है। हम प्रशासन पर दोषारोपण कैसे कर सकते हैं ? समिति के रिकार्ड का पता लगाने के लिए तलाशी ली गई, समिति के सचिव के यहाँ तलाशी में कुछ नहीं मिला। अब कठिनाई यह है कि मामले में आगे कैसे बढ़ा जाये। मैंने दिल्ली प्रशासन से जांच कार्य में तत्परता लाने को कहा है। उपराज्यपाल इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं।

मेरी जानकारी के अनुसार समिति ने अपने सदस्यों से लगभग 30-34 लाख रुपया लिया है। सदस्यता सूची विवाद का विषय बनी हुई है। अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है। 12 लाख रुपये भूमि के लिए दिल्ली के संबंधित अधिकारियों के पास जमा कराए गए हैं। ठेकेदार ने स्वीकार किया है कि उसे 22 लाख रुपये मिले है और उसने लगभग 18 से 19 लाख रुपये भूमि के विकास कार्य में खर्च किए हैं। इन सब मामलों की जाँच किए जाने की आवश्यकता है। 12 से 13 लाख रुपये भूमि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिए गए है। परन्तु इस कहानी का दुखद पहलू यह है कि सदस्यों की पूर्णत: उपेक्षा की गई। उन्हें कोई जमीन आबंटित नहीं की गई। कोई नहीं जानता कि उनके द्वारा जमा किए गए धन का क्या हो रहा है। सारी स्थिति अस्तव्यस्त है। सहकारिता का सदुपयोग लाभ पहुंचाता है और दुरुपयोग हानि। हमने दिल्ली प्रशासन से कहा है कि वे इस मामले में तत्काल कार्यवाही करें ताकि सदस्यों के हितों की रक्षा हो सके

श्री बी० वी० नायक : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ठेकेदार ने 21 लाख रुपये भली-भांति खर्च किए हैं या नहीं ? क्या किसी इंजीनियर ने इसकी पुष्टि की है या नहीं ?

श्री मूल चन्द डागा : क्या आप उस स्थान पर गए हैं ? क्या आपने उसे देखा है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं उस स्थान पर नहीं गया हूं। माननीय सदस्यों ने इस मामले में दिलचस्पी दिखायी है और उन्होंने अच्छे सुझाव दिए हैं। हमने दिल्ली प्रशासन को मामले की जाँच करके शीघ्र रिपोर्ट देने को कहा है। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उचित प्रबंध समिति बने और जिन सदस्यों ने इसमें अपना धन लगाया है उन्हें भूमि मिले।

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार 13 अगस्त 1974/22 श्रावण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 13, 1974/ *Sravana* 22, 1896 [*Saka*]

भा०स०मु०ना9--वि० 6---26 लोक सभा नई दिल्ली/74---24-10-74---490